सत्यमेव जयते

शनिवार,
२८ मार्च, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation 13.3.'52

लोक सभा

शनिवार, २८ मार्च १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी शासकीय समिति की रिपोर्ट

***१०४७. श्री बी० के० दास:** (क) **सिचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी कुछ मामलों के बारे में सूचना देने के लिए जो शासकीय समिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

(ख) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं ?

(ग) सरकार ने किन सिफ़ारिशों को स्वीकार किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न ही नहीं होते।

श्री बी० के० दास : अनुमान समिति ने दामोदर घाटी निगम के शासकीय ढांचे के बारे में निश्चित सिफारिशें की थीं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि यह मामला इस समिति के निर्देश पदों में सम्मिलित कर लिया गया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि वे किन विशेष विषयों की जांच कर रहे हैं ?

श्री हाथी : अनुमान समिति की सिफारिशों पर ही सरकार ने यह उचित विचारा है कि विषय की जांच की जाये और संघ का ढांचा क्या हो अथवा क्या संशोधन किये जायें का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाये।

श्री बी० के० दास : मैं माननीय मंत्री से और अधिक स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि अनुमान-समिति ने बहुत ही विस्तारपूर्ण सिफारिशें की थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य क्या चाहते हैं ?

श्री बी० के० दास : मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य विषय या मुख्य मामले क्या हैं जिनकी समिति शासकीय ढांचे तथा मुख्य अभियन्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में जांच करेगी, क्योंकि ये मामले. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक निश्चित प्रश्न पूछ कर उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्षतः वह इस समिति के निर्देश-पद जानना चाहते हैं।

श्री हाथी : मैं निर्देश-पदों को पढ़ सकता हूं। चौथा पद है "दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८, की पर्याप्ता तथा निगम का शासकीय ढांचा।"

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के निर्देश-पदों का सम्बन्ध केवल उन विषयों से है जिनके लिए अनुमान-समिति ने सिफारिश की अथवा अन्य विषय भी सम्मिलित हैं ?

श्री हाथी : इसमें वे सब विषय सम्मिलित हैं जो निर्देश-पदों में हैं। यह मुख्यतः अनुमान-समिति की सिफारिशों तक ही सीमित नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि प्रधान मंत्री द्वारा तिलैया बांध के उद्घाटन के अवसर पर की गई दामोदर घाटी निगम की प्रशंसा के कारण समिति के काम में कुछ उलझन उत्पन्न हो गई है ?

श्री हाथी : श्रीमान्, मैं नहीं जानता ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुमान समिति के प्रतिवेदन के तैयार होने के पश्चात् कुछ और ऐसे तथ्यों का पता लगा है जिनकी समिति जांच करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय उन्हें प्रस्ताव क्यों नहीं दे देते ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि कुछ समय पूर्व प्रस्ताव सदन-पटल पर रखा गया था । यदि यह उपलब्ध नहीं है, मैं इसे दुबारा पटल पर रखूंगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : निर्देश का अन्तिम पद निगम का एक कुशल सचिव नियुक्त करना है । क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान सचिव को नियुक्त करने में इस समिति का मत अस्थायी रूप से लिया गया था ?

श्री हाथी : तथ्यतः, मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है । ऐसे कोई निर्देश-पद नहीं हैं जिनका सम्बन्ध सचिव की नियुक्ति से हो ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुमान समिति ने इस समिति की नियुक्ति के लिए कब सिफारिश की, यह कब नियुक्त हुई और कब इसने कार्य करना आरम्भ किया ?

श्री हाथी : समिति की नियुक्ति २० सितम्बर १९५२ के प्रस्ताव के आधार पर हुई । तथ्यतः, मैं अनुमान समिति के प्रतिवेदन का दिनांक नहीं जानता ।

संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल

***१०४८. डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ दल ने, जिसने हाल में ही दक्षिणी पूर्वी एशिया और औसीनिया की यात्रा की थी, भारत में भी सामूहिक विकास के कुछ क्षेत्रों का भ्रमण किया था ?

(ख) इस दल ने सामूहिक विकास के कितने क्षेत्रों का भ्रमण किया ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) आठ ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इस दल को भारत सरकार ने आमन्त्रित किया था अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी विशेष उद्देश्य से भेजा था ?

श्री हाथी : वह भारत सरकार की अनुमति से संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशानुसार आया था ।

डा० राम सुभग सिंह : उस भ्रमण का उद्देश्य क्या था ?

श्री हाथी : इस दल का उद्देश्य भारत तथा अन्य एशियाई देशों का इस दृष्टि से भ्रमण करना था कि इन देशों में किस सीमा तक सामूहिक परियोजनाओं तथा अन्य विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा सकती है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार भारत में ऐसे कार्यक्रमों की व्यवस्था करने का है, जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने बताया, और यदि है तो कहां ?

श्री हाथी : मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि वे कार्यक्रमों को वास्तव में कहां लागू करेंगे ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह निश्चित रूप में जान लिया है कि इन विशेषज्ञों में से कितनों को अपने अपने देशों में सामूहिक विकास परियोजनाओं को लागू करने का अनुभव है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए है और सरकार ने, वास्तव में, इन बातों की निश्चित रूप से पूछ ताछ नहीं की ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार इस दल के विचारों का पता लगा सकी है अथवा जान सकी है ?

श्री हाथी : इस दल के शासकीय प्रतिवेदन की प्रतीक्षा हो रही है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि भारत की सामूहिक परियोजनाओं से संयुक्त राष्ट्र संघ का किस रूप में सम्बन्ध है ?

श्री हाथी : इस दल ने सामूहिक परियोजनाओं के आठ केन्द्रों का भ्रमण किया।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि भारत की सामूहिक परियोजनाओं से संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे सम्बन्धित है ?

श्री हाथी : संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता था कि यह दल एशियाई देशों में जाये और देखे कि यह कार्य कैसे हो रहे हैं और इसके आगे उनका कितना विकास किया जा सकता है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि इन विशेषज्ञों ने उस समय जब वे इन सामूहिक परियोजनाओं को देखने गये, वहां के मुख्य अधिकारियों तथा स्थानीय मजदूरों के साथ भी विचार विनिमय किया ?

श्री हाथी : वे स्थानीय अधिकारियों तथा मजदूरों से नहीं मिले ।

कोयला संसाधनों का उपयोग

*१०४९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका ध्यान विज्ञान कांग्रेस के इन्जीनीयरी तथा धातुविज्ञान विभाग के सभापति डा० एस० के० सरकार के उस भाषण में प्रख्यापित कोयला संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी एक युक्तिमूलक नीति की ओर आकर्षित किया गया है जो ४ जनवरी १९५३, रविवार को लखनऊ में हुआ था, और बतायेंगे कि :

(क) इस बारे में कांग्रेस की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार का रवैया क्या है;

(ग) उन्हें अल्प-काल या दीर्घ-काल अथवा दोनों के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी;

(घ) क्या कांग्रेस द्वारा निर्णित उद्देश्यों पर सरकार विचार कर चुकी है; तथा

(ङ) यदि कर चुकी है तो उन्हें अपनाने में वित्तीय तथा अन्य क्या उलझनें हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : सरकार ने डा० सरकार के भाषण की एक प्रति देखी है ।

(क) विज्ञान-कांग्रेस ने कोई सिफारिशें नहीं की है ।

(ख) से (ङ). डा० सरकार के भाषण में जिन विषयों का उल्लेख है सरकार उन पर विचार कर रही है।

डा० जयसूर्य : क्या सरकार को ह्विटकर से कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान् मुझे ऐसी किसी सिफारिश का पता नहीं है।

भारतीय वस्त्र के लिये विदेशी बाजार

***१०५०. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-संचालक, श्री कुमारन नायर ने, विदेशों में भारतीय वस्त्रों के लिए बाज़ार की स्थिति का अध्ययन करने के लिए पश्चात् क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) इस उद्देश्य से वे किन किन देशों में गये ;

(ग) क्या इन सिफारिशों की जांच कर ली गई है ; तथा

(घ) यदि जांच हो गई है तो क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) बर्मा, थाईलैण्ड, मलाया, इण्डोनेशिया, तथा लंका।

(ग) हां।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि निर्यात-कर का मूल्य अनुसार २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रति शत करने से किस सीमा तक सहायता मिली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्यात-कर में इस कमी के होने के क्या परिणाम हुए, के विषय में अभी कोई बात निश्चयात्मक रूप से कहना समय से बहुत पहिले है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार ने भारत के विभिन्न वस्त्र-उद्योगों में, देश के समस्त उत्पादकों में निर्यात की निश्चित मात्रा (कोटा) का वितरण करने की सम्भावना तथा सम्भान्यता पर विचार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सूती कपड़े का सम्बन्ध है, उसका कोई कोटा (निश्चित मात्रा) नहीं है यह मुक्त है। कोई भी निर्यात कर सकता है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सब स्थानों से व्यक्ति निर्यात कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, कोई भी निर्यात कर सकता है।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या निर्यात ने हमारे हाथ-करघा माल के लिए भी कोई बाज़ार ढूंढ निकाला है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्बन्धित अधिकारी वहां के बाज़ार का पर्यालोकन करने गया था न कि संप्रेरित करने गया हो। उसने एक प्रतिवेदन दे दिया है। विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है। इसमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि क्या कार्यवाही की गई है। व्यापारियों को बता दिया गया है कि विदेशों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अपनी पहुंच के ढंगों में कैसे सुधार किया जाये। इससे विदेशों के बाज़ार में अपनी स्थिति सुधर जायेगी।

श्री पुन्नूस : क्या यह सत्य है कि हमारे हाथ-करघा के माल के लिए बाज़ार ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् वास्तव में, इस अधिकारी को भेजने के मुख्य कारणों में एक कारण हाथकरघा के माल के बाज़ार की स्थिति का पता लगाना था।

श्री नानादास : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि हाथ-करघा के सूती वस्त्र से सम्बन्धित उसके अब तक के अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उसके अध्ययन का परिणाम प्रतिवेदन में निहित है। माननीय सदस्य विवरण पढ़ने की कृपा करें।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि जब यह अधिकारी विदेशों को गया तो क्या वह अपने साथ हाथ-करघा के उन कपड़ों के नमूने ले गया था जिनका सम्भरण हो सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं कि वह व्यापार के लिए संप्रेरित करने नहीं गया था। वह केवल बाज़ार का अध्ययन करने गया था।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कपड़े की किस्म को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है ताकि देश के सम्मान को धक्का न लगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस अधिकारी ने भेजे गये कपड़े की किस्म और उससे की गई शिकायतों का वर्णन किया है। सरकार निर्यात के लिए कपड़े की किस्म का नियंत्रण की कोई व्यवस्था करने के बारे में उद्योग से सहमत होने के लिए ज़ोर देती रही है। इस मामले पर सूती वस्त्र निधि समिति ने तुरन्त ध्यान दिया और एक उप-समिति नियुक्त कर दी। उप-समिति ने कुछ सिफ़ारिशें की हैं। अब प्रश्न यह है कि निरीक्षण स्वेच्छापूर्वक अपनाया जाये अथवा यह अनिवार्य हो। श्रीमान् इस मामले पर वार्ता चल रही है।

श्री वाभी : क्या हम जान सकते हैं कि मिल के कपड़े की और हाथ करघा के कपड़ की वह अत्यधिक मात्रा क्या है जिनके लिए निकट भविष्य में विदेशी बाज़ार प्राप्त कर लेने की आशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मिल के कपड़े के लिए हमारा लक्ष्य दस लाख हज़ार गज़ का है। हमें यह प्राप्त हो सकेगा अथवा नहीं, यह वास्तव में छानबीन करने का विषय है। हाथ-करघा के कपड़े के लिए, हमारे निर्यात-बाज़ार में परिवर्तन होते रहे हैं। मैं समझता हूं कि गत वर्ष यह ५०० से ६०० लाख गज़ के आस पास रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मन्त्री ने बताया कि १९५२ म १०,००० लाख गज़ कपड़ा निर्यात के लिए तैयार था। श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उस सम्पूर्ण मात्रा का निर्यात हो गया है क्योंकि निर्यात कर में कमी हो गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है, श्रीमान् कि मेरी बात का माननीय सदस्य ने ग़लत अर्थ समझा है। मैंने यही नहीं कहा कि कोई वस्तु तैयार थी। इस वर्ष के लिए हमारा लक्ष्य १०,००० लाख गज़ का था।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन बाज़ारों में भारत के व्यापार के, कौन कौन शक्तिशाली तथा सतर्क स्पर्थी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, संयुक्त साम्राज्य तथा जापान—जापान संयुक्त साम्राज्य की अपेक्षा अधिक है।

संयुक्त राज्य अमरीका में व्यापार करने वाले भारतीयों पर प्रतिबन्ध

*१०५५. **श्री केलप्पन :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका में सम्पत्ति अर्जन करने के मामले में भारतीय नागरिकों पर क्या प्रतिबन्ध हैं ?

(ख) क्या भारत में सम्पत्ति अर्जन करने तथा व्यापार करने के मामले में अमरीका के नागरिकों पर भी कोई प्रतिबन्ध है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका के कुछ थोड़े से राज्यों में विदेशियों के सम्पत्ति अर्जन करने पर प्रतिबन्ध है, तथापि राज्यों की बहुसंख्या इसके लिए अमरीका के नागरिकों और विदेशियों में कोई भेदभाव नहीं रखती। इसी प्रकार भारत में सम्पत्ति के अर्जन करने में अमरीका के नागरिकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यद्यपि कुछ राज्यों में इस मामले में कुछ प्रतिबन्ध हैं।

जहां तक अमरीका-नागरिकों द्वारा भारत में व्यापार करने पर प्रतिबन्ध होने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का ध्यान वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री द्वारा १२ दिसम्बर १९५२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जहां सम्पत्ति अर्जन करने के मामले में भारतीयों पर अब भी प्रतिबन्ध हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : संयुक्त राज्य ? हमने उन राज्यों के नाम जानने के लिए प्रार्थना की है। हम नाम नहीं जानते।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं ऐसे राज्यों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे प्रतिवेदन में उल्लेख है "केवल थोड़े से राज्य"। हमने विशेष सूचना के लिए प्रार्थना की है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस समय कितने अमरीकी-नागरिक भारत में सम्पत्ति के स्वामी हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री बी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में अमरीका के नागरिकों द्वारा अर्जित सम्पूर्ण सम्पत्ति का मूल्य क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

डा० जयसूर्य : क्या किसी भारत के नागरिक ने अमरीका में सम्पत्ति अर्जित की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान्।

श्री केलप्पन : विवरण से मुझे पता लगा है कि व्यापारियों के लिए यह पूर्णतः असम्भव है कि वे अपने प्रवेश पत्रों के अवधि-काल बढ़वा सकें। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि अमरीका में व्यापार करना भारतीयों के लिए पूर्णतः असम्भव है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं यह नहीं कहूंगा कि यह असम्भव है, परन्तु प्रायः यह बहुत ही कठिन है।

श्री पी० टी० चाको : उन राज्यों में जो भारतीयों के सम्पत्ति अर्जन करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते, क्या मैं जान सकता हूं कि वहां भी ठहरने के समय पर कोई प्रतिबन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस काल में ?

श्री अनिल के० चन्दा : आप्रवासी नियमों के अनुसार, प्रवेश-पत्र में विशेष काल की अवधि का उल्लेख होता है तथा उसके समाप्त होने पर उन्हें स्थान छोड़ना पड़ता है।

सेठ गोविन्द दास : जिन स्टेटों में अमरीका में इस प्रकार के प्रतिबन्ध हैं भारतीयों के ऊपर, क्या वे वही स्टेट्स

कि जहां पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध हवशियों पर और दूसरी जातियों पर हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मैं पहिले बता चुका हूं कि हम उन विशेष राज्यों के नाम नहीं जानते जहां हमारे नागरिकों पर कुछ प्रतिबन्ध हैं । हम यह सूचना फिर देंगे।

श्री के० जी० देशमुख : इन राज्यों में सम्पत्ति-अर्जन करने पर कुछ प्रतिबन्ध हैं, क्या वहां भारतीयों के व्यापार करने पर प्रतिबन्ध हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री केलप्पन : इन मामलों में, क्या सरकार दूसरे देशों के व्यवहार करने में अन्योन्यता की नीति अपनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान् । हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक समझौते पर वार्ता कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में अन्योन्यता पर निश्चित रूप से वाद विवाद हो रहा है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान् विवरण में मैंने पढ़ा है कि कुछ व्यापारियों से कहा जाता है कि वे अमरीका में आने के पूर्व ५०० डालर से १००० डालर तक के कारण भर कर दें । क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को इसकी सूचना दी है और उनसे यह शर्त हटाने की प्रार्थना की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये सब अमरीका के आप्रवासी नियमों के कारण हैं । जैसा कि मैंने बताया कि जिस समझौते पर हम संयुक्त राज्य अमरीका से वार्ता कर रहे हैं उसमें अन्योन्यता के प्रश्न पर वादाववाद हो रहा है ।

श्री पी० टी० चाको क्या सरकार का ध्यान उन मामलों की ओर आकर्षित किया गया है जहां कुछ भारतीय नागरिकों को, प्रवेश-पत्र में नियत समय समाप्त होने से भी पूर्व, देश से निकल जाने को कहा गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है । यदि कोई अलग प्रश्न किया जाता है तो मैं अवश्य उसका उत्तर दूंगा ।

समझौतों तथा सधियों का लोक सभा द्वारा अनुमोदन

*१०५७. **श्री लक्ष्मन सिंह चरक** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूसरे देशों के साथ हुए समझौतों आदि पर लोक सभा में विचार विनिमय करने के औचित्य पर विचार करने तथा भविष्य में समस्त समझौतों व सन्धियों का लोकसभा से अनुमोदन करने का है; तथा

(ख) उत्तर नाकारात्मक में है तो उसके क्या कारण हैं और भारतीय गणराज्य में ऐसी प्रथा चलाने में सरकार को क्या कठिनाइयां है ?

वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ग). संविधान के अन्तर्गत कार्यकारी सरकार को समझौते करने का अधिकार अधिष्ठित किया गया है । समझौते करने में, इसके विस्तृत अर्थों में, सब प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते सम्मिलित हैं और, वर्तमान परिस्थितियों में, प्रायः अनेकों ऐसे समझौते करने पड़ते हैं । इसलिए, यह एक कार्यकारी कार्य समझा जाता है । इन सब समझौतों को अनुमोदन के लिए लोक सभा में रखने से, लोक सभा का पर्याप्त समय इसमें लगने के अतिरिक्त, देरी होगी और इसके परिणामस्वरूप अन्य क्रियात्मक

कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। एक सन्धि अथवा एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता या तो स्वीकार किया जा सकता है और या अस्वीकार किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन नहीं हो सकते क्योंकि इसके अन्य पक्ष भी होते हैं।

२. ऐसी सन्धियां अथवा समझौते लोक सभा द्वारा बनाई गई सामान्य नीति के अनुरूप होते हैं। जहां कहीं उस सामान्य नीति से भिन्नता होगी वहां लोकसभा से परामर्श करना निश्चय ही उचित होगा और जहां कहीं समझौते के उपबन्धों के परिपालन के लिए क़ानून की आवश्यकता है, इसे लोकसभा में आना पड़ेगा।

३. कोई भी सन्धि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समझौता सदन पटल पर रखा जायेगा, सरकार इसे आवश्यक या उचित नहीं समझती कि इस मामले में कोई नई प्रथा चलाई जाये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि संयुक्त साम्राज्य में क्या प्रथा है ? मैं समझता हूं कि संयुक्त साम्राज्य में सन्धियों को सदन में, इससे पूर्व कि कुछ निर्णय किया जाये, प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विचार विनिमय करने की अनुमति होती है। अतः, यहां भी सरकार का उसी ढंग से पालन करने की इच्छा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित नियम यह है कि सन्धि करना एक कार्यकारो क्रिया है जबकि उसके बन्धनों का पालन करने में यदि उसमें वर्तमान ग्रह-नियमों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वैधानिक-अनुमति लेनी पड़ती है।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता है कि सरकार का विचार सन्धियों तथा समझौतों की प्रतियां, जब वे होते हैं, सदस्यों को भेजने का है, चाहे लोक सभा का अधिवेशन चल रहा हो अथवा नहीं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं अपने उत्तर के अन्तिम भाग में बता चुका हूं कि सन्धियां और अन्तर्राष्ट्रीय समझौते सदन पटल पर रखे जायेंगे।

फिजी को निर्यात

१०५८. श्री सी० आर० चौधरी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या फिजी की उपनिवेशिक सरकार ने कोई प्रतिबन्ध लगाया था अथवा सूती वस्त्र, कृत्रिम रेशमी वस्त्र, सीमेन्ट तथा दियासलाई आदि के फिजी को आयात पर कोई प्रतिबन्ध लगाये थे; तथा

(ख) १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में फिजी को किये गये सूती वस्त्र, कृत्रिम रेशम, सीमेन्ट तथा दियासलाई आदि के निर्यात का रुपयों में मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यदि भारतीय वस्तुओं की ओर निर्देश है तो उत्तर नकारात्मक है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १२**]

श्री सी० आर० चौधरी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या हमारा निर्यात फ़िजी के बाज़ारों की मांगों की पूर्ति कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मुझे सन्देह है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि फ़िजी तथा दक्षिणी-पूर्वी

एशियाई बाज़ारों में जापान हमारा प्रतिस्पर्धी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सम्भव है, परन्तु मैं पूर्व सूचना चाहूंगा, श्रीमान।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि फ़िजी द्वीप-समूह को हमारे निर्यात में सुधार करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ठीक उसी प्रकार जैसे हम दूसरे देशों के बारे में अपने राजनैतिक प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि फिजी सरकार दो शीर्षकों, 'स्तर' तथा 'पसन्द', के अन्तर्गत निर्यात-कर लगाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या फ़िजी में हमारा कोई व्यापार-आयुक्त है; यदि हमारा कोई नहीं है, तो फिजी द्वीप समूह सम्बन्धी कार्यभार कौन संभाले है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं स्थिति की जांच करना चाहूंगा। यदि माननीय सदस्य प्रश्न लिख दें तो मैं उत्तर दूंगा।

कुटीर उद्योग

*१०५९. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कुटीर उद्योग क्या क्या हैं जिनके विकास के लिए सरकार ने उच्चतम प्राथमिकता देने का निश्चय किया है और इन उद्योगों के विकास तथा बड़े बड़े उद्योगों की स्पर्धा से इनकी सुरक्षा करने की दृष्टि से सरकार वास्तव में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १३]

श्री मादिया गौडा : क्या मैं जान सकता हूं कि व्यक्तियों की प्रशिक्षा के लिए कोई प्रशिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया है। यदि किया गया है तो कहां और किस उद्योग की प्रशिक्षा देने के लिए ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, जो कुछ विवरण में लिखा है उसके अतिरिक्त कुछ और बताने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री मादिया गौडा : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ग्राम-धन्नियों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बड़ी-बड़ी तेल की निर्माणशालाओं से सुरक्षित रखने के लिए कुछ किया गया है अथवा नहीं ?

श्री करमरकर : मंत्रालय द्वारा स्थापित ग्राम-उद्योग-परिषद् इस मामले की देख भाल करेगी।

श्री मादिया गौडा : क्या अब तक कुछ किया गया है

श्री करमरकर : महत्वपूर्ण कुछ नहीं किया गया है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह समझा जाता है कि इन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए मशीन से बनी हुई वस्तुओं पर कर लगाया जायेगा जैसा कि हाथ करघा उद्योग के मामले में हो रहा है ?

श्री करमरकर : सन्देह नहीं है कि कदाचित माननीय सदस्य को यह ज्ञान है कि हाथ से बने हुए कपड़े को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हम तीन पाई प्रति गज़ मिल के बने वस्त्र पर कर लगाने का विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह समस्त उद्योगों के बारे में जानना चाहते ह।

श्री करमरकर : हमारा कोई विचार नहीं है । मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नानादास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या चमड़े की वस्तुओं की निर्माण-शालाओं को कोई विशेष प्राथमिकता दी गई है ?

श्री करमरकर : श्रीमान् निम्नलिखित हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दी गई है :—खेल की वस्तुए, शीशा का सामान, जूते तथा चमड़े की वस्तुएं । यह विवरण में दिया हुआ है ।

श्री राघवय्या : विवरण से मुझे पता लगा है कि खादी तथा हाथ-करघा उद्योग के विकास के लिए दो परिषद् बनाई गई हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या इन दो परिषदों का एकीकरण करके कर्मचारियों की संख्या में कमी करना सम्भव नहीं है ?

श्री करमरकर : हमने दो परिषदें स्थापित की थीं क्योंकि हम इन्हें आवश्यक समझते थे ।

श्री राघवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या हाथ करघा परिषद् में हाथ-करघा बुनकरों की संस्था का कोई प्रतिनिधि है ?

श्री करमरकर : संस्था की स्थापना किसी विशेष संस्था को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से नहीं हुई थी। हमने अपनी ओर से ऐसे योग्य व्यक्तियों को चुना था जो हाथ-करघा के कार्य में प्रगति कर सकें और मेरे माननीय मित्र को पता लगेगा कि उनमें से कुछ हाथ-करघा कार्य से सम्बन्धित हैं ।

श्री राघवय्या : विवरण से मुझे पता लगा है कि ये सब विशेषज्ञ भारत सरकार के कर्मचारी हैं और किसी भी हाथ-करघा बुनकरों की संस्था के प्रतिनिधि नहीं ह ।

श्री करमरकर : यदि मेरे माननीय मित्र व्यक्तियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो उन्हें निस्संदेह ही यह विदित हो जायेगा कि ग़ैर-सरकारी कामकरों में कुछ ऐसे हैं जो हाथ-करघा उद्योग के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हैं ।

श्री राघवय्या : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं........

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम यह हाथ करघा उद्योग पर कोई वादविवाद कर रहे हैं ? सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से प्रश्न किये जाने चाहिए । माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री को इस बात से सहमत करना चाहते हैं कि बुनकरों की संस्था का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है । माननीय मन्त्री इससे सहमत नहीं हैं ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कुटीर-उद्योग की वस्तुओं पर कोई भारी निर्यात कर लगाया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आयात-निर्यात कर अनुसूची में मिलेगा । यह थोड़ा है अथवा अधिक, एक भिन्न विषय है । सदस्य को चाहिए कि वह तुलना करें कि यह थोड़ा है अथवा अधिक ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूर्ण रूप से जानते हैं कि उस सूचना के लिए, जो छपी पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि से उपलब्ध हो सकती है, सदन में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए।

श्री करमरकर : श्रीमान् मैंने कहा था कि सरकार हाथ-करघा तथा हाथ को बनी वस्तुओं की उत्पत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहती है न कि निरुत्साह करना । अतः हमारा विचार कोई निर्यात-कर लगाने का नहीं है ।

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन अल्प-माप उद्योगों की टैक्निकल प्रक्रियाओं को उत्तम बनाने की दृष्टि से सरकार ने तक तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : हबुआगंज में एक केन्द्र स्थापित करने की एक योजना विचाराधीन थी । निस्संदेह नई परिषद् इस मामले को आगे बढ़ायेगी । वास्तव में, उद्देश्यों में से यह एक है ।

श्री राघवय्या : विवरण में कहा गया है कि कुटीर-उद्योगों तथा हाथ-करघा उद्योगों के विकास के बहुत से ढंगों से एक यह है कि उत्पादन-क्षेत्रों का संरक्षण किया जाये । भारत सरकार द्वारा किये गये ऐसे संरक्षण के परिणामस्वरूप क्या बड़े बड़े उद्योगों में से मज़दूरों को निकाला नहीं जायेगा ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यदि अल्प-माप वाले उद्योग के भले के लिए होने वाले संरक्षण के फलस्वरूप कुछ मज़दूरों को नौक-रियों से हटा दिया गया तो सरकार अल्प-माप उद्योग के हित के लिए इस ओर ध्यान नहीं देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार इस परिषद् में इन सम्बन्धित उद्योगों के प्रतिनिधि लेने का है ?

श्री करमरकर : हम इसे इस दृष्टि-कोण से नहीं देखते । हमें पूर्ण रूप से इसका ज्ञान है और व्यक्तियों को नियुक्त करने में हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि उद्योग को सर्वोत्तम सुविधा कैसे मिलेगी, और निसंदेह बहुत से विचारों में से यह एक है कि परिषद् में ऐसे व्यतियों को रखा जाये जो अल्प-माप उद्योगों के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करने तथा उन्हें सहायता देने में कुशल हों ।

नमक

*१०६१. **श्री झूलन सिन्हा :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उत्पन्न होने वाले नमक की किस्म को उत्तम बनाने के लिए क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

(ख) किस राज्य ने मनोनयन रीति से वितरण करने के निषेद की सिफारिश की है और सरकार ने उस पर कैसे विचार किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नमक की किस्म उत्पादन के वैज्ञानिक ढंगों के अपनाने से उत्तम की जा सकती है । इनमें जमाने तथा दानेदार बनाने के क्षेत्रों के बीच यथोचित अनुपात बनाये रखने की दृष्टि से कढ़ाओं को पुनः एक पंक्ति में रखना भी सम्मिलित है । नमक-विभाग वैयक्तिक निर्माताओं को टैक्निकल परामर्श दे रहा है और बम्बई में बडाला स्थान पर नमूने के रुप में एक निर्माणशाला चला रहा है, जिसका उद्देश्य आधुनिक निर्माण-ढंगों के महत्व का तथा निर्माणशालाओं के वैज्ञानिक नक्शा प्रदर्शन करना था । दूसरी नमूने की निर्माण-शाला शीघ्र ही टूटीकोरिन में स्थापित होगी । खाने योग्य नमक के लिए प्रति वर्ष क्षारातु-नीरेय का न्यूनतम स्तर निश्चित किया जाता है और यह प्रति वर्ष धीरे २ बढ़ रहा है, ताकि अन्त में भारतीय-स्तर-संस्था की सिफ़ारिशों के अनुसार ९६ प्रतिशत का स्तर प्राप्त हो जाये । कुल उत्पादन-क्षेत्रों में निर्माताओं द्वारा बनाये गये नमक की किस्म का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालायें स्थापित कर दी गई हैं और नमक विभाग अल्प-स्तर वालें नमक का खाने के लिए निकालने पर प्रतिबन्ध लगा कर निश्चित-स्तर को लागू करता है । नमूने की और अधिक निर्माण-

शालाओं और परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने पर विचार हो रहा है। सौराष्ट्र में भावनगर स्थान पर एक केन्द्रीय नमक अनुसन्धान केन्द्र भी खोला जा रहा है। यह केन्द्र वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में नमक सम्बन्धी समस्याओं की जांच पड़ताल करेगा।

(ख) जिन राज्यों में विवरण की मनोनयन प्रणाली प्रचलित है उनमें से किसी ने भी इसको समाप्त करने की सिफ़ारिश नहीं की है।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय-स्तर संस्था द्वारा स्थापित उच्चतम-स्तर तक पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस वर्ष प्रतिशत ९४ निश्चित की गई है। आगामी वर्ष यह ९५ अथवा ९६ होगी। कुछ भी सही, भारतीय-स्तर-संस्था द्वारा स्थापित स्तर को तीन वर्ष में प्राप्त कर लिया जायेगा, यह आशा की जाती है।

श्री झूलन सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि उन राज्यों से, जहां वितरण की मनोनयन-प्रणाली प्रचलित नहीं है, इस प्रणाली को अपनाने की सिफ़ारिश की गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं, हमने उन राज्यों से, जिन्होंने मनोनयन-प्रणाली को नहीं अपनाया, यह नहीं पूछा है कि वे उसे अपनायेंगे अथवा नहीं।

श्री नाना दास : मद्रास राज्य के पूर्वी जिलों में नमक की किस्म को उत्तम बनाने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : वह उत्तर जो मैं ने दिया है समस्त भारत में समस्त नमक-उत्पादन-क्षेत्रों पर लागू होता है।

श्री राघवय्या : माननीय मन्त्री के उत्तर से यह प्रत्यक्ष है कि नमक-निर्माताओं को टैक्नीकल सहायता दी जाती है परन्तु मैंने पूछ ताछ की है और मुझे बताया गया है कि कोई टैक्नीकल सहायता नहीं दी जाती। क्या मैं जान सकता हूं कि यह वास्तव में सत्य है कि नमक के उत्पादन के मामले में और क्षारातु-नीरीय-अन्तर्वस्तु में वृद्धि करने की दृष्टि से नमक निर्माताओं को परामर्श देने के लिए टैक्नीसियेनों को नियुक्त किया गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि इसके लिए हमें टैक्निीसियन नियुक्त करने चाहिए। मैं उत्तर दे चुका हूं कि हमने नमूने के केन्द्र स्थापित किये हैं। हमने परीक्षण प्रयोग-शालायें भी खोली हैं। हमारा विचार भावनगर में नमक-अनुसन्धान के केन्द्र खोलने का है। सरकार ने यह कार्यवाहियां की हैं। यदि माननीय सदस्य का सुझाव यह है कि टैक्नीसियनों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया जाये तो मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस पर विचार किया जायेगा।

श्री मुहीउद्दीन : क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई तथा मद्रास राज्य से निर्माताओं द्वारा दक्षिण को भेजे जाने वाले नमक में धूल आदि की कितनी प्रतिशत होती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नमक, किस नमूने के अनुसार ? किन क्षेत्रों में ? किन स्थानों में ? इन प्रश्नों के उत्तर जाने बिना, मैं धूल आदि की प्रतिशत नहीं बता सकता।

श्री टी० एस० ए० चट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या दक्षिण में नमक-उत्पादक केन्द्रों को, उन मामलों में जहां धूल आदि आवश्यक-स्तर के अनुसार नहीं है, समय दिया जायेगा ताकि नमक-उद्योग को

समायोजन करने का अवसर मिल जाये, और उद्योग पूर्णतः नष्ट न हो ?

श्री के० सी० रेड्डी : समय दिया जा चुका है। गत वर्ष के लिए प्रतिशत ९४ निश्चित की गई थी। हमने नमक उद्योग को स्वयं समायोजन करने की दृष्टि से इसे घटा कर ९३ कर दिया। वास्तव में, माननीय सदस्य द्वारा दिये सुझाव का अनुसरण मंत्रालय ने पहिले ही कर लिया है।

श्री राघवय्या : क्या सरकार को विदित है कि नमक उत्पादकों को कोई टैकनीकल सहायता नहीं दी जाती, यद्यपि माननीय मंत्री विभिन्न राज्यों की सरकारों को ऐसा करने की आज्ञा दे चुके हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : यह साधारण प्रश्न किस बारे में है ? मैं माननीय सदस्य को केवल सूचना दूंगा कि माननीय मंत्री यह सब बता चुके हैं जिसकी व्यवस्था की गई है। यदि किसी मामले में परामर्श की प्रार्थना की गई थी और वह नहीं दिया गया तो उस मामले पर माननीय मंत्री से वार्ता की जा सकती है। शिकायतें अवश्य होनी चाहिएं, परन्तु ये तथा यह शिकायत वहां हैं अथवा नहीं—यह बहुत साधारण प्रश्न हैं। कम से कम ऐसे दो प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

श्री के० सी० रेड्डी : मैं यह बता दूं कि सरकार का विचार कुछ और नमूने की निर्माणशालायें स्थापित करने का है; उदाहरण के लिए, एक ट्रावनकोर में; एक उड़ीसा में; एक मद्रास में; और अन्य अन्य क्षेत्रों में। नमक उद्योग को अधिक और अधिक टैक्नीकल परामर्श देने के उद्देश्य से ही सरकार एक बड़ी योजना पर विचार कर रही है। यथोचित काल में, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी, जो प्रश्न करते हैं, उस कार्य से सन्तुष्ट होंगे जो वे कर सके हैं।

श्री राघवय्या : क्या आन्ध्र में ऐसी कोई नमून की निर्माणशाला है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री नाना दास : मैं जान सकता हूं कि नमक-उत्पादकों को टैक्नीकल ज्ञान की सहायता देने से गत वर्ष क्या ठोस प्रगति हुई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नमक की किस्म धीरे धीरे उत्तमतर हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां प्रशासकीय प्रतिवेदन भी हैं। माननीय सदस्य उन्हें पढ़ सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं नमूने के फार्मो की संख्या जान सकता हूं, और क्या यह भी जान सकता हूं कि इन फार्मो से एकत्रित की गई सूचना नमक उत्पादकों को किस प्रकार दी जाती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। बम्बई में बडाला स्थान पर एक नमूने का फार्म है और शीघ्र ही टूटीकोरिन में एक और नमूने का फार्म स्थापित किया जायेगा। जैसा कि मैं पहिले बता चुका हूं कि कुछ और नमूने के फार्म खोलने के प्रस्ताव हैं और इन फार्मों में जो काम होता है वह फैल जायेगा और फैला दिया जायेगा।

श्री वी० पी० नायर : परन्तु कैसे ?

श्री के० सी० रेड्डी : सामान्य प्रतिक्रियाओं द्वारा।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहूंगा कि वे सामान्य प्रक्रियायें क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

अल्प-विकसित राज्यों का विकास

*१०६२. **श्री बेली राम दास** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अल्प-विकसित राज्यों जैसे आसाम, उड़ीसा, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आदि के विकास के लिए तथा उन्हें भारत के अत्यधिक उन्नतिशील राज्यों के समान बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

(ख) इन राज्यों के विकास के लिए और कितने अधिक धन की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई तथा शक्ति उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अल्प-विकसित राज्यों के विकास की समस्या अवस्थानुसार पूरी होगी । कभी कभी अविकासीय व्यय, जैसे शासन को शक्तिशाली करने का, विकास-व्यय को बढ़ाने के लिए पूर्वअपेक्षित होता है । राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत किसी राज्य को केन्द्र की सहायता निश्चित करने में, वहीं प्राप्त हो सकने वाले संसाधनों के साथ साथ योजनाओं को चालू रखने के सम्बन्ध में दिये गये वचनों को भी प्रायः ध्यान में रखा जाता है । इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनके लिए मुख्यरूप से केन्द्र-सरकार धन की व्यवस्था करती है और उनसे अल्प-विकसित राज्यों को लाभ होता है ।

(ख) विभिन्न राज्यों के विकास के लिए धन की व्यवस्था का विवरण पंचवर्षीय योजना में दिया गया है ।

श्री बेली राम दास : विकास-योजनाओं को इन राज्यों के लिये नियत करने का आधार क्या है ? क्या यह जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है ?

श्री हाथी : जन-संख्या तथा क्षेत्रफल को आधार मानना आवश्यक नहीं है ।

श्री बेली राम दास : नियत करन में क्या सम्बन्धित राज्य की अनुमिति का भी ध्यान रखा जाता है ?

श्री हाथी : यह कारकों में से एक है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या कारण है कि योजना मंत्रालय ने अधिक विकसित राज्यों के अधिक से अधिक विकास के लिए कार्य-वाही करने में अधिक से अधिक ध्यान और अल्प-विकसित राज्यों की ओर कम से कम ध्यान दिया है ?

श्री हाथी : भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न पद हैं ।

श्री राघवाचारी : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र किन किन पदों में सहायता देने को तैयार है ?

श्री हाथी : भिन्न भिन्न राज्यों के पदों में भिन्नता है । यह राज्य के आन्तरिक संसाधनों तथा अपेक्षित योजना पर निर्भर है । इन कारकों के मिश्रण से निश्चित होगा कि किस विशेष पद पर सहायता दी जाये ।

श्री राघवाचारी : क्या यह निश्चित हो गया है कि मद्रास के लिए कौन कौन से पद हैं ?

श्री हाथी : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि विकास करने की दृष्टि से सौराष्ट्र राज्य की अनुन्नति की जांच पड़ताल के लिए एक समिति नियुक्त कर दी गई है ? यदि कर दी गई है तो अन्य राज्यों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि यह प्रश्न योजना-मन्त्रालय की बजाय राज्य मन्त्रालय से किया जाये ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या योजना आयोग ने इसके निर्धारण के लिए कोई

सिद्धान्त बना रखा है कि कौन राज्य विकसित है और कौन राज्य अविकसित ?

श्री हाथी : अब, श्रीमान्, प्रश्न का सम्बन्ध आसाम, उड़ीसा और विन्ध्य प्रदेश जैसे अनुन्नतशील राज्यों से था, और मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये अविकसित राज्य हैं । यदि माननीय सदस्य कुछ और सम्मिलित करना चाहते हैं तो वे यथोचित अवस्था में सुझाव दे सकते हैं ।

श्री अच्युतन : क्या हमें यह समझना चाहिए कि उड़ीसा, जो आधिक्य राज्य है, एक अनुन्नतिशील राज्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ राज्य किसी बात में पिछड़े हुए हो सकते हैं और अन्य बात में नहीं ।

श्री अच्युतन : परन्तु सिद्धान्त क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

फ्रांसीसी पुलिस का भारतीय गणराज्य प्रदेश में अनधिकार प्रवेश

*१०६३. **श्री वेंकटारमन :** (क) क्या प्रधान मन्त्री ३ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४५ के मेरे अभिपूरक प्रश्न का निर्देश करने की कृपा करेंगे और २१ फरवरी १९५३ को फ्रांसीसी पुलिस के भारतीय गणराज्य-प्रदेश में अनधिकार प्रवेश करने की घटना पर एक वक्तव्य देंगे ?

(ख) उस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों के चोट आई ?

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं का पुनःघटित होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उप-मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) दुर्घटना नट्टापक्कम ज़िला के पास भारत-फ्रांसीसी सीमा पर घटित हुई थी । कुछ मिलन-पक्षी विस्थापितों तथा फ्रांसीसी भारत की पुलिस के बीच कुछ झगड़ा था जिस ने तुलासिंगम, एक विस्थापित, को पकड़ने के लिए सीमा पार की । वे अपने प्रयत्नों में सफल रहे, परन्तु परिणामतः हुई आमने सामने की लड़ाई में एक पुलिस के आदमी के चोट आई जो बाद में प्राणांतक सिद्ध हुई ।

(ग) तुरंत ही पाण्डचेरी में फ्रांसीसी अधिकारियों को एक विरोध-पत्र भेजा गया जिन्होंने दुर्घटना की संयुक्त जांच का प्रस्ताव रखा है । मामला विचाराधीन है ।

श्री वेंकटारमन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि २१ फरवरी के पश्चात् ऐसी कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : २१ फरवरी के पश्चात् हमें ऐसी दुर्घटनाओं की और कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री वेंकटारमन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि भारत के सीमान्त प्रदेश में प्रति वार बैठक बुलाई जाती है अथवा उद्घोषणा की जाती है कि फ्रांसीसी पुलिस ने सम्बन्धित व्यक्तियों को पकड़ कर ले जाने के लिए भारतीय गणराज्य प्रदेश में अनधिकार प्रवेश किया है ।

श्री अनिल के० चन्दा : भूतकाल में कई बार हमें सूचना मिली थी कि फ्रांसीसी पुलिस ने हमारी सीमा में अनधिकार-प्रवेश किया है; परन्तु मैं नहीं समझता कि उन्होंने हमारे व्यक्तियों को पकड़ा था ।

श्री वेंकटारमन : मैं जान सकता हूं कि तुलासिंगम का क्या हुआ जिसे वे भारतीय प्रदेश से पकड़ कर ले गये थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : उस के विरुद्ध बंदीकरण का अधिपत्र था और वह अब तक फ्रांसीसी कारागार में है ।

श्री वेंकटारमन : क्या भारतीय गणराज्य में अनधिकार-प्रवेश करने तथा बंदीकरण अधिपत्र को कार्यरूप देने का यह फ्रांसीसी सरकार का ढंग है ? क्या वे कोई परदेशार्पण नहीं कर सकते थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस के कारण ही तो हम ने विरोध किया है । वे दावा करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रदेश में अनधिकार प्रवेश नहीं किया और वे अपने ही प्रदेश में थे ।

श्री वेंकटारमन : वह सामान्य जांच क्या है जिसका माननीय मंत्री ने अभी निर्देश किया था ? क्या इसमें भारतीय गण-राज्य प्रदेश का तथा फ्रांसीसी बस्ती का एक एक सदस्य होगा ? इस जांच समिति में कौन-कौन सदस्य होंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने बताया कि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और यह अभी तक अन्तिम रूप से तै नहीं हुआ है ।

श्री पी० टी० चाको : भारत सरकार द्वारा किये गये विरोध के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी बस्ती की सरकार ने क्या कभी किसी अधिकारी को, जो भारतीय प्रदेश में अनधिकार प्रवेश करता तथा मिलन-पक्षी व्यक्तियों पर आक्रमण करने का अपराध करता पाया गया, दण्ड दिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

श्री एन० पी० दामोदरन : फ्रांसीसी बस्तियों में तथा उन के आस पास असन्तोष-जनक परिस्थिति की दृष्टि से क्या सरकार ने भारत तथा भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के बीच पार-पत्र प्रणाली लागू करने के औचित्य पर विचार किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही करने के लिए यह एक सुझाव है ।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : क्या सरकार सीमान्त पुलिस को यह निर्देश देना सम्भव समझती है कि फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी पर जो भारतीय प्रदेश में आये तत्काल ही गोली चला दे ?

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही करने के लिए यह एक सुझाव है ।

श्री नानादास : क्या सरकार को अपने विरोधों का कोई उत्तर मिला है, यदि मिला है तो उसका सारांश क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं बता चुका हूं कि उन्होंने एक संयुक्त जांच का सुझाव रखा है । उनका कहना यह है कि फ्रांसीसी पुलिस फ्रांसीसी प्रदेश में थी, भारतीय प्रदेश में नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या पाण्डचेरी जैसे फ्रांसीसी प्रदेशों के सम्बन्ध में पारपत्र जैसी कोई प्रणाली पहिले से ही लागू नहीं है—कम से कम अरविन्द आश्रम जाने वाले व्यक्तियों को क्या कोई पारपत्र दिखाना पड़ता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : कोई निरन्तर पारपत्र प्रणाली नहीं है ; कदाचित् कुछ अनुमति पत्र की आवश्यकता हो सकती है ।

श्री पुन्नूस : क्या भारत सरकार की यह नीति है कि यहां आने वाले पुलिस के आदमियों के साथ हमारे प्रदेश के व्यक्ति ऐसा व्यवहार करें कि वे फिर यहां न आयें ?

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब सुझाव हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय दाण्डिक-संहिता के प्रावधानों की सहायता लेने के औचित्य पर तथा उनको जब वे हमारे प्रदेश में आयें, किसी हस्तक्षेप के अपराध पर बन्दी करने के औचित्य पर विचार किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस मामले पर हम ध्यान दे रहे हैं ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं के बार बार घटित होने की दृष्टि से क्या सरकार विरोध करने के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अनेक अवसरों पर सदन में इस विषय पर विचार विनिमय हो चुका है और प्रधान मंत्री ने इन बस्तियों के प्रति हमारे व्यवहार के सम्बन्ध में अनेक वक्तव्य दिये हैं । मैं नहीं समझता कि मैं इससे अधिक कुछ और बता सकता हूं ।

बनारसी वस्त्र

*१०८४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बनारसी वस्त्र उद्योग की अवनति इतनी तेजी से क्यों हो रही है;

(ख) बनारसी तथा भारत में बन अन्य रेशमी वस्त्रों पर अमेरिका, पाकिस्तान, सीलोन, बर्मा, मलाया तथा ईरान द्वारा आरोपित आयात-शुल्क की दर क्या है;

(ग) भारत में विदेशी रेशम पर आरोपित आयात तथा रक्षण-शुल्क दर क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि पाकिस्तान में बना बनारसी वस्त्र भारत में बने बनारसी वस्त्र की अपेक्षा विदेशों में सस्ता पड़ता है तथा विदेशी मार्किटें तेज़ी के साथ भारत के हाथ से निकली जा रही हैं; तथा

(ङ) इस उद्योग के विकास के लिए तथा विदेशों में इस की मार्किट के विस्तार के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) बनारसी वस्त्र उद्योग की अवनति के कारण हैं; कच्चे माल के चढ़े मूल्य के कारण वस्त्र के मूल्यों का चढ़ना, फैशन में परिवर्तन होना तथा पाकिस्तान बाज़ार का निकल जाना क्योंकि उस देश ने आयात-निर्यात-कर को बढ़ा दिया है । वस्त्र की मांग में कमी होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि बनारसी रेशम विलास-वस्तुएं हैं और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में जन-साधारण उनका क्रय नहीं कर सकते ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४**]

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध** संख्या १५]

(घ) विदेशों में हमारे व्यापारिक प्रतिनिधियों से प्राप्त सूचनाओं से विदित होता है कि ऐसा कोई चिह्न नहीं है कि भारत विदेशों में बनारसी वस्त्र के बाज़ार को खो रहा है । भारत तथा पाकिस्तान की रेशमी वस्तुओं के विदेशों में मूल्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथोचित समय में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार साड़ियों में सुनहरे धागे का स्तरीकरण, ज़रीदार कपड़े की किस्म का स्तरीकरण के प्रश्न पर विचार कर रही है और कच्चा माल क्रय करने के लिए बुनकरों को वित्तीय सहायता दे रही है ।

कुटीर-उद्योग-वस्तुएं, जिन में बनारसी कपड़ा सम्मिलित है, विदेशों से हुए व्यापारिक समझौते में निर्यात वस्तुओं की नामावली में सम्मिलित है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस बनारसी साड़ी का दाम पिछले दो वर्ष में आधा रह गया है अर्थात् आज इतना सस्ता हो गया है कि पहिले से ५० परसेंट कम हो गया है ?

श्री करमरकर : शायद होगा, शायद न होगा ।

श्री पी० टी० चाको : क्या यह सत्य है कि अनेक करों तथा शुल्कों के भार के फलस्वरूप बनारसी वस्त्र भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक महंगा है ?

श्री करमरकर : हमारा ऐसा विचार नहीं है, परन्तु हम इसका पता लगायेंगे ।

श्री बलवन्त सिन्हा मेहता : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में अपने ढंग की एक यही उद्योग है जिस में लगभग तीन लाख व्यक्ति काम करते हैं ?

श्री करमरकर : मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक अनोखा उद्योग है परन्तु यह नहीं जानता कि इस में तीन लाख व्यक्ति काम करते हैं या नहीं ।

श्री बलवन्त सिन्हा महता : ऐसे कितने उद्योग इसी प्रकार हानि उठा रहे हैं ?

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या बनारसी वस्त्र हाथ का कता तथा हाथ का बुना होता है और इसकी वार्षिक लगभग उत्तपत्ति क्या है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि बनारसी वस्त्र का अर्थ कपड़े पर ज़री का काम करना है, कपड़ा चाहे हाथ का कता तथा हाथ का बुना हो और चाहे वह मशीन का कता तथा मशीन का बुना हो ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि विदेशों में जो प्रदर्शनियां होती हैं उन में बनारस की साड़ियों और बनारस के कपड़े का प्रदर्शन किया जाता है ? यदि किया गया है तो उस का क्या नतीजा निकला ?

श्री करमरकर : जी हां । प्रदर्शनियां की जाती हैं, उनमें यह कपड़ा रखा जाता है और जो इस को पसन्द करता है वह लेते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मंत्री जी ने अभी बताया कि बनारसी कपड़े का फैशन पुराना हो गया है । क्या सरकार ने कोई ऐसा सुझाव सोचा है जिस से कि इस कपड़े की भी तरक्की की जा सके ?

श्री करमरकर : हां, अगर माननीय सभासद हमें खबर देंगे तो हम कोशिश करेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि पुराना होने पर भी विदेशों में बनारसी कपड़ा सब से अच्छा समझा जाता है ।

श्री करमरकर : जी हां, सब से अच्छा माना जाय यह हमारी आशा है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि बनारसी कपड़े के व्यापार को कायम रखने के लिए और वह गिरता न जाय इस से बचाने के लिए अभी तक सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किया है ?

श्री करमरकर : मैं ने कहा कि इस बारे में यू० पी० गवर्नमेंट ठीक प्रयत्न करती है और हम से जितना हो सकता है उतना हम भी करते हैं । इल्लस्ट्रेशन के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि (an adventurous Indian exporter in America came over to Banaras) और हमने उसे सहायता दी थी ।

सेठ गोविन्द दास : जो विदेशी प्रदर्शनियां विदेशी विभाग से सम्बन्धित होती हैं और जो विदेशी प्रदर्शनियां भारत सरकार के दूसरे विभागों के अन्तर्गत करायी जाती हैं क्या उन में इस कपड़े को रखने का प्रयत्न किया जाता है ?

श्री करमरकर : अभी भी रखते हैं । इस में कुछ प्रयत्न की जरूरत नहीं है । जब जब

विदेशी प्रदर्शनियां होती हैं यह कपड़ा रखा जाता है और पसन्द भी किया जाता है।

ट्रावनकोर-कोचीन में सामूहिक परियोजनाएं

***१०६५. प्रो० मैथ्यू** : (क) क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रावनकोर-कोचीन राज्य में कितने स्थानों पर सामूहिक परियोजना कार्य हो रहा है और इसने क्या प्रगति की है ?

(ख) क्या राज्य सरकार ने अन्य केन्द्र खोलने की सिफ़ारिश की है, यदि की है तो वे केन्द्र क्या क्या हैं ?

(ग) क्या आगामी दिनों में चालू किये जाने वाले केन्द्र उन केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे जिन के लिए राज्य सरकार ने सिफ़ारिश की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) दो। एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १६]

(ख) (१) शेरतलाई—कुट्टानाद क्षेत्र
(२) ऊवेला—रानी क्षेत्र;

(ग) पहिले की भांति ही, राज्य द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर छांट की जायेगी।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री हाथी : मैं पूर्व सूचना लेना चाहूंगा।

श्री ए० एम० टामस : मैं ने विवरण पढ़ा है। क्या सरकार अब तक की गई प्रगति से सन्तुष्ट है ? क्या सरकार को विदित है कि अब तक जो कार्य किया गया है वह ऐसा है जिसे ट्रावनकोर-कोचीन में एक साधारण गांव-पंचायत एक वर्ष में करती है।

श्री हाथी : यह तो प्रारम्भ ही है; जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, मेरा विचार है कि प्रगति में सुधार होगा।

श्री ए० एम० टामस : इस काम के लिए जितने अधिकारियों की आवश्यकता है क्या वे सब नियुक्त हो गये हैं ?

श्री हाथी : उन में से अधिकतर नियुक्त हो गये हैं।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या, वास्तव में, प्रस्तावित कार्यों के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण, इन कार्यों को नहीं चलाया जा रहा है ?

श्री हाथी : मैं ने पिछली बार बताया था कि ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रारम्भ में इन कठिनाइयों का विभिन्न स्थानों पर अनुभव किया गया। परन्तु सरकार ने उन की छान-बीन की है और वे दूर कर दी गई हैं और अब शिकायत का कारण नहीं है।

श्री ए० एम० टामस : क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय परामर्शदात्री समिति से सहयोग लिया जा रहा है ?

श्री हाथी : हां, स्थानीय जगहों पर समितियां हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से उत्पन्न होने पर मैं जान सकती हूं कि क्या अमरीका के टैक्नीकल सहायता प्रशासन ने इस के लिए कोई धन व्यय किया है, यदि किया है तो कितना ?

श्री हाथी : श्रीमान्, प्रायः इन व्ययों का डालरों तथा रुपयों में विभाजन हो जाता है, डालर-व्यय के लिए हम ने एक समझौता किया है और इस की एक प्रति मैं ने सदन पटल पर रख दी है। इस समझौता का विवरण "सामूहिक परियोजनायें—

उपलेख--रूपरेखा" नाम की पुस्तिका में दिया हुआ है । मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि विवरण में सम्मिलित विभिन्न पदों पर, जिन पर व्यय हो चुका है, कितना धन व्यय किया गया है ।

कुमारी एनी मस्करीन : इन परियोजनाओं पर हुए व्यय के सम्बन्ध में, मैं जान सकती हूं कि क्या आय व्यय का लेखा अमरीकी विशेषज्ञ रखते हैं या राज्य अधिकारी या दोनों मिलकर रखते हैं ?

श्री हाथी : वास्तव में, राज्यों द्वारा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : विवरण में यह कहा गया है कि पांच पशुजनन-सांडों के लिए आर्डर दे दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि उनकी यथास्थानों पर कब तक आने तथा उपलब्ध होने की आशा है ?

श्री हाथी : मुझे कोई सूचना नहीं है । मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री एन० पी० दामोदरन : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रों की छांट पूर्णतया राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दी गई है अथवा जनता के प्रतिनिधियों को भी विश्वासपात्र मान कर परामर्श किया जायेगा ?

श्री हाथी : स्वाभावतः राज्य सामान्य राय पर ध्यान रखेंगे ।

श्री पी० टी० चाको : इन्हें प्राप्त करने की विशेष स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि उस राज्य में सामूहिक योजनायें कोई ऐसा कार्य कर रही हैं जो अन्य राज्यों में सामूहिक योजनायें नहीं कर रही हैं ?

श्री हाथी : कौन से विशेष राज्य में ?

श्री पी० टी० चाको : ट्रावनकोर-कोचीन प्रश्न उसी राज्य के सम्बन्ध में है ।

श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि उस राज्य में कोई अन्य विशेष कार्य हो रहा है ।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष जिन सामूहिक परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ था उन में से क्या कोई योजना पूर्ण हो गई है अथवा इस वर्ष में कोई कार्य किया है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता--उन अर्थों में कोई कार्य । यदि उदाहरण के लिए आप तालों अथवा नहरें खोदने अथवा सड़कें बनाने जैसे कार्यों को लेते हैं तो कुछ ऐसे कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने बताया था कि राज सरकार ने जिन दो केन्द्रों की सिफ़ारिश की थी वे विचाराधीन हैं । मैं जान सकता हूं यह विचार किस अवस्था तक पहुंच गया है और कब तक यह अन्तिम रूप से निश्चित होगा तथा कब तक अन्तिम आदेशों की आशा है ?

श्री हाथी : लगभग आगामी मास के मध्य तक ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या अनधिकारी संघों ने अन्य केन्द्रों की सिफ़ारिश की है ?

श्री हाथी : मैं नहीं समझता ।

प्रो० मैथ्यू : **अब** चाहे जो केन्द्र चुना जाये, **क्या यह पहिले** से सिफ़ारिश किये गये **दो केन्द्रों में से** होगा अथवा यह दो **केन्द्रों के क्षेत्र से** बाहर होगा ?

श्री हाथी : यह सब राज्य सरकार की **सिफ़ारिश** पर निर्भर होगा ।

प्रो० मैथ्यू : परन्तु क्या पिछली सिफ़ारिशें **बन्धन नहीं** लगातीं ?

पाकिस्तानी जूट का आयात

*१०५६. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय जूट मिल संस्था ने उदारता के आधार पर पाकिस्तानी जूट का आयात करने की मांग की है;

(ख) यदि की है, तो पाकिस्तानी जूट का उदारता पूर्ण आयात के पक्ष में उनकी क्या क्या बातें हैं; तथा

(ग) इस मामले में सरकार का निर्णय क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न ही नहीं होते।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष में पाकिस्तान से आयात की मात्रा अधिकतम होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अब तक आयात ११ लाख से कम रहा है—१०·८ लाख बेल्स। मैं नहीं कह सकता कि आंकड़े गत वर्षों के आयात से अधिक होंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या आयात में वृद्धि होने के फलस्वरूप स्वदेशी वस्तुओं के मूल्य तथा उन की मांग में इस वर्ष कमी होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता कि आयात में, उत्तम किस्म के पाकिस्तानी जूट के अतिरिक्त कोई वृद्धि होगी। अतः इस सिद्धान्त का अनुसरण करने वाले प्रश्न पर मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि स्वदेशी वस्तुओं के मूल्य तथा मांग में आशापूर्ण कमी होने की दृष्टि से क्या भारतीय कच्चे जूट के आधिक्य का विदेशों को निर्यात करने की अनुमति मिलेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह फिर इस पूर्व विचार पर निर्धारित है कि स्वदेशी वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई कमी होगी। इस उपकल्पना पर निर्धारित प्रश्नों के उत्तर देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री बी० के० दास : हाल के समझौते के फलस्वरूप पाकिस्तान से आने वाले जूट की किस्म पर क्या कोई नियन्त्रण होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी अनुज्ञायें प्रति-निम्नतम (क्रास बाटम) किस्म के लिए सरलता से नहीं दी जातीं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बोरों की उत्पत्ति के लिए बेल कटिंग्स की कुछ मांग है। इस तथ्य की दृष्टि से कि बोरों की उत्पत्ति में कमी हो गई है और बोरों को बाहर भेजना बहुत ही कम है, यह आशाजनक नहीं है कि पाकिस्तानी जूट की उस किस्म का भी आयात हो।

श्री बी० के० दास : इस वर्ष जून के अन्त तक और क्या आयात होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तविक काल तो सितम्बर के लगभग है, और जो कुछ हम ने कहा वह यह है कि यदि मिल्स को पाकिस्तानी जूट की आवश्यकता होती है तो हम लगभग १८ लाख गांठों तक के लिए अनुज्ञा दे देंगे। अब तक ११ लाख लगभग गांठें आ चुकी हैं। परन्तु यह मिलों के लेने पर निर्भर है। ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि वे सम्पूर्ण मात्रा को ले लेंगे। परन्तु हम उस सीमा तक अनुज्ञा देने को तैयार हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : विदेशों से कच्चे जूट की १८ से लेकर २५ लाख गांठों का आयात करने के समझौते का क्या कारण है

जब कि हमारे मिलों को कच्चे जूट की ९ से १० लाख गांठों तक की आवश्यकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं बता चुका हूं कि समझौता यह है कि हम १८ लाख गांठों तक के लिए अनुज्ञायें देंगे । परन्तु हो सकता है कि हमें २५ लाख गांठें तक की आवश्यकता हो । वह अन्तिम सीमा है । परन्तु हम १८ लाख से अधिक गांठों के लिए अनुज्ञा देने के लिए वचन बद्ध नहीं हैं । यह स्थिति है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि पाकिस्तानी जूट के आयात में वृद्धि होने की दृष्टि से स्वदेशी जूट के मूल्यों में कमी होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस तथ्य की दृष्टि से कि भारतीय-मूल्य पर्याप्त रूप में कम है तथा आयात होने वाले पाकिस्तानी जूट की किस्म ऊंची होगी, सरकार नहीं समझती कि भारत में मूल्यों में और अधिक कमी होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न समाप्त हुए ।

प्रश्नों के कुछ उत्तरों को ठीक करने सम्बन्धी प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री का वक्तव्य

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, पिछले अवसरों पर सदस्यों द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नों के अभिपूरकों का उत्तर देते हुए मैं यह बता दूं कि बाद में यह पता लगा है कि कुछ तथ्यों के दिये गये विवरण सर्वथा ठीक नहीं थे । श्रीमान्, इसलिए, अब आप की अनुमति से मैं उन विवरणों को निम्न रूप में ठीक करना चाहता हूं :—

(१) ७ जुलाई, १९५२ को लोवडेल में पब्लिक स्कूल के प्रशासन की पुनः व्यवस्था के प्रस्ताव सम्बन्धी श्री लिनाम के तारांकित प्रश्न संख्या १५०८ का उत्तर देते हुए मैं ने बताया था कि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था । तब मुझे यह विदित नहीं था कि लोवडेल व सशवर में लौरेन्स स्कूलों के प्रबन्ध को बदल कर उसे स्वावलम्बी प्रबन्ध परिषदों के हाथ में देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन था । तब से इन दो स्कूलों का प्रबन्ध स्वावलम्बी परिषदों को दे दिया गया है ।

(२) (क) ७ जुलाई, १९५२ को श्री एस० एन० दास ने तारांकित प्रश्न संख्या १५१३ का एक अभिपूरक प्रश्न पूछा था और जानना चाहते थे कि विश्वविद्यालय-निधि को प्रधान मंत्री की सहायता किसी प्रस्ताव पर अथवा सरकार के आदेश पर बनाई गई है । ठीक स्थिति यह है कि निधि की स्थापना एक सरकारी प्रस्ताव पर की गई है जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) श्री टी० एन० सिह यह भी जानना चाहते थे कि अनुदान जो इस धन से दिये गये वे किसी विशेष रूप में दिये गये थे अथवा वे किसी मुख्य उद्देश्य के लिए दिये गये थे । इस के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि निधि प्रधान मन्त्री के नाम में है और शिक्षा मंत्री, जो निधि के सभापति हैं, उसे चलाते हैं । अभी निधि को चलाने के लिए कोई समिति नहीं है ।

(३) ११ दिसम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या १११० के श्री बाल्मिकी द्वारा पूछे गये अभिपूरक प्रश्न का उत्तर दिया गया था कि अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के प्रार्थियों से, जो पूर्व-मैट्रिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, १९५२–५३ के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के नवीन-करण के लिए प्राप्त हुई प्रार्थनाओं की संख्या १६६४ बताई गई थी जबकि वास्तव में यह १८७४ थी । १६६४ की

संख्या उन छात्रवृत्तियों की थी जिनका प्राप्त हुई १८७४ प्रार्थनाओं में से उस समय तक नवीनकरण हो गया था ।

इन त्रुटियों के लिए मुझे खेद है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेल शोधकों में सड़कों का निर्माण

*१०५१. डा० अमीन : (क) उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में स्थापित तेल शोधक कम्पनियों में सड़क-निर्माण व्यय सरकार उठायेगी, यदि उठायेगी तो उस के कारण क्या हैं ?

(ख) प्रत्येक शोधक कम्पनी में ऐसी सड़कों की लम्बाई मीलों में तथा लागत क्या होगी ?

(ग) क्या अन्य भारतीय उद्योग-गृहों को ऐसी ही सुविधायें दी जाती हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) मद्रास अथवा कलकत्ता में कोई तेल शोधक कम्पनी की स्थापना नहीं हो रही है । जहां तक बम्बई में तेल शोधक कम्पनियों का, जिन का निर्माण हो रहा है, सम्बन्ध है, सरकार उन की सीमाओं में कोई सड़क नहीं बना रही । फिर भी, सरकार बम्बई-सरकार के निर्माण-विभाग द्वारा सियोन से सियोन ट्रोमबे सड़क पर एक स्थान तक एक नया मार्ग बनाने का प्रबन्ध कर रही है ताकि चूनामट्टी पर रेल के स्थल-चौराहे से आना जाना बन्द हो जाये । यह सड़क केवल तेल-शोधकों को ही सुविधापूर्ण सिद्ध नहीं होगी अपितु उस क्षेत्र में अन्य निर्माणशालाओं को भी, उदाहरण के लिए, १००,००० के० डब्लू० का विद्युत-गृह, जिसे टाटा-बन्धु बना रहे हैं, तथा इण्डियन रेअर अर्थ्स फैक्ट्री । इन से अभी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सड़क पूर्वी स्पष्ट राज पथ का अनुसरण करती है; जो अवश्य ही बनाई जाती है, यद्यपि यह चाहे कुछ समय पश्चात् ही सम्भव होता ।

सड़क की लागत समान भागों में भारत सरकार, बम्बई सरकार तथा बम्बई नगर-पालिका निगम द्वारा उठाई जायेगी ।

(ख) इस सड़क की लम्बाई ६,५७४ फीट होगी, अर्थात् लगभग सवा मील । इस की लागत के लिए जिसमें रेल की पटरी पर एक पुल बनाना भी सम्मिलित है, २० लाख रुपये का अनुमान है ।

(ग) जब कभी पर्याप्त रूप में बड़ी तथा महत्वपूर्ण निर्माणशालायें ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं जहां सड़कों की पर्याप्त सुविधायें नहीं होतीं, ऐसी सुविधायें प्रायः दी जाती हैं ।

निर्यात तथा आयात सलाहकार परिषद्

*१०५२. श्री के० के० बसु : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही सरकार द्वारा एक निर्यात तथा आयात सलाहकार परिषद् स्थापित की गई है ;

(ख) यदि की गई है तो किस आधार पर और किस को इस परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ग) क्या इस परिषद् में कलकत्ता के असोसियेटेड चैम्बर आफ कामर्स का कोई प्रतिनिधि है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) सर्वप्रथम आयात तथा निर्यात सलाहकार परिषदें क्रमानुसार २७ सितम्बर १९४८ तथा ११ मई १९४० को स्थापित हुई थीं । ये दोनों परिषदें १७ नवम्बर १९५२ को पुनः स्थापित की गईं ।

(ख) भारतीय चैम्बर्स आफ कामर्स तथा इण्डस्ट्री के सभापति तथा सचिव, और

असोसियेटेड चैम्बर्स आफ़ कामर्स के सभापति दोनों परिषदों के पदेन सदस्य हैं। शेष स्थानों को सरकार द्वारा इस ढंग से भरा जाता है कि विभिन्न हितों, व्यापारों तथा क्षेत्रों को सन्तुलित प्रतिनिधित्व मिले।

(ग) हां, श्रीमान्।

काष्ठ श्रमि उद्योग

*१०५३. **श्री के० के० बसु :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में बहुत से काष्ठ-श्रमि उद्योग बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो उन के क्या कारण हैं; तथा

(ग) काष्ठ-श्रमि उद्योग का आधार शक्तिशाली बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) तथा (ख). सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है परन्तु वह यह जानती है कि कुछ निर्माण-शालायें अस्थाई रूप से बन्द हो गई हैं।

(ग) उद्योग के आधार को शक्तिशाली बनाने के लिए आयात निर्यात कर आयोग की सिफ़ारिशों पर मूल्यानुसार ३० प्रति का संरक्षण-शुल्क लगाया गया है। उद्योग को अन्य सहायता सरकारी विभागों द्वारा कच्चे माल का सम्भरण तथा स्वदेशी वस्तुओं का क्रय करने के रूप में दी जाती है।

भुवनेश्वर में भूमि का क्रय

*१०४५. **श्री संगण्णा :** (क) **निर्माण, गृहव्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों के लिए भवन निर्माण करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भूमि प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो कब और किस विचार से ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) ज्यों ही वहां स्थित होने वाले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए आवश्यक वास्तविक क्षेत्रफल का निश्चय हो जायेगा त्यों ही भूमि विकास-लागत पर प्राप्त कर ली जायेगी।

पंजाब में औद्योगिक गृह-निर्माण की योजना

*१०६०. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, १९५२ के पश्चात् औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार से अनुदान के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हुई है तो कितने धन के लिए प्रार्थना की गई है; तथा

(ग) कितने धन की अनुमति दी गई है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार ने अमृतसर, लुधियाना तथा बटाला में ३८२ छोटे छोटे घर बनाने के लिए ४,८५,००० रुपये के अनुदान के लिए प्रार्थना की थी।

(ग) सरकार अधिक से अधिक ४,८१,५११ रुपये का अनुदान देने के लिए सहमत हो गई है।

त्रिपुरा में कुटीर उद्योग

७६९. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए १९५२–५३ के वर्ष के लिए कितने धन का आय व्ययक बनाया गया था ?

(ख) इस में से कितना व्यय हो चुका है और किन उद्योगों पर ?

(ग) क्या सरकार जानती है कि कुछ लोकप्रिय संघ कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार की सहायता चाहते हैं ?

(घ) यदि ऐसा है तो सरकार का क्या उत्तर था ।

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ४०,००० रुपये :

(ख) आशा है कि कुटीर तथा अल्प-माप के उद्योगों के लिए एक प्रशिक्षा स्कूल की स्थापना करने पर चालू वित्तीय वर्ष में २५,००० व्यय होंगे । व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

(१) कर्मचारियों के वेतन	१,०६० रुपये
(२) भत्ता तथा मानदेय	८४० ,,
(३) आकस्मिकतायें	३,१०० ,,
(४) निर्माण (अधीक्षक का क्वार्टर, स्कूल-भवन तथा कार्यालय सहित भण्डार)	२०,००० ,,
	२५,००० रुपये

(ग) तथा (घ). प्रशिक्षा-केंद्रों की स्थापना में वैत्तिक सहायता के लिए राज्य सरकार को अनेक पक्षों से प्रार्थनायें प्राप्त हुई थीं उदाहरण के लिए त्रिपुरा गणतान्त्रिक नारी समिति तथा त्रिपुरा गृह-उद्योग । अभी तक किसी भी पक्ष को वैत्तिक सहायता नहीं दी गई है ।

क्योंकि राज्य सरकार ने एक टैक्नीकल प्रशिक्षा स्कूल के लिए जिसमें प्रशिक्षा कार्य का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का भी प्रबन्ध होगा, स्वयं प्रबन्ध कर लिया है, इसलिए उनके लिए यह सम्भव नहीं था कि वे समिति की प्रार्थना से सहमत होते । त्रिपुरा गृह-उद्योग की प्रार्थना की राज्य सरकार आजकल जांच पड़ताल कर रही है ।

त्रिपुरा के व्यक्तियों के लिये पारपत्र तथा प्रवेश पत्र

७७०. **श्री दशरथ देव** : (क) क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पारपत्र प्रणाली के लागू होने के पश्चात् त्रिपुरा के कितने व्यक्तियों ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच यात्रा करने के लिए पारपत्रों तथा प्रवेशपत्रों के लिए प्रार्थना की है और वह कितने व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

(ख) उनमें से कितने व्यापारी, कितने कृषक तथा कितने मज़दूर हैं ?

(ग) पारपत्र की कठिनाइयों के कारण कितनी वस्तुओं को पाकिस्तान में रोका गया है ?

(घ) इस रोक के कारण हुई हानि को कौन सहन करेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १३ मार्च १९५३ तक त्रिपुरा वासियों से पारपत्रों के लिए २५१४ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, और १७०० पारपत्र दिये गये । पाकिस्तान के लिए प्रवेशपत्र पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं जिनके भारत सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं ।

(ख) १३ मार्च १९५३ तक दिये गये १७०० पारपत्रों में से ४७० व्यापारियों, २६६ कृषकों तथा ५१ मज़दूरों को दिये गये ।

(ग) पारपत्र प्रणाली लागू होने के पश्चात् थोड़े समय तक पाकिस्तानी परीक्षण-

अधिकारियों ने कुलियों को भारतीय तथा पाकिस्तानी परीक्षण-स्थानों के बीच वस्तुयें नहीं ले जाने दीं, जिस का कारण यह था कि उन के पास कोई पारपत्र तथा प्रवेश-पत्र नहीं था। पाकिस्तान सरकार के साथ एक प्रबन्ध किया गया और परीक्षण-स्थानों के बीच वस्तुओं का आना जाना पुनः आरम्भ हो गया। अब पाकिस्तानी परीक्षण-स्थानों पर कोई वस्तु नहीं रोकी जाती।

(घ) उत्पन्न ही नहीं होता।

बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

७७३. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काटे जाने के पश्चात् बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात खुरदरे, बिना कटे तथा बिना गढ़े पत्थरों के आयात से अधिक है?

(ख) यदि ऐसा है तो कितने प्रतिशत से और उस का क्या मूल्य है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिसमें बहुमूल्य पत्थरों तथा मोतियों (बिना गढ़े) का १९५०-५१ से १९५२-५३ (अप्रैल-दिसम्बर १९५३) तक के वर्षों में आयात तथा निर्यात के आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १७**]

बहुमूल्य पत्थरों को काटने तथा सुन्दर बनाने के पश्चात् उनके निर्यात के भिन्न भिन्न आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिस के परिणाम स्वरूप मांगी गई प्रति शत नहीं निकाली जा सकती।

तरल पदार्थों का आयात

७७४. **श्री दाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत विदेशों से तरल पदार्थों का आयात करता है;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो १९५०, १९५१ तथा १९५२ में प्रत्येक किस्म का तरल पदार्थ कितनी मात्रा में मंगाया गया;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे यह मंगाया जाता है; तथा

(घ) यह किस लिए मंगाया जाता है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्धी संख्या १८.**]

आंकड़े केवल वित्तीय वर्षों के लिए हैं क्योंकि आंकड़े केवल वित्तीय वर्षों के लिए ही रखे जाते और कैलैन्डर वर्षों के लिए नहीं।

(घ) पीने के लिए।

सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र

७७५. **श्री जांगड़े :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र की कितनी आवश्यकता है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक किस्म के कपड़े का कितना आयात किया गया;

(ग) हाथ-करघा से इन सब किस्मों का कितना उत्पादन हुआ; तथा

(घ) प्रत्येक किस्म में स्वावलम्बी होने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या १९**]

ट्रोमबे में एस० वी० ओ० सी० से अनशोधित तल

७७६. **श्री एम० आर० कृष्ण : उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की अनशोधित तेल की आवश्यकता का कितना

प्रतिशत तेल ट्रोम्बे तेल शोधक कम्पनी से, जो स्टेन्डर्ड वैक्वयम आयल कम्पनी ने बम्बई के पास स्थापित की है, प्राप्त हो सकता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : अनशोधित तेल शोधक कम्पनियों में तैयार नहीं होता अपितु खनिज पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। तेल शोधकों में, अनशोधित तेल विभिन्न उत्पत्तियों में चुवाया जाता है जैसे मोटर का तेल (पैट्रोल), जलाने का तेल तथा प्रयोग के लिए चिकनाने के तरल पदार्थ। बम्बई-शोधकों को चलाने के लिए अनशोधित तेल का आयात करना पड़ेगा क्योंकि अभी भारत में अनशोधित तेल बहुत थोड़ी मात्रा में प्राप्त होता है।

रेशम के कीड़ों का अनुसन्धान

७७७. **श्री मादिया गौडा :**

श्री केशवैयंगार :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर में रेशम के कीड़ों का अनुसन्धान-व्यय का कितना भाग केन्द्री सरकार अथवा केन्द्रीय रेशम परिषद् उठायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अब तक केन्द्रीय रेशम परिषद् १,३६,६०० रुपये का अनुदान मैसूर-सरकार को, उस की कीटपोषण अनुसन्धान की विभिन्न योजनाओं के लिए जिन में रेशम के कीड़ों का अनुसन्धान भी सम्मिलित है, दे चुकी है।

भाकड़ा नांगल परियोजना

७७८. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री एक विवरण देने की कृपा करेंगे जिसमें अब तक भाकड़ा-नांगल परियोजना के पूरे हुए कार्य तथा उस पर हुआ व्यय का विस्तारपूर्वक ब्योरा दिया हो ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

यू० एस० ए० तथा यू० के० भेजे गये भाकड़ा नांगल परियोजना के इंजीनियर

७७९. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाकड़ा-नांगल परियोजना के सम्बन्ध में कितने इंजीनियरों को संयुक्त राज्य अमरीका तथा संयुक्त राज्य भेजा गया है;

(ख) उनको भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था;

(ग) अभी उन में से कितने उन देशों में हैं; तथा

(घ) उन इंजीनियरों को विदेशों में भजने पर कितना व्यय हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ३२।

(ख) इन अधिकारियों को भाकड़ा-नांगल परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था :—बांध तथा विद्युत गृह की विस्तार-पूर्ण बनावट तथा नक्शा, जल यन्त्रों का लगाना, तथा जल अनुभव, बांध की नींव सम्बन्धी तथा बनावट का अध्ययन, विद्युत-गृह के यन्त्रों को लगाना, आदि।

(ग) दो।

(घ) अब तक इन अधिकारियों के शिष्टमण्डल पर लगभग ८ लाख रुपये व्यय हुए हैं।

सीलोन में नागरिकता के अधिकारों से वंचित भारतीय

सेठ गोविन्द दास : क्या प्रधान मंत्री भारतीय उद्गम के उन लोगों की संख्या

बतलाने की कृपा करेंगे जो १९५२ में सीलोन में नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य का ध्यान ३ मार्च १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या ४५५ के भाग (ग) का उपमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

सामूहिक परियोजना के क्षेत्रों में दिखाने के लिए फ़िल्म

७८९. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामूहिक परियोजनाओं के क्षेत्रों में दिखाई जाने वाली मुख्य फिल्मों के लिए किन किन विषयों को चुना गया है ?

(ख) वर्ष में ऐसी कितनी फिल्मों के तैयार होने की आशा है ?

(ग) ऐसी एक फिल्म की औसत लागत क्या होगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) एक विवरण, जिस में सामूहिक परियोजनाओं के प्रशासन के परामर्श सहित प्रयोग रीति से चुने गये विषय सम्मिलित हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या २०]

(ख) ८ से १२ फिल्में प्रति वर्ष ।

(ग) एक फिल्म की लागत १०,००० रुपये से २५,००० रुपये तक होती है, जो विषय, फिल्म में दिखाये जाने वाले स्थानों तथा फिल्म के पूरे होने में समय की आवश्यकता पर निर्भर है ।

वायदे के सौदे अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया शुल्क

७८२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायदे के सौदे अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं पर कोई शुल्क लगाया जायेगा ?

(ख) यदि लगाया जायेगा तो ऐसे शुल्क का माप क्या होगा ?

(ग) ऐसी संस्थाओं की यथोचित संख्या क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस मामले पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न ही नहीं होते ।

पार्क तथा उद्यान

७८३. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में १९५२ के वर्ष में विभिन्न पार्कों तथा फूल-उद्यानों के संरक्षण पर क्रमानुसार कितना धन व्यय हुआ ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : पार्कों तथा फूल-उद्यानों का भेद मेरी समझ में नहीं आया । अधिकत र पार्कों के कुछ भागों में फूल लगे हैं ऐसे सब पार्कों को एक साथ मिला कर १९५२ में उन के संरक्षन पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

नई दिल्ली	३,३१,३०० रुपये
पुरानी दिल्ली	२,७८,१०० रुपये
	६,०९,४०० रुपये

वर्ग क्षेत्र अधिनियम

७८४. **श्री जेठालाल जोशी :** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका में वर्ग-क्षेत्र अधिनियम कब से लागू होगा ?

(ख) नैटाल, ट्रांसवाल जिले तथा केपटाऊन, डर्बन तथा पोर्ट ऐलिजाबेथ जैसे

नगरों में भारतीय उद्गम के कितने दक्षिणी अफ्रीका के नागरिकों को उपरोक्त अधिनियम द्वारा अपनी भूमि तथा सम्पत्ति से हाथ धोना पडेगा ?

(ग) उन्हें अनुमानतः कितनी हानि होगी ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) वर्ग क्षेत्र अधिनियम नैटाल, ट्रांसवाल तथा केप आफ गुड होप के राज्यों में ३० मई १९५१ से और औरेन्ज फ्री स्टेट में ३१ अक्टूबर १९५२ से लागू हुआ । दक्षिणी अफ्रीका संघ की सरकार इसे लागू करने तथा संघ में वर्ग-क्षेत्रों की उद्घोषणा के लिए सक्रिय कार्यवाही कर रही है । फिर भी यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ग-क्षेत्रों की उद्घोषणा वास्तव में कब होने की सम्भावना है ।

(ख) केप टाऊन ८,०००
डर्बन १,४६,००० राष्ट्रवादी -पक्ष की योजना के अधीन जो भूमि भोगावधि सलाहकार परिषद् के सम्मुख है ।
१,१७,००० परिषद् के सम्मुख डर्बन नगर परिषद् की योजना के अधीन ।

पोर्ट ऐलिज़ाबेथ तथा अन्य नगर—सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) डर्बन—३०,०००,०००

अन्य नगर—सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

मेंगनीज तथा कच्चा लोहा (निर्यात)

७८५. श्री देवगम : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ तथा १९५२ के २ वर्षों में विशाखापटनम पत्तन से कच्चा मेंगनीज तथा कच्चा लोहा कितने कितने टन विदेशों को भेजा गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : निर्यात के अपेक्षित आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	१९५१	१९५२
	टन	टन
कच्चा मेंगनीज	६,०५,१३१ .	६,८७,६५०
कच्चा लोहा		४५ ९.१०४

शनिवार,
२८ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शनिवार, २८ मार्च १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३ म० प०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

कोलार सोना-क्षेत्र में गोली कांड के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): २४ फरवरी, १९५३ को दिये गये वचन का पालन करते हुए मैं कोलार सोना क्षेत्र (मैसूर) में हुए गोली-कांड संबंधी वक्तव्य की एक प्रति सदन पटल पर रखना चाहता हूं।

वक्तव्य

मैसूर राज्य के देहाती क्षेत्रों में विवाह, दाह संस्कार आदि के अवसरों पर ढोल बजाने की प्रथा अनादि काल से चली आ रही है। ढोल बजाने वाले व्यक्ति आदिकर्नाटक और आदिद्राविड़ समुदायों के अनुसूचित जाति वाले होते हैं। उन के काम की मजूरी उन को नगद और सामान दोनों ही रूपों में दी जाती हैं। ढोल बजाना उत्तराधिकार से चला आने वाला अधिकार हो गया है।

कोलार खान क्षेत्रों का अनुसूचित जाति संघ अब यह सोचने लगा है कि यह ढोल बजाना अनुसूचित जाति के सामाजिक स्तर, प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रतिकूल है। उस ने आदि-कर्नाटकों और आदिद्राविड़ों को इस ढोल बजाने से विरत करने की चेष्टा की, पर उन्होंने इसे अपने परम्परा से चले आने वाले विशेषाधिकारों में हस्तक्षेप समझा। कुछ अवसरों पर अनुसूचित जाति संघ के सदस्यों ने ढोल बजाने के कारण कुछ लोगों को तंग भी किया।

इस प्रकार की घटनाओं के पीछे संक्रांति त्यौहार और उस के बाद पुलिस को कुछ गिरफ्तारियां करनी पड़ीं। २२ फरवरी, १९५३ को एक बजे ३०० से अधिक व्यक्तियों का एक जत्था शिकायत करने वालों को पीटने के विचार से रोजर्स कैम्प की ओर चला। चूंकि उक्त क्षेत्र में मैसूर पुलिस अधिनियम की धारा ४५ के अधीन एक निषेधात्मक आदेश लगा हुआ था, प्रदर्शन-कारियों से तितर बितर हो जाने के लिये कहा गया, पर उन्हों ने न माना। मैसूर संरक्षित पुलिस के एक दल के साथ ज्येष्ठ पुलिस पदाधिकारियों ने आ कर भीड़ से फिर तितर बितर हो जाने को कहा, पर इस का भी कुछ फल न हुआ। तब तक भीड़ अव्यवस्थित हो गई और उस ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। ज्येष्ठ पुलिस सुपरिन्टेंडेंट ने लाठी चलाने का आदेश दिया और भीड़ को पुनः चेतावनी दी। पर भीड़ पत्थर फेंकती रही, जिस के

[डा० काटजू]

फलस्वरूप पांच पुलिस पदाधिकारियों और आठ कांस्टेबिलों के चोटें पहुंचीं। तब पुलिस को आत्म-रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी। पांच बार गोली चलानी पड़ी और भीड़ तितर-बितर हो गई। गोली चलाने के कारण १४ वर्ष का एक बच्चा मारा गया।

मैसूर सरकार का कहना है कि पुलिस ने अपूर्व धैर्य से काम लिया और जब उस ने देखा कि भीड़ उस पर छा जायेगी तभी उस ने आत्म-रक्षा के लिये गोली चलाई। इस उपद्रव के लिये उत्तरदायी मुख्य नेताओं को पकड़ लिया गया है और पड़ताल चल रही है। परिस्थिति शीघ्र ही काबू में ले आई गई है और सभी कोयला-खानों में सामान्य रूप में काम होने लगा है।

हैदराबाद कागज़ मुद्रा निरसन विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं १३२७ फसली के हैदराबाद कागज मुद्रा अधिनियम संख्या २ का निरसन करने वाले और तत्सम्बन्धी कुछ उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : क्या सदन को विधेयक के वापस लिये जाने का कारण नहीं बताया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयकों की पुरःस्थापना के अवसर को छोड़ साधारणतः मत ग्रहण के समय विवाद नहीं होता। वैसे मैं भी इस विधेयक को वापस लेने का कारण जानना चाहता था।

डा० काटजू : नियम १४० कहता है कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध होने पर अध्यक्ष सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकते हैं।

वैसे सदन को विदित है कि हैदराबाद की अपनी मुद्रा चली आ रही थी। एकीकरण के समय यह निश्चित किया गया था कि दो वर्ष तक अर्थात् ३१ मार्च, १९५३ तक यह मुद्रा चलती रहे। भारत के १०० रुपये हैदराबाद के लगभग ११६ रुपयों के बराबर होते हैं। पहली अप्रैल निकट आ जाने के कारण उस मुद्रा का अंत करने के लिये इस विधेयक को राज्य परिषद् में रखा गया था। पर अब हमें बताया गया है कि छोटी मुद्रा अर्थात् एक रुपये के नोट देहाती क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं और किसानों को पहले से सूचना न मिल पायेगी कि यह अवैध होने जा रही है। अब छः महीने के समय के स्थान पर अधिक समय देने का विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "१३२७ फसली के हैदराबाद कागज मुद्रा अधिनियम संख्या २ का निरसन करने वाले और तत्संबंधी कुछ उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदानों से सम्बन्धित निम्न मांगों सम्बन्धी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या ५—संचरण मंत्रालय	रु०	११,१६,०००
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवाहक व्ययों समेत)	,,	४०,३३,५४,०००
मांग संख्या ७—ऋतुविज्ञान	,,	९९,८९,०००
मांग संख्या ८—विदेश संचरण सेवा	,,	८३,४०,०००
मांग संख्या ९—नभश्चरण	,,	२,७०,६७,०००
मांग संख्या १०—संचरण मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	,,	७,५६,०००
मांग संख्या १११—भारतीय डाक-तार का पूंजी-व्यय (राजस्व से न पूरित)	,,	१०,६७,८१,०००
मांग संख्या ११२—असैनिक नभश्चरण पर पूंजी व्यय	,,	२,१२,६७,०००
मांग संख्या ११३—संचरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	,,	१,०५,८७,०००

निम्न विषयों पर विचार करने की दृष्टि से निम्नांकित सदस्यों द्वारा निम्न मांगों के सम्बन्ध में निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

विशेषज्ञ-समिति की सिफारिशों के कार्यान्वित करने में असफलता

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : 'संचरण मंत्रालय'— रु० १००

मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं से व्यवहार करने में श्रम विरोधी तरीके

श्री नम्बियार (मयूरम) : 'संचरण मंत्रालय'— रु० १००

कलकत्ते से भेजे गए लिफाफों पर डाक-सेवाओं द्वारा अनुमत साम्यवाद-विरोधी आन्दोलन

श्री नम्बियार : 'संचरण मंत्रालय'— रु० १००

अविभागीय तथा अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टरों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : 'संचरण मंत्रालय'— रु० १००

अन्यथा अर्ह न होने पर सभी अविभागीय पोस्टमास्टरों को डाकिए के रूप में खपाने की आवश्यकता

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : 'संचरण मंत्रालय'— रु० १००

त्रावणकोर-कोचीन में एक कारा को एक पकुथी के स्थान पर एक गांव मानने की आवश्यकता

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : 'संचरण मंत्रालय'— रु० १००

पत्रों तथा तारों का सेंसर

डा० नटवर पांडे (संबलपुर) : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

उड़ीसा में गांव डाकघर तथा जिला तथा सब-डिवीजन केन्द्रों में टेलीफोन तथा तारघर

डा० नटवर पांडे : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

गणना का तरीका और फलस्वरूप डाकदरों की कमी

श्री पी० सुब्बा राव (नवरंगपुर) : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

गांवों को अपेक्षतया अच्छा संचरण तथा गांव कर्मचारियों को अपर्याप्त वेतन और भत्ते

श्री शिवमूर्ति स्वामी : 'भारतीय' डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

त्रावणकोर-कोचीन में 'प्रति गांव में डाकघर' योजना कार्यान्वित करने में असफलता

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

सरकिल-कार्यालयों के हैडक्लर्कों के वेतन-प्रमापों का बढ़ाया जाना

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : भारतीय डाक तथा तार विभाग——रु० १००

कलकत्ते में स्वयंगतिक प्रणाली के प्रारंभ के फलस्वरूप छंटनी हुए टेलीफोन संचालकों का फिर खपाया जाना

श्री टी० के० चौधरी : भारतीय डाक तथा तार विभाग—- रु० १००

लोअर ग्रेड कर्मचारियों की शिकायतें

श्री वीरास्वामी (मयूरम——रक्षित——अनसुचित जातियां): भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

डाक-दरें

श्री वीरास्वामी : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

मद्रास राज्य में संचरण

श्री मुनिस्वामी (टिंडिवनम्) : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

अतिरिक्त-विभागीय कर्मचारी और डाक-सेवाओं के संवर्धन की नीति

श्री मुनिस्वामी : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

रजिस्ट्री, बीमा आदि की दरों में वृद्धि

श्री मुनिस्वामी : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

मलाबार तथा दक्षिण कनाड़ा में संचरण-प्रणाली

श्री एन० पी० दामोदरन (तेलीचेरी) : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

रविवार को डाक की छुट्टी और जनता को असुविधा

श्री एन० पी० दामोदरन : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

रजिस्ट्री, बीमा तथा बुकपोस्ट की दरों में वृद्धि

श्री एन० पी० दामोदरन : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

सभी महत्वपूर्ण नगरों और गांवों में चलते डाकघरों की आवश्यकता

श्री एन० पी० दामोदरन : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

डाक-टिकटों पर किसी दक्षिणी कवि, संत या संतकवि की प्रतिमा का अभाव

श्री एन० पी० दामोदरन : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

दक्षिण भारत वालों समेत राजनीतिज्ञों, राष्ट्रवीरों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों आदि की प्रतिमाओं को डाक-टिकटों पर चलाने की आवश्यकता

श्री एन० पी० दामोदरन : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

लकाद्वीप के लिए स्टीमर और वायु-संचरण की आवश्यकता

श्री एन० पी० दामोदरन : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

लकाद्वीप को डाक तथा तार सुविधाएं

श्री एन० पी० दामोदरन : भारतीय डाक तथा तार विभाग—— रु० १००

हिंदी में डाक-मुहरों, टिकटों या तारों की व्यवस्था करने में असफलता

श्री रामजी वर्मा (जिला देवरिया—पूर्व): भारतीय डाक तथा तार विभाग—
रु० १००

लोअर-ग्रेड कर्मचारियों की शिकायतें

श्री रामजी वर्मा : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

गांवों को संचरण तथा गांव-कर्मचारियों को अपर्याप्त वेतन और भत्ते

श्री रामजी वर्मा: —भारतीय, डाक तथा तार विभाग— रु० १००

अतिरिक्त विभागीय तार-विशारदों और सब-पोस्टमास्टरों की स्थिति

श्री रामजी वर्मा: भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

डाक के कार्डों और लिफाफों की दरें

श्री रामजी वर्मा : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

हैदराबाद में डैपुटेशन पर गए अधीक्षक-कर्मचारी वर्ग की वापसी

श्री विट्ठल राव (खम्मम) : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

धन सम्बन्धी नीति

श्री विट्ठल राव : भारतीय डाक तथा तार विभाग—
रु० १००

हैदराबाद के लिए पृथक् सरकिल

श्री विट्ठल राव : भारतीय डाक तथा तार विभाग—
रु० १००

जी० पी० ओ० दिल्ली में अधिवास

श्री विट्ठल राव : भारतीय डाक तथा तार विभाग—
रु० १००

हैदराबाद राज्य सड़क यातायात विभाग को निजी उपक्रमों के स्थान पर अग्रस्थान देते हुए डाक ले जाने का ठेका

श्री विट्ठल राव : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

श्री विटठल राव : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा नियम, १९४९ की सुरक्षाओं का प्रवर्तन

श्री एच० एन० मुखर्जी : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

कलकत्ता के जी० पी० ओ० तथा अन्य डाकघरों में बांट-बांट कर काम करने की प्रणाली

श्री एच० एन० मुखर्जी : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

डा० जाटव वीर (भरतपुर सवाई-माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

गांवों में निकटतम डाकघर से डाक-वितरण

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

त्रिपुरा में दैनिक डाक प्रणाली की अविद्यमानता

श्री दशरथ देव : भारतीय डाक तथा तार विभाग— रु० १००

लोअर ग्रेड कर्मचारियों की शिकायतें और पदाधिकारियों, कर्मचारियों आदि का प्रबन्ध

डा० नटवर पांडे नभश्चरण—
रु० १००

कन्नानोर के हवाई अड्डे को सुधारने और प्रयोग में लाने की आवश्यकता

श्री एन० पी० दामोदरन : नभश्चरण—
रु० १००

कर्मचारियों के भारी कार्य-घंटे और सेवा-दशाएं

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : नभश्चरण—
रु० १००

असैनिक नभश्चरण कर्मचारी संघ को मान्यता से वंचित रखने वाली श्रम नीति

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : नभश्चरण—
रु० १००

असैनिक नभश्चरण का राष्ट्रीयकरण

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : नभश्चरण—
रु० १००

नभश्चरण कंपनियों को आर्थिक सहायता देने की नीति

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : नभश्चरण—
रु० १००

गोरखपुर को अनुसूचित वायु-मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता

श्री रामजी वर्मा : नभश्चरण—
रु० १००

विभागीय तथा अतिरिक्त विभागीय सेवाओं में एकरूपता का अभाव

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न पूरित)— रु० १००

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभी अनुदानों की मांगें और कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष चर्चा के लिये प्रस्तुत हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : संचरण मंत्रालय द्वारा सदन के सामने रखी गई मांगों के सम्बन्ध में मैं सब से पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जो इस विभाग का काम चलाते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने इस मंत्रालय की कार्यवाहियों की १९५२-५३ की रिपोर्ट में इन लोगों के महत्व को स्वीकार किया है।

डाक व तार विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले अक्तूबर इन्होंने अपना संघ बना लिया है जिस की सदस्यता लगभग शत प्रतिशत है और इस संघ की कार्य कारिणी में बाहर का एक भी आदमी नहीं है। इस के बावजूद सरकार ने इस संघ को मान्यता नहीं दी है। इन लोगों को सभायें करने की भी अनुमति नहीं दी जाती केवल इसलिये कि जिन स्थानों पर वे रहते हैं वे सरकार के नियंत्रण में हैं।

अब मैं डाक व तार विभाग की ओर आता हूं जो कि रेलों के बाद दूसरे नम्बर पर है। प्रश्न यह है कि यह लोगों के लाभ के लिये चलाया जाता है या कि वाणिज्यिक आधार पर। यदि इसे वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है तो हमें इस के गुणदोष परखने के लिये अलग ही कसौटी रखनी होगी। परन्तु दुःख की बात तो यह है कि इस विभाग के कर्मचारियों को उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में से किसी का लाभ तो नहीं होता, हानि अवश्य होती है। इस सदन में बार बार यह सुझाव दिया गया है कि इस स्थिति को सुधारने के लिये और सच्चा समायोजन करने के लिये एक संसदीय आयोग बनाया जाय।

पिछले वर्ष १९ नवम्बर को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उपमंत्री महोदय ने बताया

था कि १९५२ में नये डाकघर खोलने से २०,१०,६३१ रुपये की हानि हुई। हमे ऐसा कोई तरीका सोचना पड़ेगा कि नये डाक घर भी खुलें और यह हानि न हो।

१९४१ में इस विभाग के कर्मचारियों के वेतन का खर्च विभाग के खर्च का ६६ प्रतिशत था और १९५० में यह प्रतिशतता घट कर ६०·२ रह गई। इस काल में काम दुगने से भी अधिक हो गया है और दरें भी बढ़ गई हैं परन्तु खर्च अन्य मदों पर अधिक होने लगा है। कर्मचारी सोचते हैं कि यह खर्च उन्हें हानि पहुंचा कर किया जा रहा है। हमें इस समस्या से भी निपटना है। डाक शाखा को लगातार हानि हो रही है। १९५२–५३ में यह हानि २२३ लाख रुपये थी। वित्त मंत्री ने इस घाटे को पूरा करने के लिये रजिस्ट्री तथा बीमा की दरें बढ़ाने का सुझाव दिया था। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिये जो लोगों की इच्छा के विरुद्ध हो। इसी प्रकार तार शाखा का लाभ भी कम होता जा रहा है। रेलों को जो तार की तारें किराये पर दे रखी गई हैं उन का किराया तीन वर्ष पहले घटा दिया गया था। इसी बीच तांबे की तार का मूल्य तथा इसे ठीक ठीक रखने का खर्च बढ़ गया है। मालूम होता है कि १·८ करोड़ रुपया रेलों को चला गया। यदि इस विभाग को ठीक ढंग से चलाना है और इस के कर्मचारियों से अच्छा बर्ताव करना है तो इस प्रकार अपनी आय रेलों को देने से काम नहीं चलेगा।

टेलीफोनों के सम्बन्ध में मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि कलकत्ते में टेलीफोनों को स्वयंचालित बनाने के बाद वहां के १००० कर्मचारियों के सिर पर छटनी का खतरा मंडरा रहा है। मुझ मालूम हुआ है कि इन में से लग भग १५० कर्मचारी इस वर्ष मई या जुलाई में निकाल दिये जायेंगे। मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि इन्हें निकाला नहीं जायगा। मैं जानता हूं कि इन्हें अन्य विभागों में खपाया जा सकता है।

जहां तक कर्मचारियों के लिये सुविधाओं का सम्बन्ध है, यह बड़ी अच्छी बात है कि डाक्टरी सहायता के लिये पहले की अपेक्षा अधिक रुपया रखा गया है। परन्तु यह जान कर बेचैनी होती है कि जितनी राशि डाक्टरी सहायता के लिये रखी जाती है, वह सारी खर्च नहीं होती। उदाहरण के लिये १९५२-५३ में ३,१०,००० रुपये इस प्रयोजन के लिये आयव्ययक में रखे गये थे, परन्तु कुल १,१३,००० रुपये खर्च किये गये। इस के अतिरिक्त कर्मचारियों को डाक्टरी सहायता देने में भेद भाव किया जाता है। मैं ने सुना है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के परिवारों को अस्पतालों में रखने की व्यवस्था नहीं है, इस प्रकार का भेद भाव बन्द कर दिया जाना चाहिये।

मैं ने यह भी देखा है कि कुछ स्थानों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिफ्टों में चढ़ने की अनुमति नहीं है। उन्हें बहुधा पांचवीं छटी या सातवीं मंजिल तक दस दस सेर का बोझा उठा कर जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले की जांच करें।

इस के बाद कार्यालयों में स्थान की समस्या भी है। दिल्ली तथा नई दिल्ली में डाकघर किराये के कमरों में हैं जहां न हवा है और न रोशनी। मेरा विचार है कि उपमंत्री महोदय तक महानिदेशक दिल्ली के एक डाक घर में एक सभा में गये थे। उन्हों ने अवश्य देखा होगा कि डाक विभाग के कर्मचारियों को कैसी बुरी

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

हालत में काम करना पड़ता है। हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय डाक व तार संघ के मंत्री, जो स्विटज़रलैण्ड के रहने वाले हैं, दिल्ली आये थे, उन्हों ने कहा था कि जिन हालतों में यहां के डाक कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, वह मनुष्यों जैसी नहीं हैं।

आर० एम० एस० में जो लोग डाक ले कर चलते हैं उन्हें सप्ताह में एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती। काम का समय कम करने तथा अन्य कई बातों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं। पश्चिमी बंगाल में जिन लोगों को रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में काम करने को कहा जाता है, उन्हें भत्ता नहीं मिलता। कलकत्ते में डाकिये लगातार ड्यूटी पर नहीं बुलाये जाते। वे सवेरे छः बजे आते हैं, बीच में कुछ समय के लिये उन्हें काम नहीं होता और फिर शाम को काम कर के सात बजे घर पहुंचते हैं। इस प्रणाली को समाप्त करने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया है। इस के अतिरिक्त वेतनों की श्रेणियों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये।

कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के रक्षण सम्बन्धी नियमों का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। कई पुराने कर्मचारियों को इन्हीं नियमों के अधीन निलम्बित किया गया है। इन लोगों पर बड़े अस्पष्ट से आरोप लगाये जाते हैं। ऐसे कई मामले हुए हैं, और इन लोगों को निलम्बित हुए काफी समय बीत चुकने पर भी अभी तक कुछ निर्णय नहीं किया गया।

एक और महत्वपूर्ण बात है जिस की मैं चर्चा करना चाहता हूं। वह यह है कि विभाग पुलिस के आदमियों को चिट्ठियां सेंसर करने की सुविधायें देता है। इस के अतिरिक्त सरकार का प्रशासन साम्यवादियों के विरुद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोगों की वस्तुस्थिति क्या है। मेरे पास दो लिफाफे हैं। एक कनाट सरकस की एक दुकान के नाम आया था और दूसरा किसी अन्य पते पर। इन दोनों पर ये शब्द उभरे हुए थे, "साम्यवाद के पास जंजीरों के सिवा कुछ भी नहीं।" टिकट के साथ ही ये शब्द भी उभरे हुए थे। जिन महानुभावों ने ये लिफाफ़े भेजे, वे चाहे कुछ भी विचार रखते हों, डाक विभाग को कोई अधिकार नहीं है कि वह ऐसी बात होने दे। मेरा विचार है है कि डाक अधिकारियों की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता था। टिकट तथा यह नारा—दोनों एक ही साथ लिफाफे पर उभारे (एम्बास किए) गये हैं। मैं ये दोनों लिफाफे सदन पटल पर रखना चाहता हूं जिस से कि संचरण मंत्री का ध्यान इस प्रश्न के महत्व की ओर आकर्षित कर सकूं। मैं ने वैदेशिक कार्य सम्बन्धी बहस के समय भी इस बात की चर्चा की थी परन्तु मेरा सन्तोष नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री नम्बियार ने एक कटौती प्रस्ताव रखा है। ये लिफाफे हैं जिन की मैं ने चर्चा की है। इन से मालूम होता है कि डाक विभाग किस भावना से काम कर रहा है।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : क्या जनवरी के बाद भी आप ने ऐसा कोई उदाहरण देखा है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं इस समय यह नहीं जानना चाहता कि माननीय मंत्री ने क्या देखा है। मैं तो उन से इस तरह की बातों की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में वक्तव्य चाहता हूं। यदि वे यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की बातें डाक अधिकारियों के

अनुमति के बिना लिफाफों पर लिखी जा सकती हैं, तो यह अलग बात है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करें। मैं इस घटना का सम्बन्ध संचरण मंत्रालय की सारी नीति और प्रशासन से समझता हूं। इस मंत्रालय के कर्मचारियों के काम की हालत ठीक नहीं, क्योंकि इस मंत्रालय को, भारत सरकार के और मंत्रालयों की तरह उन की हालत सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिये मैं उन सब कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं जो इस समय सदन के सामने हैं।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर): मैं, श्री हीरेन मुकर्जी के साथ, उन दो लाख कर्मचारियों को बधाई देता हूं जो इस महान राष्ट्रीय उपक्रम में लगे हुए हैं, साथ ही साथ मंत्रालय के अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं।

पहली बात जो श्री मुकर्जी ने कही वह यह कि रेलवे को कुछ रुपया देना है तथा यदि वह रुपया मिल जाय तो डाक तथा तार के कर्मचारी अच्छा वेतन पा सकेंगे तथा उन के कार्य की परिस्थितियां अच्छी हो जायेंगी। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि रेलवे तथा तार व डाक के कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग के मापमान के अनुसार वेतन दिया जाता है। उन का वेतन उस विशेष विभाग की आय पर निर्भर नहीं करता है वरन् सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जिसका अनुमान लगाकर केन्द्रीय वेतन आयोग ने उनके मापमान निर्धारित किये हैं। अतः मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि केवल खाते में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी निधि स्थानान्तरित करने या रेलवे से कुछ धन लेकर तार तथा डाक के हिसाब में डाल देने से उन व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं होगा जिन के हित की वे बात कर रहे हैं।

प्रोफ़ेसर मुकर्जी ने उन व्यक्तियों के प्रति बड़ी सहानिभूति प्रकट की थी जिनको संविधान भवन के अपने कमरे से संविधान भवन के डाकखाने तक जाना पड़ता था लेकिन मैं सदन को उन लाखों ग्राम निवासियों की दशा बताना चाहता हूं जो नगरों से बहुत दूर रहते हैं तथा जिनको कभी कभी तो पांच पांच और दस दस मील चलने पर डाकखाने के दर्शन होते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार को बधाई देता हूं कि उसने २००० व्यक्तियों की जनसंख्या वाले ग्रामों में डाकखाने खोलने का प्रयत्न किया है परन्तु सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है जिस ग्राम की जनसंख्या २००० हो उस के एक फ़र्लांग के फ़ासले पर ही डाकखाना हो जब दूसरे क्षेत्रों में मीलों तक डाकखाना न हो। जिस निर्वाचन क्षेत्र में से मैं आया हूं उस में पांच पांच छै छै मील तक डाकखाने नहीं हैं। इसलिये मैं चाहता हूं प्रत्येक डाकखाने के तीन मील की परिधि में एक डाकखाना हो वहां पर अपेक्षित जनसंख्या हो या न हो।

डाकखानों के वितरण के सम्बन्ध में मुझे बड़ी शिकायत है इस विभाग की कार्यवाइयों के प्रतिवेदन के पृष्ठ १६ पर मैं देखता हूं कि बिहार में ७४४ डाकखाने हैं तथा भारत के शेष सारे देश के लिये ७१५ डाकखाने हैं ——६७ मद्रास में, ६५ पश्चिमी बंगाल में तथा लगभग ६४ बम्बई में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के सभी भागों में डाकखानों की स्थापना ऐसे ढंग से की जाय कि सभी को बराबर सुविधा मिले अब मैं डाक तथा तार विभाग के वित्त के सम्बन्ध में कहूंगा। डाक तथा तार विभाग का संचालन बड़ा संतोषजनक है। लेकिन मेरा सुझाव है कि एक प्रतिशतता ऐसी नियत की जाय, जैसे रेलवे की प्रतिशतता नियत है, जिस

[श्री वेंकटारमन्]

के अनुसार डाक तथा तार विभाग भी केन्द्रीय राजस्व को एक भाग दिया करे। जैसे हमने रेलवे के सम्बन्ध में रुढ़ि बनाली है, वैसे यह भी रुढ़ि होना चाहिये कि पूंजी उदव्यय का चार प्रतिशत सामान्य राजस्व को दिया जाय। यह एक प्रकार का लाभांश होगा जो डाक तथा तार विभाग की सेवाओं पर भारत की जनता को मिलेगा।

जहां तक धन राशि का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि डाक तथा तार विभाग उस सारी धन राशि को व्यय नहीं कर पायेगा जो पंचवर्षीय योजना में उसके हिस्से में रक्खी गई है १९५३-५४ के आय व्ययक आगणन को भी मिला कर डाक तथा तार विभाग ने ५० करोड़ रुपये में से केवल २० करोड़ रुपये का व्यय किया है। मुझे आश्चर्य है कि शेष दो वर्षों में सरकार इतनी धन राशि विकास कार्य में कैसे लगा सकेगी। यदि यह धन राशि व्यय न की गई तो यह आवंटन ज़ब्त हो जायगा। इस लिये मेरा सुझाव है डाक तथा तार विभाग के सिविल तथा इंजीनियरिंग उपक्रम को बढ़ाया जाय। श्री मुकर्जी ने शिकायत की है कि डाक तार विभाग को किराये में बहुत धन देना पड़ता है। इस शिकायत को दूर करने का रास्ता यही है कि हम अधिक से अधिक भवन निर्माण कार्य करें। यदि केन्द्रीय जन वस्तु विभाग यह कार्य करने में असमर्थ हैं तो डाक तथा तार विभाग का एक अलग सिविल इंजीनियरिंग खण्ड खोल दिया जाय जिस से वह भवन निर्माण तथा कर्मचारियों के लिये गृह निर्माण कर सके।

स्टोर के सम्बन्ध में देखता हूं कि ४.४० करोड़ रुपया है। सदन को यह मालूम होना चाहिये कि इस स्टोर में कितना भाग पुराना हो गया है तथा कार्य के योग्य नहीं हैं ताकि हम जान सकें कि भविष्य के प्रयोग के लिये स्टोर्स के रुप में समग्र वास्तविक सम्पत्ति कितनी है।

कुछ समय पूर्व मैंने एक सूचना पढ़ी थी कि डाकखानों के संचय अधिकोष लेखा चेकों द्वारा संचालित हो सकेंगे। यह सुझाव बहुत ही अनुकर्णीय है। ऐसा हो जाने पर ग्रामवासियों को डाकखानों में धन जमा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। चेक प्रणाली का पुरःस्थापन शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये।

डाकखानों द्वारा पोस्टल इनश्यूरेंश भी किया जाता है अभी तक यह सुविधा केवल एक या दो प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के लिये है। मेरी समझ में नहीं आता कि यही सुविधा सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये—जैसे भारत सरकार की टेलीफ़ून फ़ैक्टरी के कर्मचारी या अरवंगडू स्थिति कारडाइट फ़ैक्टरी के कर्मचारी—क्यों नहीं उपलब्ध हैं। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ कर यह भी कहूंगा कि जहां कि कोई जमे हुए व्यापारिक उद्योग अपने कर्मचारियों को पोस्टल इंश्योरेंस में बीमा कराने की आज्ञा देने को तय्यार हो तो यह सुविधा उन को भी उपलब्ध होना चाहिये। यदि हम पोस्टल इंश्योरेंस को सारी ग़रीब जनता के लिये उपलब्ध कर दें तो धीरे धीरे इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण करने में बड़ी सुविधा होगी।

तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लिये तथा अन्य लोगों के लिये अपनी तथा अपने कुटुम्ब वालों की चिकित्सा कराने की सुविधा उपलब्ध हैं परन्तु चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को यही सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा विचार है कि सरकार उन को भी यह सुविधा देने पर विचार करेगी।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन]

कुछ डाकिये पदोन्नत कर के क्लर्क बना दिये गये हैं इस लिये कि उन की सेवा का रिकार्ड बहुत अच्छा था उन्होंने छै सात वर्ष तक कुशलपूर्वक कार्य भी किया है परन्तु मैं ने सुना है कि डाक विभाग इतने लम्बे काल के बाद इन क्लर्कों को स्थायी बनाने के लिये एक परीक्षा ले रही है। इतने लम्बे काल के बाद इन व्यक्तियों की परीक्षा लेना सर्वथा अनुचित है। यदि उनका रिकार्ड अच्छा है तो बिना किसी परीक्षा के ही विभाग को चाहिये कि उनको स्थायी बना दे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विषय पर भी विचार करेगी।

कुछ व्यक्तियों का एक और वर्ग ऐसा है जो बड़ी कठिनाई में हैं। युद्ध सेवा अभ्यर्थी जब नौकर रक्खे गये थे तो उनको आश्वासन दिया गया था कि उन को ऐसी श्रेणी में रक्खा जायगा जिसमें उनको वही वेतन मिले जो वे सैनिक सेवा में पाते थे। सेना में कई प्रकार के वेतन दिये जाते हैं जैसे किट वेतन तथा कुछ अन्य प्रकार के भत्ते परन्तु उनका बेसिक वेतन बहुत कम था। परन्तु वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का वेतन न्यूनतम मापमान से आरंभ होता है जिस का परिणाम यह है कि नये भर्ती होने वाले वही वेतन पाते हैं जो उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने कुछ वर्ष युद्ध सेवा में समय बिताया है।

मदरास के केन्द्रीय टेलीफून एक्सचेन्ज अब बिलकुल बेकार हो गया है। मुझे पता चला है कि जिला प्रबन्धक ने भी केन्द्रीय एक्सचेन्ज की दशा का वर्णन करते हुए एक मार्मिक पत्र लिखा है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र मदरास, टेलीफ़ून के इस केन्द्रीय एक्सचेन्ज को पुनर्संगठित करने का प्रयत्न किया जाय।

श्री शिव दयाल उपाध्याय (ज़िला बांदा व जिला फतहपुर): सरकारी राष्ट्रीय संस्थाओं में रेलवे के बाद इस विभाग का बहुत बड़ा स्थान है। रक्षा और विकास की दृष्टि से यह मुहकमा अपना सानी नहीं रखता। यही कारण है कि जब शत्रु कभी किसी देश पर आक्रमण करता है तो वह पहले इसी प्रकार के साधनों को अपने अधीन करना चाहता है। मुझे क्रीट देश की वह अवस्था याद है जब गत महायुद्ध में जर्मन सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के तमाम ऐसे साधन अपने हाथों में कर लिये थे और उसके कारण उन्होंने क्रीट देश को अपने अधीन कर लिया था।

जहां तक इस विभाग की प्रगति का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि गुण और संख्या दोनों ही दृष्टि से इस विभाग ने बहुत उन्नति की है और इसके लिये मंत्रालय हम लोगों की तरफ से बधाई का पात्र है। जहां तक संख्या का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यदि हम इसकी विभिन्न कार्यवाहियों का मुकाबला ३१-३-४८ और ३१-३-५२ के बीच में करें तो यह नतीजा साफ तौर से निकलता है कि हमारी प्रगति बड़ी संतोषजनक रही है। आप देखेंगे कि जहां ३१-३-४८ में देहाती क्षेत्रों में डाक घरों की संख्या १६,१८१ थी, वहां ३१-३-५२ में वह बढ़ कर ३६,५०१ हो गई। इसी प्रकार जहां नागरिक क्षेत्र में डाकखानों की संख्या ४,१६० थी, वह अब बढ़कर ५,५८३ हो गयी। टेलीग्राफ़ के क्षेत्र में भी इसी प्रकार से बहुत काफ़ी उन्नति हुई है। ३१-३-४८ में जहां टेलीग्राफ़ आफ़िसेज़ की संख्या ७,३३० दिखलाई गयी है, वहां उनकी संख्या ३१-३-५२ में बढ़कर ८,२४० तक पहुंच गई है। इसी प्रकार टेलीफोन एक्सचेंज २,४०७ से बढ़कर ४,२५५ तक पहुंच गये हैं। पबलिक कौल आफिसेज में भी बढ़ोतरी हुई है। जहां उनकी संख्या पहले केवल ७७६ थी, वहां अब उनकी

[श्री शिव दयाल उपाध्याय]

संख्या बढ़कर १,४७० तक पहुंच गयी है। इसी प्रकार टेलीफोन कनेकशन्स जहां पहले एक लाख, चौदह हजार, नौ सौ बाइस थे, वहां अब करीब एक लाख चौरासी हजार हो गये हैं।

इस प्रकार यदि हम संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो हम केवल एक नतीजे पर पहुंचते हैं और वह यह है कि हम ने संख्या की दृष्टि से पर्याप्त उन्नति की है। हम ने आय व्यय की दृष्टि से भी पचास प्रतिशत वृद्धि की हैं। हिन्दी तारों की संख्या जहां पहले ७,८०१ थी वहां अब वह बढ़ कर १७,०१३ हो गई है। इसी प्रकार हवाई डाक इतने दिनों में २७ प्रतिशत बढ़ गई है। आगामी योजना के अनुसार १५० नवीन तार घर खोलने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जब हम तीन सालों का मुकाबला करते हैं अर्थात सन् १९४८ से सन् १९५२ तक का तो निर्णयक दृष्टि से यह पाते हैं कि हम ने संख्या की दृष्टि से काफी उन्नति की है।

गुण की दृष्टि से भी इस विभाग ने काफी उन्नति की है। देहातों में इस बीच में ज्यादा ध्यान दिया गया है जिस से यह कहा जा सकता है कि जिन गांवों की आबादी दो हजार की है उन में प्रायः सभी में एक सब-डाक घर बन गया है। हिन्दी तार की व्यवस्था की गई है यह भी एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे कर्मचारीयों में अब कार्य तत्परता बहुत काफी बढ़ गई है। समय की बचत के लिहाज से भी हम ने काफी उन्नति की है। जहां तक ईमानदारी का प्रश्न है, यह विभाग अपनी मिसाल नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि दूसरे विभाग भी इस का अनुसरण करें। यदि वह ऐसा करेंगे तो देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है।

सब से अच्छी बात यह है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये विभाग की तरफ से एक विशेष व्यवस्था की गई है और उस के कारण यद्यपि इस में भ्रष्टाचार पहले भी कम था, केवल लड़ाई के समय में कुछ उत्पन्न हो गया था, अब इस नई व्यवस्था के कारण बहुत दूर तक समाप्त हो गया है।

शिकायतों की सुनवाई के लिये भी जो व्यवस्था की गई है उस के अनुसार शीघ्र ही कार्यवाही होना सम्भव हो गया है।

इस बीच में हम ने विदेशों से भी सम्पर्क स्थापित किया है। हम इस विभाग का मशीनीकरण करने के लिये भी बहुत जल्दी कदम उठाना चाहते हैं। यह सब इस बात के द्योतक हैं कि हम ने संख्या और गुण दोनों ही दृष्टि से इस विभाग को काफी उन्नतिशील बनाया है।

परन्तु अभी हमारा आदर्श बहुत दूर है। इस में दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे जो साधन हैं यदि वे सीमित न होते और हमें दूसरे प्रकार की व्यवस्थाओं और अंगों का काम न करना होता तो हम बहुत आगे बढ़ गये होते। हमारे विरोधीकरण जो कभी हमारे कार्यों पर आक्षेप करने लगते हैं, इस विभाग पर या अन्य किसी विभाग पर, वह यह बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि कोई भी कार्य अचानक जादू की लकड़ी से नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कार्य के लिये एक समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रत्येक कार्य संतुलित करना पड़ता है, देश के अन्य मामलों को भी देखना पड़ता है और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं कि इस विभाग ने क्या किया तो हमें लगता है कि उस का कार्य सर्वथा सराहनीय है।

अंत में मुझे जिन सज्जनों ने आक्षेप किये हैं उन से यह कहना है कि वे जब कभी कोई आक्षेप करें तो उस को संतुलित होना चाहिये। वह आक्षेप केवल आक्षेप के लिये

न हो। हम एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिस में हमारे देश की बहुत सी मांगें हैं, बहुत सी आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को देख कर के हम को अपना कार्यक्रम बनाना पड़ता है। यदि आज हमारे पास बहुत साधन होता, यदि आज हमारी परिस्थिति ऐसी होती कि हम सभी कार्य अपना सकते तो इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हम सभी चाहते कि सब कार्य एक साथ कर लिये जायें। परन्तु दुर्भाग्य से हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है। हमें एक एक कार्य को उस के महत्त्व के अनुसार देखना पड़ता है। सभी दूसरे कार्यों को देखते हुए हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, और जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो जो कुछ भी इस विभाग ने किया है, मुझे लगता है कि वह सन्तोषजनक है। हमें यदि आध सेर आटा खाना है तो हम को सारे आटे को एक साथ एक कौर में खाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये, अन्यथा वह हमारे शरीर में बहुत बड़ी कठिनाइयां पैदा कर सकता है।

अंत में मुझे यही कहना है कि जिस प्रकार से शरीर के लिये स्नायु-मंडल की आवश्यकता है, शरीर के विकास और रक्षा के लिये उस की आवश्यकता है, उसी प्रकार डाक और यातायात विभाग हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है उस की रक्षा के लिये भी और उस के विकास के लिये भी। मैं भगवान कृष्ण के उन शब्दों को यहां पर दोहराना चाहता हूं जिस में उन्होंने कहा है :

युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु।
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवती दुःखहा।

कोई भी काम संतुलित रीति से ही ठीक किया जा सकता है यदि संतुलन बिगड़ जाता है तो कार्य भी बिगड़ जाता है।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : डाक तथा तार के सम्बन्ध में अनेक व्यक्ति बोलेंगे इस लिये मैं अपने को असैनिक उड्डयन तक ही सीमित रक्खूंगा। एक बार फिर मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह असैनिक उड्डयन को रक्षा मंत्रालय के सिपुर्द करने के प्रश्न पर विचार करें। मैं पहले भी इस के कारण बता चुका हूं तथा आज चार वर्ष के बाद वे कारण और भी महत्त्वपूर्ण बन गये हैं। असैनिक उड्डयन रक्षा की दूसरी पंक्ति है। अतः रक्षा मंत्रालय से स्वतंत्र होने पर उसका कार्य इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता है।

मेरे माननीय मित्र, संचरण मंत्री, ने मेरे इस दोषरोपण को असत्य बताने का प्रयत्न किया है कि उन के मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। पालम हवाई अड्डे का ही उदाहरण लीजिये। यह है तो भारतीय वायुसेना का परन्तु असैनिक उड्डयन भी इस का प्रयोग करता है। अभिनव तथा नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय संचालन सुविधायें डमडम में है, सैन्टाक्रूज़ में है, परन्तु पालम में नहीं है। कारण यह है कि इन दोनों संगठनों में बराबर खट पट होती रहती है। हवाई सेना कहती है कि यह कार्य असैनिक उड्डयन का है तथा असैनिक उड्डयन कहता है कि यह कार्य हवाई सेना का है।

दूसरा उदाहरण हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे का है। असैनिक उड़ाके केवल थोड़े से अवसरों पर वायुयान उतारने के लिये उस का उपयोग करते हैं परन्तु हवाई सेना उस का अधिक प्रयोग करती है तथा उस को अपने अधिकार में लेना चाहती है। अनेक उड्डयन क्लब मौजूद हैं। अब एक नेशनल

[श्री जयपाल सिंह]

केडेट कोर और हो गया है। इस का संचालन मेरे माननीय मित्र के संगठन द्वारा किया जायगा। यदि दो संगठनों का संचलन एक ही के हाथ में हो जो एक ही स्थान में हैं तो उन का संचालन सुचारु रुप से होगा।

असैनिक उड्डयन के क्षेत्र में अभी काफ़ी विकास करने का स्थान है। वायुमार्ग राष्ट्रीयकरण विधेयक का प्रथम चरण हो चुका है। वायुमार्ग के राष्ट्रीयकरण का यह प्रश्न अत्यन्त आवश्यक है विशेषतः कर्मचारियों के दृष्टिकोण से। असैनिक उड्डयन के कर्मचारी ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी अनिश्चितता की अवस्था में हैं। एक महत्त्वपूर्ण अनुसूचित वायुयात्रा कम्पनी ने इतना साहस किया है कि वह बिना किसी वेतन के सहायक चालकों को नौकर रखती हैं। हवाई अड्डे तक आने तथा हवाई अड्डे से घर तक जाने के लिये उनको कोई सवारी भी नहीं दी जाती है। न उनको कोई निवास स्थान दिया गया है। पुराने शासन ने चालकों से बाज़ार को पाट दिया है जिनकी खपत न तो उद्योग में है, न रक्षा विभाग में और न किसी अन्य स्थान में। उसी का यह परिणाम है।

इस प्रतिवेदन में हमें बताया गया है कि इलाहबाद के सी० ए० टी० सी० ने पुनर्विलोकन काल में एक 'बी' चालक तथा दो चालकों के सहायक शिक्षक पास कर दिये थे। विभिन्न उड्डयन क्लबों पर सरकार इतना रुपया व्यय करती है: आगामी वर्ष १३.६ लाख रुपया इन पर व्यय किया जायेगा। फिर भी सरकार उसी कार्य में अपना धन तथा समय व्यय कर रही है जो यह क्लब कर रहे हैं। कहा जाता है कि उन का स्तर ऊंचा करने के लिये ऐसा किया जाता है: मैं पूछता हूं क्या सरकार ने किसी एक विशेष केन्द्र में ६० लाख से ले कर ८० लाख रुपये तक का व्यय एक 'बी' चालक तैयार करने के लिये किया है। इसी काल में दस उड्डयन क्लबों ने ११५ 'ए' चालक तथा ६५ 'बी' चालक तैयार किये हैं। सारे उड्डयन क्लबों पर सरकार १३.६ लाख रुपया व्यय कर रही है परन्तु इलाहबाद की इस एक संस्था पर भी उतना ही धन व्यय किया जा रहा है। यदि आप को 'ए' तथा 'बी' चालकों की शिक्षा के स्तर से संतोष नहीं है तो आप को सब के लिये एक ही परीक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये। अभी प्रत्येक शिक्षक का अपना अपना अलग स्तर बना हुआ है। यदि आप मद्रास में शिक्षा लें तथा 'बी' चालक बन जायें तो आप का एक स्तर होगा तथा यदि आप देहली उड्डयन क्लब में शिक्षा लें तो आप का स्तर दूसरा परन्तु अधिक ऊंचा होगा। हमें एक अखिल भारतीय परीक्षा संगठन बनाना चाहिये तब सब का एक स्तर होगा और यह समस्या दूर हो जायेगी। मेरा कहना है कि सरकार ने इलाहबाद के सी० ए० टी० सी० के सम्बन्ध में जो वादे किये थे उन को पूरा नहीं किया है। अभी जब हवाई अड्डे के अधिकारी नियुक्त होने के लिये इन के कुछ सिखे हुए चालक उपस्थित हुए तो उन में से एक भी चुना नहीं गया। यह एक राजकीय संस्था का रिकार्ड है।

यदि मेरे माननीय मित्र मुझे यह बता सकें कि सी० ए० टी० सी० इलाहबाद में एक चालक को तैयार करने में कितनी लागत बैठती है तो बड़ा अच्छा हो। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं तो मास्टर समिति प्रतिवेदन को मानता हूं परन्तु वह अभी तक सदन के सामने नहीं रक्खा गया है।

गत वर्ष मैं ने कर्टिस कामाण्डो नामी हवाई जहाजों के सम्बन्ध में प्रश्न किया था परन्तु मुझे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। हमारी सलाह न मान कर

तथा अप्रविधिक परामर्श पर भरोसा कर के हम ने कम से कम दस लाख डालर कमाने का अवसर खो दिया । अब मैं जानना चाहता हूं कि इन के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र उस भेद भाव का अन्त कर दें जो हमारे देश में उड़ने वाले भारतीय नागरिकों तथा अभारतीय नागरिकों के मध्य किया जाता है । बाहर के देशों में भारतीय नागरिक उड़ाकों के साथ ऐसा भेद भाव नहीं किया जाता है। उन के साथ समान रूप से वही व्यवहार किया जाता है । इस में कोई अधिक धन राशि के भी व्यय करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि अभारतीय नागरिक जो इस देश में उड्डयन सीख रहे हैं उन की संख्या अधिक नहीं है ।

असैनिक उड्डयन नियंत्रण के सम्बन्ध में मंत्रालय को अपनी सेवाओं में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। जब कभी कोई दुर्घटना घटित होती है हम आम तौर से यही समझते हैं कि दोष चालक का है । दुर्भाग्यवश जब कभी कोई दुर्घटना घटती है तथा वह घातक होती है तो चालक यह बताने के लिये जीवित नहीं बचता है कि सारी दुर्घटना कैसे घटित हुई । अब हमें पता चला है कि चालकों को नियंत्रण के आदेशों का पालन करने के लिये विवश किया जाता है । वायुमण्डल में होने पर कमाण्डर तो वही है तथा निर्णय भी उसी को ही करना चाहिये । वही जानता है कि पेट्रोल है कि नहीं तथा उसी के हाथ में अन्तिम निर्णय होना चाहिये । आप उसे सलाह दे सकते हैं । परन्तु होता यह है कि यदि वह आदेशों का उल्लंघन करे तो उस की अनुज्ञप्ति जब्त हो जाती हैं। यह तो मैं ने एक उदाहरण दिया है । ऐसे ही अनेक और भी दोष हैं ।

अन्त में मैं कुछ शब्द डा० घाडगे को बधाई देने के लिये कहूंगा क्योंकि 'एच० टी० २' को बना कर उन्हों ने वास्तव में एक महान कार्य किया है । अन्य वायुयानों की तुलना में, हो सकता है, वह कोई आश्चर्य की वस्तु न हो, फिर भी यह एक सफलता है कि एच० ए० एल० बंगलौर में हम एक वायुयान का निर्माण कर सके हैं । हो सकता है कि इंजिन बाहर से आयात किया गया हो परन्तु वायुयान का शेष भाग भारत ही में बनाया गया है । यह गर्व की बात है तथा मैं आशा करता हूं कि वायुयान बनाने की यह नीति बराबर बढ़ाई जाती रहेगी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : डाक विभाग उन सरकारी विभागों में से एक है जिन के सम्बन्ध में सदैव ही हमारा यह विचार रहा है कि उस में ईमानदार व्यक्ति काम करें । परन्तु इन विभागों में जो व्यक्ति ईमानदार रहा है अब वह भी धीरे धीरे भ्रष्ट होता जा रहा है। हमें इस के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये और इसी इच्छा से मैं आज सदन में कुछ कहना चाहता हूं ।

परन्तु हो क्या रहा है? जैसा कि साम्यवादी दल के उपनेता ने बताया कि हम यह ही नहीं जानते कि यह विभाग वाणिज्य के आधार पर चलाया जा रहा है अथवा सहायक सरकारी विभाग के रूप में । इस से ही कर्मचारियों में सन्देह उत्पन्न हो रहा है और अपनी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के कारण वे भी रेल-कर्मचारियों का सा बर्ताव करने का प्रयत्न करते हैं । इस के अतिरिक्त मैं ने यह भी देखा है कि डाक विभाग कर्मचारियों की अपेक्षा तार विभाग कर्मचारी जनता के साथ अधिक बुरा व्यवहार करते हैं ।

पहिले, प्राचीन काल में जब कि तार छः आने में जाया करता था, तार तुरन्त

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाता था परन्तु आजकल यदि कोई साधारण तार किसी बाहरी क्षेत्र को भेजा जाता है तो यह वहां नहीं पहुंचता और विवश हो कर शीघ्र-तार भेजना पड़ता है। इतने पर भी यह सन्देह-पूर्ण रहता है कि तार पहुंच भी जायेगा और कदाचित हो सकता है कि उसी स्थान को जाने वाला व्यक्ति तार के पहुंचने से पूर्व स्थान पर पहुंच जायेगा।

होता क्या है, इस का मैं एक उदाहरण देता हूं। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच सीधी तार प्रणाली है परन्तु डाक विभाग ने कुछ आदेश जारी किये हैं कि प्रत्येक तार अन्तिम तार घर (टर्मिनस स्टेशन) हो कर जाना चाहिये। यह काम को दुगना और तिगुना करना है।

श्री राज बहादुर : क्या माननीय सदस्य इस का कोई विशेष उदाहरण देने की कृपा करेंगे।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : अवसर देन के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

उदाहरण के लिये, नीमच प्रधान कार्यालय है जिस का इन्दौर, जयपुर तथा उदयपुर से तार प्रणाली का सीधा सम्बन्ध है। यदि नीमच इन्दौर, रतलाम तथा मन्दसौर को तार भेजना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता यद्यपि इन स्थानों से सीधी तार प्रणाली है। नीमच को तार अजमेर भेजना पड़ता है और अजमेर उसे इन्दौर भेजता है। यदि एक ऐक्सचैंज से होकर जाने वाले तारों की संख्या १५० से अधिक हो जाती है तो विशेष भत्ता दिया जाता है। अहमदाबाद और बड़ौदा में भी ऐसा होता है।

दूसरी बात यह है कि मुझे पता लगा है लगभग १००० स्त्री-टैलीफोन-चालकों की छंटनी होगी। जो व्यक्ति नौकरी करता है वह चाहता है कि वह अपने जीवन यापन का कोई विशेष साधन अपनाये और उसी में चलता रहे। अतः इन व्यक्तियों को इस अप्रचलित ढंग से नौकरी से हटाना उचित नहीं है। इस के अतिरिक्त हम किसी भी रूप में उन अन्य डाक सुविधाओं के विकास के प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जो अन्य देशों में उपलब्ध हैं। संयुक्त साम्राज्य में एक यह सुविधा है कि आप वहां किसी भी डाक घर के बचत बैंक में धन जमा कर दें और पास-बुक लेने के पश्चात् आप कहीं भी और किसी भी समय इस पासबुक को दिखाकर ३ पौंड का धन बचत बैंक से निकाल सकते हैं। ऐसी सुविधा हम अपने देश में क्यों नहीं देते? हम जनता को अधिक सुविधायें क्यों नहीं देते? हमें चाहिये कि हम ऐसी बातें जानें और उनका विकास करें जिन से जनता को लाभ हो।

आपका ध्यान मैं इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें जो टैलीफोन की दर बताई जाती है वह कभी कभी अनिश्चित होती है और कारण पूछने पर समयानुसार कोई भी इस का कारण बता दिया जाता है। नीमच से हिन्डौन को टैलीफोन जिस दर पर भेजा जाता है उसी दर पर हिन्डौन से नीमच को नहीं भेजा जाता है। इसी प्रकार की और भी भिन्नता है। ऐसी प्रणाली का क्या कारण है?

अन्त में मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय प्रतिरक्षा नियमों तथा भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस को समाचार निरीक्षण का अधिकार दिया गया था। वे नियम अब लागू नहीं हैं और अब ऐसा कोई नियम लागू नहीं है जिस के अन्तर्गत ज़िलाधीश अथवा पुलिस डाक घर में समाचार निरीक्षण कर सके। इस की रक्षा अवश्य होनी चाहिये। डाक-पत्र व्यवहार के

लिये डाक विभाग ने सचाई आदि का श्रेय पाया है और वह रहना ही चाहिये । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर ध्यान देंगे और पुलिस को साधारण पत्रों का निरीक्षण न करने देंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा (जिला हरदोई—उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हमें आजादी मिलने के बाद से हमारे कम्युनिकेशन्स विभाग ने जो कार्य किया है वह सराहना करने योग्य है । फिर भी जैसा कि कहा जाता है "हिन्दुस्तान गांवों में बसता है," इसलिये इस विभाग के द्वारा जितनी भी अधिक से अधिक सहूलियत गांव वालों को दी जा सकें दी जायें तभी हम यह जान सकते हैं और यह कह सकते हैं कि इस विभाग ने काम किया है । पिछली मर्तबा यह कहा गया था कि प्रत्येक गांव में डाकखाने खोले जायेंगे परन्तु मैं अपने यू० पी० की बात कहता हूं कि यू० पी० में ऐसे बहुत से गांव हैं जिन में दो हजार से कहीं ज्यादा आबादी है, परन्तु वहां अभी तक डाकखाने नहीं खोले गये हैं । मैं इसलिये एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर प्रत्येक गांव में डाकखाना खोलना संभव न हो, तो उत्तर प्रदेश में तो पंचायतें स्थापित हैं, आप ग्राम पंचायत के हैड क्वार्टर पर एक एक डाकखाना खोल दें । इस तरह से आप के ग्राम पंचायत के हैड क्वार्टर पर डाकखाना खोलने से उस हैड क्वार्टर के चारों ओर दो से तीन मील के फासले के अन्दर बसने वाले को डाकखाना खुल जाने से बड़ी सहूलियत और सुविधा होगी । यही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आप प्रत्येक अदालती पंचायत के केन्द्र में एक एक सब-पोस्ट आफिस खोलें, जहां से गांव वाले रजिस्ट्री करा सकें, रुपया जमा करा सकें और मनीआर्डर कर सकें और टेलीग्राम कर सकें । टेलीग्राम की सहूलियत जब तक गांवों में नहीं दी जायेगी तब तक गांव वालों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है और उठानी पड़ेगी । गांव वालों को मैं देखता हूं कि तार देने के लिये १०, १० और १५, १५ मील दौड़ना पड़ता है तब कहीं तार दे पाते हैं । अगर यह भी संभव न हो सके तो कम से कम इतना तो कर ही दिया जाना चाहिये कि जितने टाउन एरियाज हैं, जितने नोटीफाइड एरियाज हैं, उन में सब-पोस्ट आफिसेज हों, जहां पर टेलीफोन करने की व्यवस्था हो और तार आदि भेजने का इन्तजाम हो और मनीआर्डर करने व रजिस्ट्री करने और रुपये जमा करने का भी प्रबन्ध हो ।

मैं देखता हूं कि हमारे गांवों के रहने वाले या तो अभी तक अपढ़ हैं और अगर कुछ पढ़े लिखे भी हैं तो हिन्दी के सिवा और कुछ नहीं जानते । इस के अतिरिक्त मैं यह भी देखता हूं कि इस पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में हर एक फार्म, चाहे मनीआर्डर का फार्म हो, चाहे तार देने का फार्म हो, या और कोई पुस्तक हो, हर चीज अंग्रेजी में ही नजर आती है । मैं तो यह कहूंगा कि "अंग्रेज यहां से चले गये लेकिन अंग्रेजियत अभी भी बाकी है ।" इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि टेलीग्राफ और डाक विभाग के जितने भी कागजात हैं वे सब हिन्दी में हों । मैं तो यहां तक कहूंगा कि मोहर भी हिन्दी में ही होनी चाहिये और तार देने का फार्म तथा तार देने की व्यवस्था भी हिन्दी में ही होनी चाहिये ताकि एक देहात का आदमी भी उस को पढ़ कर अपने आप उसको भर सके और उस को भरवाने के लिये इधर उधर भटकना न पड़े ।

हम ने बहुत से कार्य इस विभाग में किये हैं, लेकिन गांव वाले उस से बिल्कुल

[श्री बी० आर० वर्मा]

अपरिचित हैं, इसलिये कि इस विभाग का जितना भी लिटरेचर छापा जाता है, सारे का सारा अंग्रेजी में होता है और गांव वाले उसे पढ़ ही नहीं सकते, उसे समझ ही नहीं सकते कि उन के लिये यह विभाग कुछ कर भी रहा है। अतः इस विभाग का सारा लिट्रेचर हिन्दी में ही छाप कर गांवों में वितरित करने की व्यवस्था की जाये। ताकि गांव वाले जान सकें कि उन के लिये हम ने क्या किया है।

इस के अतिरिक्त मुझे एक बात और कहनी है और वह है हरिजनों के सम्बन्ध में। इस विभाग में मैं देखता हूं कि हरिजनों की संख्या शून्य के बराबर है। जितने बड़े बड़े अफसर हैं उन में एक भी हरिजन नहीं है। पोस्ट मास्टर्स हैं उन में भी शायद एक भी हरिजन नहीं होगा। जितने क्लर्कस हैं उन में शायद एक या दो फी सदी हरिजन हों। मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इस विभाग में जिस के अध्यक्ष हरिजन हैं, हरिजनों का जितना रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये उतना नहीं है, यह बड़े दुःख की बात है। इस लिये मैं कहूंगा कि कम से कम डाक व तार विभाग में हरिजनों का पूरा रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। उन का कोटा पूरा होना चाहिये।

मेरे जिले हरदोई में एक कस्बा पाली है। उस के निवासियों ने कई एक दर्खास्तें दीं कि वहां सब-पोस्ट आफिस कर दिया जाय आबादी वहां की पांच हजार की है और टाऊन ऐरिया भी है, लेकिन अभी वहां सब-पोस्ट आफिस खोलने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। वहां सब-पोस्ट आफिस ही नहीं बल्कि तार और टेलीफोन की व्यवस्था भी कर दी जाये तो बड़ा अच्छा है क्योंकि वहां के निवासियों को शहर आने के लिये करीब १५ मील चलना होता है। बीच में नदी पड़ती है। कभी कभी तो बरसात के दिनों में नदी पार करना भी मुश्किल हो जाता है।

मैं अधिक न कह कर श्रीमान् कम्युनिकेशन्स मिनिस्टर को बधाई देता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : मैं भी उन व्यक्तियों की प्रशंसा करता हूं जो संचरण के मामले में इस महान देश में सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं मन्त्रालय और उच्च पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, यद्यपि मुझे खेद है कि अभी तक उच्च अधिकारियों ने श्रेणी चार के कर्मचारियों की कठिनाइयों को नहीं पहिचाना है। यह ठीक है कि हमें डाक की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं। यहां तक कि कहीं तो एक सप्ताह तक चलने के पश्चात् भी डाक घर के समीप नहीं पहुंच पाते तथापि गत कुछ वर्षों में महान कार्य करने के लिये मैं विभाग को बधाई देता हूं। मेरे एक मित्र कह रहे थे कि वह पैदल चल कर किसी स्थान पर पहुंच सकते हैं परन्तु उतने ही समय में साधारण तार अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। परन्तु ऐसा भी है कि यदि मैं रेल से अपने स्थान को जाऊं तो पांचवें दिन पहुंचता हूं जब कि आज डाला हुआ पत्र कल पहुंच जायेगा। यह सत्य है कि बहुत कुछ होना शेष है तथापि जो भी हो चुका है उस पर कोई भी देश और कोई भी मंत्रालय गर्व कर सकता है।

पंच वर्षीय योजना के पैरा ८८ से हमें पता चलता है कि यह विभाग केवल जनसाधारण के लिये ही संचरण सेवा के लिये उत्तरदायी नहीं है अपितु वाणिज्य-जाति, प्रेस, रेल, नहर प्रशासन तथा प्रतिरक्षा सेवा के लिये भी उत्तरदायी है। मूलतः यह एक लोकहित

विभाग है परन्तु वाणिज्य के आधार पर चलाया जाता है ताकि सामान्य राजस्व पर भार न बने। अब वह समय आ गया है जब कि इस मंत्रालय को इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिये कि डाक तथा तार विभाग लोकहित सेवा विभाग होगा अथवा वाणिज्य के आधार पर चलाया जायगा।

एक कार्ड की उत्पादन और सेवा लागत १३·२ पाई होती है और इस से विभाग को एक करोड़ ३२ लाख का घाटा होता है। भारत एक निर्धन देश है और पोस्ट कार्ड गरीब की आवश्यकता की वस्तु है। यदि मंत्रालय वास्तव में इसे लोक हित सेवा विभाग बनाना चाहता है तो १३·२ की लागत के पोस्ट कार्ड को ९ पाई पर बेचने पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। यदि यह वाणिज्य के आधार पर चलाया जाता है तो १३·२ पाई का कार्ड ९ पाई में बेच कर जनता की सेवा किस का गला काट कर की जाती है? यदि डाक तथा तार विभाग के लगभग २,१८,००० गरीब कर्मचारियों का गला काट कर ऐसा नहीं होता तो कैसे होता है? क्योंकि जब कभी भी थोड़ा वेतन पाने वालों को सुविधा देने का प्रश्न उठाया जाता है तो एक ही उत्तर मिलता है कि कोष की कमी है। सम्पूर्ण विभाग के वैत्तिक ढांचे तथा दर-नीति की जांच करने के लिये मन्त्रालय को एक विशेषज्ञ समिति स्थापित करनी चाहिये और मैं फिर स्मरण दिलाता हूं कि अब इस संयुक्त नीति को छोड़ने का समय आ गया है। यदि यह वाणिज्य आधार पर चलाया जाता है तो हमें जनता को बताना होगा कि हमें उन सेवाओं के लिये पैसा देना होगा जो हम पाते हैं। यदि यह लोक हित सेवा है तो जनसेवा गरीब कर्मचारियों का गला काट कर नहीं अपितु सरकार द्वारा आवश्यकता के समय अनुदान दे कर होनी चाहिये। उच्च पदाधिकारी को अपने परिवारवालों के लिये डाक्टरी सुविधा आदि भी मिलती हैं परन्तु श्रेणी चार के कर्मचारी को नहीं अर्थात् केवल गरीब कर्मचारी को ही कष्ट उठाना पड़ता है। यदि हम इसे लोक-हित सेवा विभाग मानते हैं तो मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि वह क्या और कैसे करने का विचार रखते हैं। परन्तु वह गरीब कर्मचारियों के हित की ओर देखना न भूल जायें।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग के पास स्थान की बहुत कमी है यहां तक कि कुछ डाक घरों में तो कुर्सियां भी इतनी नहीं हैं जितने कि वहां क्लर्क हैं। पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि डाक तथा तार घरों में जगह की बड़ी कमी है। यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की गई तो विभाग की कार्य कुशलता तीव्रता से घट जायेगी। उदाहरण के लिये आसाम राज्य में कदाचित अधिकतर राज्यों की अपेक्षा जगह की सब से बुरी दशा है क्योंकि आसाम सरकिल बनने तक यह बंगाल से सम्बद्ध था। इस के पूर्व वह बंगाल के आर० एम० जी० के आधीन था। वहां डाक तथा तार घरों आदि में जगह की अत्याधिक कमी है। प्रति वर्ष निर्माण के लिये धन की व्यवस्था होती है परन्तु निर्माण कार्य न होने के कारण उस व्यवस्था का उपयोग नहीं होता। यदि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य का निर्माण विभाग यह कार्य नहीं कर सकता तो वह स्वयं ही निर्माण विभाग बना लें। मैं ने राज्य के निर्माण कार्य मंत्री जी को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी और उन्हों ने उत्तर दिया कि उन के पास अभी नील मुद्र नहीं आये हैं। यदि आगामी तीन वर्षों के लिये उन्हें विस्तृत योजना नहीं दी गई है तो वह किस आधार पर अस्थायी अधिकारियों को रख सकते हैं?

[श्री सर्मा]

क्या मजदूर कल्याण संघ दफ्तरों में उच्च अधिकारियों की ही सहायता करने के लिये होते हैं अथवा वे वास्तव में मजदूरों के कल्याण के लिये होते हैं ? इस विषय पर गत वर्ष भी वार्ता हुई थी। मैं मंत्री महोदय से इस का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मजदूर कल्याण संघ के विषय में कुछ होना चाहिये क्योंकि इस समय मजदूर-कल्याण-अधिकारी डाक के महान संचालक के आधीन होने से कुछ यथोचित कार्यवाही नहीं कर पाता।

विशेषज्ञ समिति के निश्चयों के सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि भ्रमों को दूर करने के लिये वह सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करें। जहां तक भण्डार का प्रश्न है, विभाग के पास बेकार वस्तुओं का बड़ा भण्डार है। उन्हें नीलाम में बेच देना चाहिये और पर्याप्त मात्रा में नई वस्तुयें ले लेनी चाहियें ताकि इन दो तीन वर्षों के लिये भण्डारों की कमी के कारण पंचवर्षीय योजना की विकास-कार्यवाहियां रुकने न पायें।

टैलीफोन और तार के कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होनी आवश्यक है नहीं तो मंत्रालय दो तीन वर्षों की कमी पूरी न कर सकेगा। जहां तक रेल में डाक के डिब्बों का सम्बन्ध है उन के विषय में यह कहना कोई अतिशोक्ति न होगी कि बन्दियों के डिब्बे भी उन से अच्छे होते हैं। यह बात मैं देहली से कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास जाने वाली रेलों में डिब्बों के विषय में नहीं कह सकता।

चिकित्सा सुविधाओं के बारे में मैं यही कहूंगा कि विभाग के श्रेणी चार के कर्मचारियों को भी अपने परिवार वालों की चिकित्सा डाक्टरों से कराने की सुविधा दी जाये।

कुछ स्थानों में डाक तथा तार विभाग में कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। यदि इस का आधार रहन सहन की स्थितियों की कठिनता है तो यह आसाम में कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये। आसाम के छोटे छोटे नगरों में जिन की जनसंख्या १२,००० या १५,००० या १६,००० है, जीवन यापन व्यय देहली या कलकत्ता के जीवन यापन व्यय से अधिक है। यदि माननीय मंत्री को मेरे शब्दों पर विश्वास न हो तो वह जांच करा सकते हैं।

श्री जगजीवन राम : आसाम सरकार से पूछिये।

श्री सर्मा : यह आसाम के व्यक्तियों की त्रुटियों के कारण नहीं अपितु भारत के विभाजन तथा यातायात की कठिनाइयों के कारण हैं। आसाम सरकार आप को तथ्य बताती है परन्तु एक बार आप वहां क्यों नहीं जाते। हमारे मंत्री गण कभी कभी आई० सी० एस० अधिकारियों की दृष्टि से देखते हैं। जिन में से कुछ अभी तक अपने दिलों को नहीं बदल सके हैं।

पंडित बी० शुक्ल (दुर्ग-बस्तर) : मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं। चुनांचि प्रस्तुत विषय ऐसा है, जिस के बारे में मेरा यह विचार था कि बहुत कम व्यक्ति बोलेंगे, क्योंकि इस में विवाद होने की कोई भी गुंजाइश नहीं, किन्तु आप की दृष्टि में आना बहुत ही कठिन था।

विरोधी दल के नता ने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या यह विभाग सार्वजनिक उपयोगिता का विभाग है अथवा वाणिज्यिक अभिप्राय से खोला गया है। यद्यपि इस में दोनों बातें हैं तथापि

मेरा यह विश्वास है कि इस विभाग से सार्वजनिक उपयोगिता का ही अभिप्राय लिया जाना चाहिये। मैं चुने जाने के बाद पहली बार प्रान्तीय डाक-कामकर संघ के अधिवेशन में गया, और मुझे इस के उद्घाटन करने का गौरव भी प्रदान किया गया। चुनांचि मैं ने देखा कि यह सर्व श्रेष्ठ कामकर संघ है, और सुसंस्थित है। वहां अधिवेशन में कई एक बातों पर चर्चा हुई, जिन में से कामकरों का चुनाव भी एक विषय था। उस समय लोगों की यह शिकायत थी कि पुराने कर्मचारियों को कोई भी मौका नहीं दिया गया, और नये कर्मचारी लिये गये। इस शिकायत को दूर किया गया, परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि अभी और सुधार होने की काफी गुंजाइश है। वास्तव में देश के समक्ष कई समस्यायें हैं, और भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न समस्यायें हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने आसाम की ओर निर्देश करते हुए बताया था कि वहां डाकघरों की अधिक आवश्यकता है। हो सकता है कि उन की यह बात ठीक हो, किन्तु उस के यह अर्थ नहीं है कि और जगहों में इस की अधिक आवश्यकता नहीं है। मैं तो समझता हूं कि हमारे प्रान्त के उस क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं डाकघरों की जितनी आवश्यकता है, उतनी शायद और कहीं नहीं होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में ५०-५० मील के क्षेत्र में कोई डाकघर नज़र नहीं आता। और आसाम के माननीय सदस्य ने यह शिकायत की थी कि वहां आसाम में १०-१० मील की दूरी पर जाना पड़ता है। इस में सरकार का कोई भी दोष नहीं, कठिनाई इस बात की है कि यह क्षेत्र आदिवासियों का है। यों तो सरकार इन जातियों के लिये काम कर रही है, किन्तु फिर भी उसे उन को शिक्षा देने के साथ-साथ संवाद-परिवहन की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिये। आप इस बात का अनुमान कीजिये कि उन क्षेत्रों में डाकिये द्वारा एक ही चिट्ठी मिलने से कितनी प्रसन्नता होती होगी, जहां पहले कभी भी चिट्ठी-पत्री का नाम नहीं था। सामूहिक परियोजनाओं के इस युग में अच्छा, सुव्यवस्थित परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक परिवहन का विकास नहीं होता, तब तक किसी भी जाति का विकास नहीं हो सकता।

हम इन आदिमजातियों के साथ इसलिये भी सम्पर्क में नहीं आ सकते क्योंकि परिवहन तथा यातायात की कठिनाइयां हैं। उन्हें इन दिक्कतों के कारण शिक्षित भी नहीं किया जा सकता। यदि डाकघर होते और डाक लाने ले जाने की व्यवस्था होती तो हम उन के पास ऐसी पाठ्य पुस्तकें भेजते जिन से उन्हें शिक्षा मिलती। समाज शिक्षा में मैं जो भी कार्य किया है, उस के आधार पर मेरा यह अनुभव है कि ऐसे लोगों को एक बार पढ़ा लिखा कर यदि निरन्तर रूप से उन्हें पढ़ने-लिखने का अभ्यास नहीं कराया जाय, तो वे उस पढ़े-लिखे को भूल जाते हैं। तो स्पष्ट है कि यदि हम इन क्षेत्रों में नियमित रूप से डाक का सम्पर्क बना रखें, तो इन लोगों को रुचि की वस्तुयें मिलती रहेंगी, और इन में समाज की सभ्यता फैलेगी

यह एक ऐसा विभाग है, जिस के सम्बन्ध में कोई भी विवादास्पद बात नहीं हो सकती। चुनांचि यह विभाग जीवन के प्रत्येक पहलू से गाढ़ा सम्बन्ध रखता है—यही कारण है कि मैं कटौती प्रस्तावों का विरोध तथा मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री पी० जी० सेन (पूर्निया मध्य) : मैं एक पिछड़े हुए इलाके से आ रहा हूं और खास कर के वह इलाका जिस में एक तरफ गंगा नदी बहती है और दूसरी तरफ कोसी। और उस इलाके को कोसी इलाका कहने में कोई हर्ज नहीं है। इन दोनों नदियों

[श्री पी० जी० सेन]

वजह से यहां के गांवों की हालत काफी बिगड़ी हुई है और काफी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ती है ।

पहले मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि वह अभी हवाई जहाज के यातायात का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, मगर साथ ही में उन से यह भी कहूंगा कि हम लोगों के यहां जो एयरोड्रोम्स (हवाई अड्डे) हैं, उन की तरक्की करनी चाहिये ताकि कम से कम हवाई जहाज से कुछ न कुछ कनेक्शन (सम्बन्ध) उस पिछड़े इलाके का हो जाये, क्योंकि अभी तक गंगा नदी के ऊपर पुल बांधा नहीं जा सका है, अभी तो मुकामा पुल ही बनने में देर है, मनीहारीघाट को कौन पूछता है, पर इस का बनना बहुत जरूरी और उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आसाम से लिंक कनैक्शन (सम्बन्ध) इसी रास्ते से हो कर सहज हो सकता है ।

इसके अलावा माननीय मंत्री ने जो करीब बीस हजार के पोस्ट आफिसेज खोले हैं और जिन की उपयोगिता के बारे में हाउस के हर एक मेम्बर ने जोर दिया है सो मैं भी समझता हूं कि यह बहुत ठीक काम हुआ है और मैं उन को इस काम को करने के लिये हार्दिक बधाई देना चाहता हूं । आप की पिंक रिपोर्ट में भी इस के बारे में जिक्र आया है और उस में आप ने बतलाया है कि इन का खोलना बहुत जरूरी था । जहां तक दो हजार की आबादी का सवाल है, उस के बारे में भी आप को इस दृष्टिकोण से देखना है कि हिन्दुस्तान के गांव छोटे छोटे हैं और बहुत बिखरे हुए भी, इसलिये इस बारे में जो ध्यान दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया और क्षेत्र एक पोस्ट आफिस में आ जाये, ४, ५, ६ गांवों को मिलाकर भी उन के लिये एक पोस्ट आफिस खोलें, इस के लिये भी मैं आप को बधाई देना चाहता हूं कि आप ने इस ओर ध्यान दिया है ।

अब सवाल पोस्ट आफिसेज में जो मुलाजमीन काम करते हैं उन को एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिये है । पूर्णिया में इस हेतु आप ने अपने बजट में कर्मचारियों के क्वार्टरस बनाने के लिये कुछ रकम रखी है इस के लिये भी मैं आप को बधाई देता हूं । १२ एच० टाइप क्वार्टरस आप पूर्णिया में बनाने जा रहे हैं, मगर इस काम की रफ्तार और प्रगति इतनी धीमी व सुस्त है कि यह नहीं कहा जा सकता कि वह काम कब तक जा कर पूरा हो सकेगा ।

मैं अभी कुछ देर पहले यहां उस कोसी इलाके की बाबत कह रहा था, यह पूर्णिया का इलाका भागलपुर डिवीजन के अन्दर पड़ता है, लेकिन भागलपुर डिवीजन और पूर्णिया में जो एक तफरका या प्राथक्य है, उस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि वह प्राथक्य दूर हो सके । मैं आपको बताऊं कि पूर्णिया भागलपुर में पड़ने की वजह से पूर्णिया को एक ट्रेनिंग ग्राऊंड बनाकर रक्खा हुआ है और जितने एक्सपर्टस् या अनुभवी आफिसर्स पूर्णिया में होते हैं उन को भागलपुर भेज दिया जाता है, यह अक्सर देखा जाता है कि पूर्णिया में जहां कोई थोड़ी भी इक्सपिरियन्सड (अनुभवी) हुए, तो उन को वहां से हटा लिया जाता है और नतीजा यह होता है कि पूर्णिया में बराबर योग्य हैंड्स की शार्टेज (कमी) बनी रहती है और यही कारण है कि वहां काम में गड़बड़ी और ऐफीशियेंसी कम हो रही है । एफीशियेंट (योग्य) लोग वहां न रहने की वजह से नीचे के तबके के लोग काम करना सीख भी नहीं सकते हैं और कोई पूछने और बताने वाला नहीं होता कि क्या है और क्या नहीं है, और इस के फलस्वरूप

पोस्टल सर्विसेज के ऊपर और स्टाफ के बारे में बड़ी भारी शिकायत और प्रैशर बढ़ जाता है। और यह भी एक कारण है जिस से उन की एफिशियेंसी (कार्यक्षमता) कम होती है और उन को पनिशमेंट मिलता है क्योंकि वह काम नहीं जानते हैं और गल्ती हो जाया करती है। फिर उन को कोई बताने वाला भी नहीं होता है।

अब वहां के औफिस एकोमोडेशन का सवाल लीजिये। इस बारे में मैं यह कहना चाहता था कि अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज और कटिहार वगैरह में तो, ऐकोमोडेशन की कमी है ही, लेकिन पूर्णिया जो कि हैड आफिस है वहां की हालत यह है कि १४०४ स्क्वायर फीट का कमरा है जिस में लगभग ५५ आदमी काम करते हैं, एक तो हैड आफिस का डाक घर, फिर उस में टेबल कुर्सी वगैरह, पिअन्स (चपरासी) रहते हैं, डाक इत्यादि आती है। आप समझ सकते हैं कि १४०४ स्क्वायर फीट के दायरे में ५५ आदमी काम करते हैं तो किस तरीके से करते होंगे। इसलिये रोज वहां यह देखा जाता है कि आज यह चोरी हो गई आज यह कमी हो गई आज यह पैसा कम हो गया। आज थैला काटा तो उस में सील नहीं है, लेकिन इस की ओर कोई देखने वाला नहीं है। जब से मैं पोस्ट ऐंड टैलीग्राफ वर्कर्स यूनियन का सभापति चुना गया तब से मेरे पास इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि इस प्रकार से किस तरह काम करें। मुझ को उन से मिलने जुलने का मौका भी मिलता रहता है और उन के हृदय की बात जानने की भी कुछ सुविधा मिलती रहती है। वह लोग खुद बताते हैं कि जब कभी इस तरह से रुपये गायब होते हैं तो लोग किसी से कहते भी नहीं हैं, और आपस में ही मिल जुल कर रुपया पूरा कर देते हैं, ५५ आदमियों के दरम्यान में किसी का कुछ पता नहीं लगता है कि किस ने लिया है। इसलिये वह अपनी भलाई इसी में समझते हैं कि अगर तीन सौ रुपये गायब हुए तो दो तीन आदमियों ने मिल कर जिनकी जिम्मेदारी रही उसे दे दिया, यह सोच कर कि कौन कानून के झंझट में पड़े। सब को पुलिस वाले पकड़ कर ले जायेंगे और सब को हेरासमेंट (परेशानी) होगा। नौकरी छोड़ कर उन को जेल जाना पड़ेगा। इस लिये वह खुद ही रफा कर लेते हैं।

मुझे यह बात कहनी थी कि पूर्णिया पोस्ट आफिसेज में जगह और बढ़ानी चाहिये, और वह अब तक नहीं हुआ है। हां, अभी कुछ दिन से बातचीत चल रही थी कि पूर्णिया में आयरन केज (लोहे का कमरा) बनाया जायगा क्योंकि वहां पर ट्रेजरी है। लेकिन अभी तक वहां आयरन केज बनाने के बारे में कोई खास बात नहीं हुई है। यह भी नहीं मालूम हो सका है कि वह बनाया भी जायगा या नहीं। हालांकि इस सिलसिले में बात बहुत दिनों से चल रही थी।

अगर आप कोसी एरिया और पूर्णिया के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि पूर्णिया को एक अलग डिवीजन बनाना चाहिये जिस का पूर्णिया हैड क्वार्टर हो। हमारे माननीय मेम्बर मिश्र जी ने भी एक कट मोशन दिया है कि वहां उन के इलाके में टैलीग्राफ आफिस होना चाहिये। आप की जो रिपोर्ट है उस में भी दिया हुआ है कि आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट टैलीग्राफ आफिस खोलने की बात सोच रहे हैं। यह भी बहुत सराहनीय बात है, और इस के हो जाने से कुछ अंश में आप का काम पूरा होगा। हमारे मिश्र जी भी चाहते हैं कि बलवा बाजार होते हुए फारबिसगंज से बीरपुर तक टैलीग्राफ लाइन होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मा० मिश्र जी भी कहना चाहते थे, इसलिये मैं खास कर माननीय

[श्री पी० जी० सेन]

मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह है कि फारविशगंज को भी एक्सचेन्ज आफिस कर देना चाहिये। हो सकता है बजट में रुपया न होने की वजह से बहुत से एक्सचेन्ज न खुल सकेंगे। मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि बजट के इस मद में रुपया कट जाने पर भी आप फारविशगंज को छांट नहीं देंगे।

एक बात मुझे टेलीफोन एक्सचेन्ज के बारे में भी कहनी है। पूर्णिया में टेलीफोन एक्सचेन्ज नहीं है सिर्फ पबलिक काल आफिस है। और एक ही आदमी को टेलीग्राफ और टेलीफोन दोनों ब्रांचों में काम करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि जब कभी कोई टेलीफोन आता है तो कोई खबर देने वाला भी नहीं होता है। मेरा यह कहना है कि पबलिक काल आफिस में कम से कम एक आपरेटर जरूर होना चाहिये। और एक साकिनिस्ट भी होना चाहिये जिस में कि अगर कोई टलीफोन आये तो वह खबर तो दे। अक्सर लोग कहते हैं कि कभी कोई टेलीफोन करने आता है तो पता नहीं चलता है कि "काल" कब आये, क्योंकि कटिहार आफिस ऐक्सचेन्ज के लिये वहां घंटों बैठ कर इन्तजार करना पड़ता है। इसलिये पूर्णिया से डाइरेक्ट लाइन होनी चाहिये और पूर्णिया में एक्सचेन्ज बनना बहुत जरूरी है।

अब थोड़े से शब्द म एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट मास्टरस के बारे में कहना चाहता हूं। और वह यह है कि आप पिअन्स को तो मौका देते हैं कि वह आप के डिपार्टमेंट में किसी जगह काम कर सकता है। वह इम्तहान पास कर ले तो आप उस को ले लेते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट मास्टर्स को मौका नहीं देते हैं। वह पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उन को भी इम्तहान वगैरह में बैठने का मौका देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो आप के यहां के रेगुलर केडर (पदाली) के पिअन्स हैं वह भी अच्छी अच्छी जगह पहुंच गये हैं, ऐसी हालत में इन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट मास्टर्स को डिबार (निर्योग्य) कर देना और उन जगहों पर न लेना उन लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिये उन लोगों को खास कर जो कि जूनियर कैम्ब्रिज पास हैं उन को तो जरूर ही लेना चाहिये।

हमारे इस्लामपुर में एक बड़ा पोस्ट आफिस है और उस में एक ही पोस्ट मास्टर था, हैन्डस की कमी की वजह से वह अकेले सब काम नहीं कर सकता था, दो आदमी पियेन्स ग्रेड से लिये गये वे भी काम नहीं जानते थे और काम जमा हो गया आखिर में उस पोस्ट मास्टर के ऊपर लांछन लगा कर उसे पूर्णिया भेज दिया गया। पहले आप ने उन के कहने के मुताबिक दूसरा आदमी नहीं दिया, लेकिन बाद में आदमी दिया गया। यह कितना अन्याय है।

एक पी० एन्ड० टी० ट्रेनिंग सेन्टर आप हजारीबाग में खोलना चाहते हैं मैं कहूंगा कि बंगाल, बिहार, और आसाम के लिये आप ट्रेनिंग सेन्टर खोल रहे हैं तो भागलपुर में क्यों नहीं खोलते ? यह गंगा के किनारे होगा और आसाम वालों के लिये भी सुभीता होगा। कलकत्ते वालों के लिये तथा नार्थ बंगाल के लिये भी ज्यादा सुभीता रहेगा। इसलिये मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि वह भागलपुर में खोला जाय तो सब से बढ़िया होगा।

इतना ही कह कर मैं कुछ ज्यादा समय लेने की वजह से माफी मांगता हूं।

श्री रामजी वर्मा : कम्युनिकेशन विभाग यदि सुचारु रूप से काम करता

तो देश की तरक्की में उस की उन्नति का कोई सन्देह नहीं हो सकता ।

श्री राज बहादुर : संवाद-परिवहन विभाग ।

श्री राम जी वर्मा : स्वराज्य होने के बाद अगर देश की उन्नति शीघ्र से शीघ्र करनी हो तो इस के लिये आवश्यक है कि कम्युनिकेशन विभाग पर खास तौर से ध्यान दिया जाय । मैं यह देख रहा हूं कि कम्युनिकेशन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हर प्रकार से सहयोग करने के लिये तैयार हैं, वह काम करते हैं यह ऐसा डिपार्टमेंट है, जिस में ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को छुट्टी बिल्कुल नहीं होती । साल भर में कोई अज नहीं मिलती । उन को इन्क्रीमेंट, उन को कन्फर्मेशन और उन को रहने की सुविधायें नहीं मिलतीं । जब कुछ लोगों को मालूम हुआ कि मैं भी इस सब्जेक्ट पर यहां बोलने वाला हूं तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्हों ने यह बतलाया कि इस दिल्ली शहर में जहां इस डिपार्टमेंट में पुरुष और स्त्रियां दोनों काम कर रहे हैं, उन के लिये अलग से लैट्रीन (टट्टी) की गुंजाइश नहीं है । यह उन के रहन-सहन का तरीका है तो वह कैसे ठीक ठीक काम कर सकते हैं मैं तो समझता हूं कि इस डिपार्टमेंट में अगर कहीं सुस्ती है तो वह सरकार की तरफ से । इसलिये मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस ओर अधिक ध्यान दें । आप जानते हैं, और सभी को इस बात का अनुभव है कि देहातों में लोग किस तरह से धूल फांक कर इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं । अगर आप आर० एम० एस० में देखिये तो एक छोटे से डिब्बे में जहां जगह जगह थैले और बंडल पड़े रहते हैं वहां यह लोग कैसे काम करते हैं फिर प्रायः आर० एम० एस० के डिब्ब सब से पीछे रहते हैं, इसलिये वह सब से ज्यादा हिलते भी हैं । और उन लोगों को वहां पढ़ने लिखने की गुंजाइश नहीं रहती है । इस तरह से यह लोग सर्विस करते हैं ।

देहात से लेकर शहर तक के पुरुष और स्त्री जो कि इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और बिना छुट्टी लिये इस डिपार्टमेंट में काम करते जा रहे हैं आप की तरफ से उन को क्या सहयोग मिलता है ? सरकार की तरफ से उनको क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ? अगर वह अपनी शिकायतों को आप के सामने रखने के लिये कोई यूनियन बनाते हैं तो आप छोटी छोटी यूनियनों को तरजीह दे कर शक्तिशाली यूनियन को इगनोर (उपेक्षित) कर देते हैं । उन की बातों को आप नहीं सुनते । मुझे यह सुन कर बहुत हैरत (आश्चर्य) हुई कि एवियेशन डिपार्टमेंट में पहली तीन यूनियनें काम करती थीं तो आप ने कहा कि सब को तोड़ कर एक यूनियन बनाओ । उन्हों ने उन सब को तोड़ कर एक यूनियन बनाई जिस का नाम उन्हों ने सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट ऐम्पलाइज यूनियन रक्खा । लेकिन आप की तरफ से उस को अब तक मान्यता नहीं मिली है और किसी पुरानी यूनियन को जो कि अब एक्जिस्ट तक नहीं करती है आप मान्यता दिये जा रहे हैं । यह आप की हुकूमत की गति है और दूसरी तरफ उन का काम है । तो कैसे काम चल सकता है । अगर आप मुल्क की तरक्की शीघ्र से शीघ्र करना चाहते हैं तो कर्मचारियों की ओर इस तरह से उपेक्षा कर के नहीं कर सकते हैं । अगर आप के मुल्क की तरक्की होनी है तो आप को सहयोग करना चाहिये । कहा जाता है कि इस डिपार्टमेंट के लोगों में सुस्ती बढ़ रही

[श्री राम जी सर्मा]

है। अगर इन में कोई दोष या खराबी हो रही है तो उस का यही कारण है कि आप ने अपनी तरफ से उपेक्षा कर रखी है। इसलिये मैं आप से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इस तरफ ध्यान दीजिये।

मैं ने सुना है कि सरकार एवियेशन डिपार्टमेंट का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। शीघ्र से शीघ्र करे। जितना इस तरफ के विभागों और धन्धों का सरकार राष्ट्रीयकरण कर ले उतना ही अच्छा होगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पोस्टल डिपार्टमेंट के लिये शायद कुछ सेन्टर्स बढ़ाये जाने वाले हैं। हमारे देश में इतने काम बढ़ रहे हैं और लोगों में जहां जहां चेतना बढ़ रही है वहां वहां आदमी उतना ही अधिक काम लादते जा रहे हैं। तो आप सेन्टर्स जरूर बढ़ाइये। लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से रेलवे के अन्दर जोनिंग रखा गया है उसी तरह से सांइंटिफिक लाइन पर देख भाल कर आप इन सेन्टर्स को बढ़ायें जिस से एफिशेंसी बढ़ सके लेकिन आप यह देख लीजिये कि किसी प्राविंस या स्टेट के नाम पर सेन्टर न बढ़ाये जायें क्योंकि यह खतरनाक होगा। इस चीज को आप न बढ़ने दें यह आप से मेरा निवेदन है।

हिन्दी के सम्बन्ध में मैं ने गत वर्ष भी आप से निवेदन किया था। अंग्रेजी हुकूमत एक रात में यहां से विदा हो सकती है लेकिन क्या आप के डिपार्टमेंट में इस अंग्रेजी की मुहर को जाने में भी १५ वर्ष लग जायेंगे। क्या यह आप की गति है, रफ्तार है। अगर आप चाहें तो आप मुहरों को एक क्षण में चेन्ज कर सकते हैं।

श्री भागवत झा : (पूर्निया व सन्थाल परगना) : अगर हिन्दी में पता लिखा हो तो वह अंग्रेजी में लिखवा कर तब, चिट्ठी डिलीवर करते हैं।

श्री राम जी वर्मा: इस में आप बहुत देरी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन अंग्रेजी सीलों (मुहरों) को आप रद्दी की टोकरी में रखिये और हो सके तो इन की कोई और चीज बनवा लीजिये। लेकिन आप अंग्रेजी की मुहरें बदल कर अब हिन्दी में कर लीजिये, यह बहुत आवश्यक है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह भी धीरे धीरे १५ वर्ष में बदल जायेंगी। इन के लिये तो देर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इन को तो आप फौरन बदल सकते हैं।

हिन्दी तारों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आज भी देहातों में लोग अंग्रेजी तार पढ़ाने के लिये दूसरी जगह ले जाते हैं। यह चीज भारत के हर कोने में होती है। अगर कुछ समय हिन्दी के तार को भी पढ़ाने के लिये ले जाना पड़े तो कोई बात नहीं लेकिन आप को इसे प्रोत्साहन देना चाहिये। आप ने सिर्फ बड़े बड़े शहरों में हिन्दी के तार का प्रबन्ध किया है। यू० पी० और बिहार के सूबों में तो हिन्दी बोली जाती है। इसलिये अगर आप इन सूबों में एक सिरे से हिन्दी में तार का प्रबन्ध कर दें तो इस को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और आप को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारी आमदनी कम हो रही है। लेकिन अगर आप कलकत्ता और बम्बई में हिन्दी के तार का प्रबन्ध करेंगे तो वहां कौन हिन्दी में तार देने जायेगा। तो इन सूबों में आप हिन्दी तार घरों को बढ़ाइये यह मेरी आप से दरख्वास्त है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की तरफ भी दिलाना चाहता हू। गोरख-

पुर जहां पर रेलवे हैडक्वार्टर है वहां पर वह एक बहुत अच्छा ऐरोड्रोम भी है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि उसे भी आप हवाई मार्ग पर एक स्टेशन बना लें।

श्री राज बहादुर : वहां हवाई मार्ग से चलने वाले नहीं हैं।

श्री राम जी वर्मा : आप डाकखाने के अन्दर सब चीजों के रेट बढ़ा रहे हैं, जैसे रजिस्ट्री और बीमा वगैरह। मेरी एक दरख्वास्त यह है कि आप कार्ड और लिफाफे के सम्बन्ध में फिर गौर करें और कार्ड को दो पैसे और लिफाफे को एक आना का कर दें और रजिस्ट्री में भी कुछ कम कर दें।

श्री राज बहादुर : पहले आपस में सलाह कर लीजिये।

श्री राम जी वर्मा : मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा करने से सरकार की आमदनी निश्चित रूप से कम नहीं होगी और इस से लोगों को एक मेंटल सैटिसफैक्शन (मानसिक शान्ति) होगा जिस से मुल्क को एक बहुत बड़ा लाभ होगा। इस लिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर फिर से गौर करें कि वह कार्ड और लिफाफ का दाम कम कर दें और रजिस्ट्री की फीस कम कर दें।

अब मैं आप का और अधिक समय न लेकर यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना कदम बढ़ायें और इस डिपार्ट में काम करने वालों की तरफ, जो कि धूल फांक कर भी काम करने को तैयार हैं, ध्यान दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह लोग उत्साह से काम करने पर जुट जायेंगे और डिपार्टमेंट में ऐसी ऐफीशेंसी आजायेगी कि वह दुनिया के किसी भी देश के सामने आदर्श कायम कर सकेगा।

श्री गुलाम कादिर (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आज आप ने मूझे इस हाउस में पहिली दफा बोलने का मौका दिया।

यहां पर एक बड़े फाजिल मैम्बर ने अपनी तकरीर में फरमाया कि वह एक पिछड़े हुए इलाके से आया है, लेकिन मैं एक ऐसे शानदार इलाके से आया हूं जो इस वक्त तमाम मुल्क में हर खासो आम की जबान पर है।

जनाब वाला, छः साल के दौरे-आजादी के अरसा के अन्दर मिनिस्ट्री मतअल्लिका ने जिस तेज रफतार के साथ मुल्क के अन्दर रसलो रसायल के काम को तेजी से बढ़ा दिया है, इस के लिये वह काबिले मुबारकबाद और काबिले तारीफ है। बावजूद इस के कि उस वक्त मुल्क में बहुत बड़े बड़े अहम काम जैसे डिफैंस, इरिगेशन वगैरः हो रहे हैं और एग्रीकल्चर पर बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि मुल्क के अन्दर फूड की कमी दूर हो, इस महकमे ने थोड़ी सी रकम में जो कुछ किया है वह काबिले तारीफ है। जनाबवाला, इस दौरान में बावजूद इस के कि बहुत से बड़े बड़े काम जेरे-तामीर हैं, इस महकमे ने भी जिस तरह काम चालू रखा है वह किसी से पोशीदा नहीं है।

जिस वक्त कि इस मुल्क में आजादी हासिल हुई वह ऐसा वक्त था जब कि सदियों तक बैरूनी हुकमरान ने इस मुल्क में बैरूनी बादशाही कायम कर रखी थी और इस मुल्क को वीराना और डैसर्टेड सूरत में रखा हुआ था। इस को चन्द साल के बहुत कम अरसे के दौरान में पूरा करना नामुमकिन और मुश्किल बात है। बावजूद इस के उन्हों ने काबिले-तारीफ काम किया। जनाब आली, मेरा इलाका जिस को वैली काश्मीर कहते हैं इस बड़ी वैली के अन्दर छोटी छोटी और वैलियां हैं, वादियां हैं जिन के दरम्यान

[श्री गुलाम कादिर]

१२ हजार फुट बुलन्दी से २० हजार-२४ हजार और २५ हजार फुट बुलन्द बरफानी पहाड़ की चोटियों से ढकी हुई हैं। वहां पर सदियों से बैरूनी हुक्मरानों ने आज तक उन महदूद वादियों के अन्दर पोस्ट व टैलीग्राफ (तारघर) और डाकखाना का ख्याल तक दिमाग में नहीं सोचा। लेकिन छः साल के अरसा के अन्दर ही मिनिस्ट्री मतआल्लिका ने इस काम को हाथ में ले कर बहुत हद तक सरअंजाम दिया है।

मैं एक दो बातें जरूरी, जनाब आली, अर्ज करना चाहता हूं। वह यह हैं कि काश्मीर के इलाके में जो कि शुमाल की तरफ एक सरहदी इलाके के साथ मिलता जुलता है बहुत ही अहम मुकामात हैं। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक हिस्सा तिब्बत के साथ मिलता है और दूसरा हिस्सा सिंक्यांग के साथ मिलता है सिंक्यांग के साथ जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट की वादी का हिस्सा है उस इलाके को नोबदा वैली कहा जाता है। नोबदा वैली में जहां तक उस इलाके की आबादी का ताल्लुक है, करीब छः हजार या सात हजार की आबादी है। आज तक वहां पर शायद कोई भी छोटा डाकखाना भी नहीं खोला गया है, न ही वहां कोई तारघर है। वह आबादी कम से कम तीन चार महीने बर्फ के पहाड़ों से ढकी रहती है। रास्ता करीब करीब महदूद हो जाता है जिस के लिये मैं मिनिस्टर मुताआल्लिका से दरख्वास्त करूंगा कि वह उस इलाके में कम से कम जितना भी जल्द हो सके एक डाकखाना और तारघर खोलें। उस के अलावा एक और इलाका जांस्कर वैली है। उस के लिये भी मैं खास तौर पर दरख्वास्त करूंगा कि एक डाकखाना और एक तार घर खोलने की बहुत जरूरत है। यह इलाका हर लिहाज से बहुत अहम है। डिफैंस के लिहाज से भी और लोगों के लिहाज से भी जो बहुत दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं। वहां पर कोई सड़क भी नहीं है पन्द्रह दिन श्रीनगर से लद्दाख तक पहुंचने में लग जाते हैं। मैं मिनिस्टर मुतआल्लिका से दरख्वास्त करूंगा कि उस इलाका के लिये जितना भी जल्द हो सके तार घर और डाकखाना मुहय्या करें।

इस के साथ ही एक बहुत बड़ा इलाका तिब्बत के साथ मिलता है। उस इलाका में भी डाकखाना और तारघर खोलने की बहुत जरूरत है। अगरचि इस वक्त मुल्क की मौजूदा हालत और मुल्क की जरूरियात के मुताबिक माली हालत कमजोर होने की सूरत में मैं महकमा मुताआल्लिका पर बोझ तो नहीं डालना चाहता लेकिन इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि जितना भी थोड़ा बहुत हो सके, जितना भी कम से कम हो सके, फौरी तौर पर उस इलाका का ख्याल रखा जाये।

इस के बाद मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बजट में बहुत सा रुपया रखा गया है। मैं ने जहां तक इस को थोड़ा बहुत देखा मुझे काश्मीर स्टेट के बारे में किसी भी जगह कोई भी आइटम में नहीं नाम दिखलाई दिया। हालांकि नये तार घर बनाने के बारे में गवर्नमेंट ने ४८ लाख रुपये की रकम रखी हुई है लेकिन काश्मीर के लिये कोई भी हिस्सा मखसूस नहीं किया गया है, काश्मीर में बहुत से ऐसे डाकखाने हैं जो छोटी छोटी दुकानों में रखे हैं, छोटी छोटी झौंपड़ियों में बैठे हुए हैं और उन दुकानों का किराया देना पड़ता है। उस के लिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस साल जो एस्टीमेट बनाया हुआ है उस में कम से कम जहां जहां काश्मीर रियासत की अहम जगहें हैं और जहां बहुत काम डाकखानों को है और तारघरों को है वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई जायें।

जनाब आली, इस के बाद ६४ लाख रुपया नई लाईंस के लिये मिनिस्टर मुतआल्लिका ने अपने बजट में रखा हुआ है। इस ६४ लाख रुपये में भी मुझे काश्मीर के लिये एक पाई भी नजर नहीं आया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि काश्मीर स्टेट में जैसे मैं ने पहले भी कहा बहुत बड़े बड़े दरयाओं और पहाड़ों की वजह से बहुत कुछ हिस्से अलग अलग हैं और उन हिस्सों को जोड़ने के लिये एक ही रस्सी में डालने के लिये कम से कम महकमा मुतआल्लिका को ख्याल रखना चाहिये था कि उन इलाकों को भी अपनी इस रस्सी में जोड़ लें। इस के साथ ही मैं एक बात और यह अर्ज करूंगा कि वहां बहुत से इलाके ऐसे हैं जो डिफेंस के लिहाज से अहम हैं। उन इलाकों का महकमा मुतआल्लिका को खुद इल्म है। मिनिस्टर मुतआल्लिका अपने महकमों से उन के नाम दरयाफ्त कर सकते हैं। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं। वहां तार घर और डाकखाने खोलने की जरूरत है। जनाब आली, ६४ लाख रुपये की रकम जो नई लाइनों के लिये है उस में काश्मीर के लिये एक पैसा भी नहीं रखा हुआ है। मैं मिनिस्टर मुतआल्लिका से अर्ज करूंगा कि रियासत काश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन को नई लाइन की जरूरत है। उसी तरह एक करोड़ सात लाख रुपये की रकम और रखी गई है जो कि टैलीग्राफ लाइन्स को नई माडर्न तरीके पर बनाने के लिये है। उस रकम में भी काश्मीर के लिये एक पैसा नहीं रखा हुआ है हालांकि बहुत सा ऐसा इलाका है बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जिन को, माडर्न तरज पर बनाना है। श्रीनगर से करगिल तक ऐसा इलाका है जिस में कई हिस्सों में जाड़े के मौसम में टैलीग्राफ लाइन कट जाती है और शायद जहांतक मुझे याद है डिफेंस मिनिस्ट्री से और डिफेंस वालों की तरफ से भी इस के लिये कहा गया था कि कम से कम उस टैलीग्राफ लाइन को श्रीनगर से ले कर करगिल तक अन्डरग्राऊंड लिया जाये जिस से कि उस इलाके के लोगों को और खास कर डिफेंस के इन्तजामात को पूरी तरह से और अच्छी तरह से मजबूत किया जाता। इस डेढ़ करोड़ रुपये में से एक पैसा भी काश्मीर के लिये नहीं रखा गया है।

जहां सन् १९५१-५२ में मिनिस्ट्री मुतआल्लिका ने इस रियासत में भी बहुत से छोटे छोटे डाकखाने खोले, लेकिन १९५३-५४ को जहां तक मैं ने स्टडी किया है कोई भी ऐसा नया प्रोग्राम नहीं रखा हुआ है। हालांकि अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं वैली के बाहर और अन्दर भी जहां कि डाक घर खोलना निहायत जरूरी है, दूसरी बात यह है कि गजश्ता साल भी मैं ने मिनिस्टर मुताआल्लिका से दरख्वास्त की थी और एक सवाल इस बारे में पूछा था और आज फिर उन की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि सोनमर्ग और करगिल के दरम्यान जो मेलहट्स रेड़ के दौरान में तबाह हो गई थीं वह अभी तक नहीं बन पाई हैं। वह ऐसी जगह हैं जहां कि मेल रनर्स को पच्चीस पच्चीस और तीस तीस मील आन फुट जाना पड़ता है : वहां अभी तक मेल हट्स सारी की सारी तामीर नहीं हो सकी हैं। मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि कुछ तामीर हो गई हैं और कुछ अभी तक नहीं हो गई हैं। इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि वह सारी की सारी तैयार हो जायेंगी।

जनाब वाला, मैं सिर्फ एक मिनट में उन मेल रनर्स (हरकारों) की बाबत जो सोनमर्ग से करगिल के बीच दौड़ते हैं उन की हालत बतलाना चाहता हूं और आप का ध्यान उन की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन के लिये कोई भी मैडीकल एरेन्जमेंट नहीं है जब कि उस इलाके में खास कर के सरदी के मौसम में वहां इतनी शिद्दत की सरदी पड़ती है कि सारा इलाका जमा रहता है और वहां उन

[श्री गुलाम कादिर]

के लिये कोई मैडिकल अरेन्जमेंट का न होना वाकई बहुत गौर तलब है और मैं चाहूंगा कि उसकी तरफ स्टेट मुतआल्लिका के मैडीकल डिपार्टमेंट की तवज्जुह दिलाई जाये ताकि उन के लिये ठीक तौर पर दवाई दारू का बन्दोबस्त किया जाये । मैं आप का और हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और मैं तमाम कटमोशन्स की मुखालिफत करता हुआ और ग्रांट्स को सपोर्ट करता हुआ बैठ जाता हूं ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मेरे मित्र प्रो० एच० एन० मुकर्जी ने मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि क्या डाक-तार विभाग सार्वजनिक उपयोगिता सार्थ है अथवा वाणिज्यिक सार्थ । अब इस के साथ मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या डाक-तार विभाग राजस्व कमाने वाला विभाग है ?

इस संदर्भ में मुझे पुरानी केन्द्रीय विधायिनी सभा के सदस्य श्री के० सी० योगी के वे शब्द याद आ जाते हैं जब उन्हों ने १९२४ में यही प्रश्न पूछा था और उन दिनों के संचरण मंत्री श्री अतुल चटर्जी ने उन्हें यह उत्तर दिया था कि रेलवे संस्था की तरह यह विभाग भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवायें देते हुए, आत्मनिर्भर भी होना चाहिये ।

मेरा विचार है कि डाक-तार विभाग को भी आत्मनिर्भर होना चाहिये, और उस संदर्भ में मुझे वित्त मंत्री जी के ये शब्द याद आ जाते हैं कि डाक-तार विभाग को राजस्व कमाने वाला विभाग नहीं समझा जाना चाहिये ।

इस बात का खेद है कि वित्त मंत्री जी हमारे बीच नहीं हैं, नहीं तो वे दोनों मंत्रियों के तर्क सुन पाते । माननीय मंत्री एवं सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि डाक-तार विभाग राजस्व कमाने वाला विभाग नहीं है । इसे उपयोगिता सार्थ अथवा उपयोगिता व वाणिज्यिक सार्थ समझा जाना चाहिये । अतः उपयोगिता सार्थ के रूप में रेल संस्था के साथ, जिस के वित्त १९२४ में उस से पृथक किये गये, इस की तुलना की जानी चाहिये ।

रेलों में एक अवमूल्यन निधि अथवा विकास निधियां होती हैं जिन की सहायता से वह लोग मशीनें आदि खरीदन का काम करते हैं । वे लोग यात्रियों, कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों को सुविधायें तो दे सकते हैं किन्तु हम नहीं दे सकते । अब देखिये कि इस विभाग की आधिक्य प्राप्ति का ५० प्रतिशत सामान्य निधि में चला जाता है और शेष ५० प्रतिशत संचित अतिरिक्त अभिरक्षित निधि के रूप में सामान्य निधि में चला जाता है । आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि इतना कार्य करने के बावजूद भी डाक तार विभाग इस पर केवल ३.१ प्रतिशत ब्याज ले सकता है । यह निधि सुरक्षित रहती है और जब कभी भी विभाग को पैसे की आवश्यकता पड़े तो सामान्य निधि से पैसे की मांग की जाती है । आश्चर्य की बात है कि जमा की गई निधि पर से नहीं, अपितु उस पर के ब्याज से पैसा दिया जाता है ।

सदन को ज्ञात होगा कि भूतपूर्व संचरण मंत्री श्री रफी अहमद किदवई के सामने बिल्कुल शुरू में इस बात की कठिनाई आई थी, जब इस चीज के लिये पैसा नहीं मिला था । "अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो" आन्दोलन से उन्हों ने इस काम के लिये पूंजी इकट्ठी की, और अब उस में दिनों-दिन तरक्की हो रही है । अतः मेरा यह सुझाव है कि रेलवे के समान डाक-तार विभाग को भी सामान्य वित्त से अलग किया जाना चाहिये

अब आप इस विभाग की आज की स्थिति देख लीजिये। १२ मार्च, १९२४ को दीवान बहादुर ए० एम० रामचन्द्र राव ने अपने आयव्ययक-भाषण में कहा था:—
भारत में एक डाक घर बिहार उड़ीसा के ८५ वर्गमील, पंजाब में ७२ वर्ग मील, उत्तर प्रदेश में ६८ वर्ग मील, बम्बई-मद्रास में ५० वर्ग मील तथा बंगाल आसाम में ४० वर्ग मील तक सेवायें देता है। अब १९५३ की स्थिति क्या है? भारत में, १९५३ में हर प्रत्येक १२ वर्ग मील क्षेत्र में एक डाक घर द्वारा काम चलाया जाता है। तब से इतना विकास हो पाया है।

आज डाकघरों की कुल संख्या ४२,४२७ है, जिन में से ग्रामीण डाकघरों की संख्या ३६,७४१ है। मैं ने इस का हिसाब लगा कर देखा है कि ८,४१० व्यक्तियों के लिये एक एक डाकघर रखा गया है। १५ अगस्त, १९४७ को २२,११६ डाकघर थे। अब इन की संख्या ४२,४२७ पर पहुंची है। १९४७ से २ हजार या उस से अधिक जनसंख्या वाले ४,८३७ गांवों में भी डाकघर खोले गये हैं।

रेलवे के पास व्यय के लिये ८०० करोड़ रुपये की पूंजी है जब कि डाक-तार विभाग के पास केवल ६० करोड़ रुपये की ही पूंजी है। डाक-तार विभाग के वित्त अलग किये जायें और सामान्य राजस्व ३.१ प्रतिशत या ४ प्रतिशत ब्याज ले और डाक-तार विभाग को स्वतंत्रता पूर्वक निर्माण-कार्यों पर धन का व्यय करने की छट मिले।

और अब कठिनाइयां क्या हैं? विरोधी दल के सदस्यों ने कठिनाइयां बताई हैं। हम भी उन सभी को जानते हैं। वे तो डाक विभागों तथा तार एवं टेलीफोन विभागों के विस्तार दे रहे हैं लेकिन काम करों की स्थिति क्या है? वे उन्हे ठीक मकान नहीं दिला सकते। हमारे बहुत से डाक घर तो किराये वाले मकानों में रखे गये हैं। भला ऐसी बात क्यों हो रही है। आप ने देखा होगा कि छोटे डाकघरों में छोटे छोटे कमरों में कितने आदमी एक साथ काम करने बैठते हैं। इस से उन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। चुनांचि बुरे तथा अपर्याप्त कमरों की शिकायत के साथ यह भी शिकायतें मिली हैं कि कई डाक कर्मचारियों को राजयक्ष्मा का रोग हुआ है।

श्री नम्बियार : बहुत अच्छे।

श्री राज बहादुर : क्या आप को इस बात में खुशी होती है?

डा० रामा राव (काकिनाडा) : जी नहीं। चूंकि कांग्रसी सदस्य इस का समर्थन करते हैं। बस यही बात है।

श्री एस० सी० सामन्त : इस का इलाज अभी से किया जाना चाहिये। नहीं तो काम बढ़ने पर यदि कामकरों को सुविधायें नहीं मिलीं तो यह विभाग ठप्प हो जायेगा। अतः मैं संचरण मंत्री, वित्त मंत्री (जो उपस्थित नहीं हैं) तथा मंत्रिमंडल से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस मामले पर पूरा पूरा विचार करें। यह कोई नई बात नहीं। ब्रिटिश राज्य में भी वह डाक तार के वित्त को अलग करना चाहते थे किन्तु यह विभाग उन दिनों चूंकि घाटे में जा रहा था, अतः वे ऐसा नहीं कर सके। उस के बाद युद्ध छिड़ गया और कई एक बातें हुई। अब चूंकि यह विभाग न केवल आत्मनिर्भर है, अपितु लाभ दे रहा है, अतः यही एक उचित समय है जब इस विभाग को बचाया जाना चाहिये। इस के वित्त अलग किये जाने चाहियें तथा पूंजी पर ४ प्रतिशत ब्याज लेना चाहिये।

श्री नम्बियार : चार प्रतिशत ब्याज बहुत अधिक होगा।

श्री राज बहादुर : यह विभाग भी रेलवे विभाग के स्तर पर होना चाहिये।

श्री एस० सी० सामान्त : चूंकि इस में से कम से कम ३.१ प्रतिशत सामान्य राजस्व में जायेगा, अतः इतना प्रतिशत ब्याज अधिक नहीं है। मैं सरकार के समक्ष यही प्रस्थापनायें रखता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इन को कार्यान्वित करेगी।

श्री मुनिस्वामी : मैं डाक विभाग के 'अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों'' के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। इन कर्मचारियों की संख्या ५२,८९६ है तथा इन्हें नियमित रूप से कोई वेतन नहीं दिया जाता है। किन्तु जहां तक काम का सम्बन्ध है वह अन्य कर्मचारियों के बराबर माने जाते हैं। इस श्रेणी के किसी कर्मचारी को २० रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाता है तथा उसे एक ऐसे क्षेत्र में काम करना होता है जिस की जनसंख्या २००० अथवा उस से अधिक हो। इन्हें आठ से ले कर दस घंटे तक अथवा उस से अधिक समय के लिये प्रतिदिन काम करना पड़ता है, उसे अवकाश प्राप्त करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। यदि वह कभी छुट्टी पर जाता है तो उसे अपनी जेब से पैसे खर्च कर के अपनी जगह पर किसी व्यक्ति को रखना पड़ता है, आखिर, आप उन से इन सभी बातों के करने की कैसे आशा कर सकते हैं, इन कर्मचारियों की इस समय उपेक्षा की जा रही है, उन्हें डाकखाने अपने घरों में रखने पड़ते हैं। इस के लिये उन्हें कोई किराया नहीं मिलता है। मैं निवेदन करता हूं कि इन कर्मचारियों की वेतन दर बढ़ा दी जाये अथवा इन्हें सरकारी कर्मचारी मान लिया जाय, एक उद्देश्य के लिये, उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है तथा वह यह हें कि उन्हें पंचायत का चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है।

अब में 'एकाऊंटेंटों' के बारे में कुछ कहना चाहता हूं प्रत्येक बड़े डाकखाने तथा रिकार्ड कार्यालय में एकाऊंटेंट होते हैं। उन्हें केवल ३० रुपये की अल्प राशि अतिरिक्त भत्ते के रूप में दी जाती है, इस मामले की जांच कराने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था परन्तु उस के पास 'एकाऊंटिंग ब्रांच' की जांच करने के लिये कोई समय नहीं था। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस जांच का प्रबन्ध किया जाना चाहिये तथा डाक विभाग की ईमानदारी को यथावत् कायम रखा जाना चाहिये।

श्री जगजीवन राम : इस का सम्बन्ध किस डाकखाने से है।

श्री मुनिस्वामी : मैं सभी डाकखानों के बारे में कह रहा हूं। कम से कम या तो सहायक लेखापाल नियुक्त किये जाने चाहियें या इन की उपलब्धियां बढ़ा दी जानी चाहियें। हम ने बार बार प्रार्थना की है कि कम से कम इन एकाऊंटेंटों को निम्न सिलेक्शन ग्रेड दिया जाना चाहिये।

जिन स्थानों पर अधिक जन संख्या है वहां मकान किराया से सम्बन्धित भत्ता देने की प्रस्थापना है। अभी तक इन स्थानों में केवल कलकत्ता तथा बम्बई शामिल हैं; मैं निवेदन करता हूं कि मद्रास तथा दिल्ली को भी इस श्रेणी में शामिल कर के वहां के डाक कर्मचारियों को मकान किराया का भत्ता दिया जाये।

पांडीचेरी में भारतीय मुद्रा का प्रचालन बन्द कर दिया गया है किन्तु वहां के व्यापारी भारतीय मुद्रा चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि फ्रांसीसी बस्तियों में डाक कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में अधिक सुविधाएं दी जायें जिस से कि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

डाकियों को तरक्की दे कर जो क्लर्क ग्रेड में लिया जाता है उस की प्रतिशतता बढ़ा

दी जाये। मुझे आशा है कि मंत्री जी इन सभी बातों पर ध्यान देंगे।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलसापुर–दुर्ग–रायपुर) : सब से पहले मैं नागरिक उड्डयन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय यहां ९ हवाई कम्पनियां काम कर रही हैं जिन में कि सरकार की अंशपूंजी ४९ प्रतिशत है। १९५२–५३ में सरकार ने एयर इंडिया इन्टरनैशनल को २५ लाख रुपये की सहायता दी। इन प्राईवेट कम्पनियों ने आर्थिक रूप से कोई तरक्की नहीं की है और न ही भविष्य में इन के तरक्की करने की कोई आशा है। पारणाम यह हो रहा है कि वह पुराने ढंग के वायुयान डकोता आदि प्रयोग में ला रहे हैं जिन में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं। वह कान्सटेलेशन, वाईकिंग अथवा स्काई-मास्टर जैसे नये ढंग के वायुयान खरीद नहीं सकते हैं। हर समय सरकार को इन की सहायता पर आना पड़ता है। इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए यह अच्छा होगा कि इन सभी कम्पनियों का शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीय-करण किया जाये।

जहां तक डाक विभाग का सम्बन्ध है मैं केवल इस के फरियाद संघटन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बटवारे के बाद फरियादों तथा शिकायतों की संख्या बहुत बढ़ गई, परन्तु आंकड़ों को देख कर पता चलता है कि यह संघटन कोई विशेष काम नहीं कर रहा है। मेरा अनुरोध यह है कि या तो यह संघटन तोड़ दिया जाये या इसे उचित ढंग पर चलाया जाये।

टेलीफोन व्यवस्था विशेषकर ट्रंक एक्स-चैंज व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। ट्रंक 'कालों' की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। परन्तु शिकायत एक ज़रूर है कि ट्रंक कालों में विलम्ब होता है। मैं निवेदन करता हूं कि शिमला आगरा आदि नगरों की तरह अन्य स्थानों पर भी ऐसी व्यवस्था की जाये कि 'कालों' में विलम्ब न होने पाये। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ट्रंक एक्सचैंज में "डायल प्रणाली" पुरःस्थापित की जाये।

उपमंत्री जी ने कहा कि एक्सचैंजों में अब पूर्णतयः महिलायें ही काम करेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सचैंजों में केवल 'आपरेटर' ही नहीं होते हैं अपितु यांत्रिक आदि भी होते हैं जिन्हें लाइनों आदि का परीक्षण करना होता है। यह काम प्रातः के छै बजे से पहले हुआ करता है। क्या सरकार इन स्थानों पर भी महलाओं को नियुक्त करने का विचार रखती है? सरकार ने कहा है कि उन के लिए यातायात सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी। परन्तु क्या इन सभी आपरेटरों को यह सुविधाएं देना सम्भव होगा? सरकार उन के सुरक्षित आवागमन के सम्बन्ध में भी कोई गारंटी नहीं दे सकती है। इस के अलावा कई लोग अपनी बहू बेटियों को गैर-वक्त काम पर भेजना पसन्द नहीं करेंगे।

मैं रायपुर से आया हूं, वहां के बलोडा बाज़ार सब-डिवीज़न में कोई 'पब्लिक काल आफिस' नहीं है। वहां के अधिकारियों ने भी इस सम्बन्ध में मांग की है, मुझे आशा है कि मंत्री जी इस मामले पर ध्यान देंगे।

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित—अनु-सूचित–जातियां) : डाक तथा तार विभाग सरकार के बड़े बड़े विभागों में से एक है, तथा इस के सम्बन्ध में जनता की राय यह है कि यह कुशलता से तथा ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। इस सफलता का श्रेय इस विभाग के विभिन्न कर्मचारियों तथा अधिकारियों को प्राप्त है। टेलीफोन विभाग भी इतना ही सक्षम है यद्यपि टेलीफोन नम्बर का पता लगाने के सम्बन्ध में कभी कभी कठिनाई होती है। डायरेक्टरी भी इस दिशा में हमारा ठीक ठीक पथप्रदर्शन नहीं करती है।

[श्री तिम्मय्या]

यह कठिनाई मैसूर के सम्बन्ध में विशेषकर है। टेलीफोन रेट में हाल ही में जो वृद्धि की गई है वह हमारे जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसे कम किया जाये।

मुझे प्रसन्नता है कि मैसूर राज्य में कुछ नये टेलीफोन एक्सचैंज खोले गए हैं तथा कुछ और एक्सचैंजों को खोलने की प्रस्थापना है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अर्सेकेरे, जो कि एक व्यापार केन्द्र तथा रेलवे जंकशन है में इस वर्ष अवश्य ही एक टेलीफोन एक्सचैंज खोला जाना चाहिये। इसी तरह कोलार के समीप बांगडपेट कस्बे में भी एक एक्सचैंज खोला जाये।

यह खुशी की बात है कि २००० की जनसंख्या वाले ग्रामों में डाक खाने खोले गए हैं अथवा खोले जाने वाले हैं। किन्तु कुछ पहाड़ी इलाकों में अधिकांश ग्रामों की जन संख्या २००० से कम होती है, ऐसी दशा में ग्राम-समूहों के लिए जिन की संख्या दो हज़ार अथवा उस से अधिक हो डाक खाने खोले जाने चाहियें।

यह खेद की बात है कि कुछ ताल्लुकों के सदर-स्थानों में तार सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तथा वह ज़िला हैडक्वार्टरों के साथ तार द्वारा नहीं मिले हुए हैं, इस से जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूं कि इन स्थानों पर तारघर खोले जाने चाहियें तथा ज़िला सदर-स्थानों पर कम से कम 'पब्लिक काल आफिस" खोले जाने चाहियें।

मैं ने देखा है कि कुछ स्थानों पर डाकखाने पुराने मकानों में विद्यमान हैं, कई स्थानों पर यह प्राइवेट मकानों में हैं जिन के मालिक स्वयं डाक बाबू ही होते हैं, यदि वह पुराणपंथी होगा तो कुछ जातियों से सम्बन्धित लोगों को वह अन्दर नहीं आने देता है, इस तरह से जनता को तकलीफ होती है। दूसरे, डाकखानों में जगह भी कम होती है। यहां दिल्ली के डाकखानों में भी जगह अपर्याप्त है।

अन्त में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डाक तथा तार विभाग में हरिजनों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाये। मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि वह वर्ष में कम से कम एक बार सदन पटल पर एक विवरण रखा करें जिस में डाक तथा तार विभाग में हरिजन कर्मचारियों की संख्या दी गई हो। इस से सदन को मालूम हो सकेगा कि हरिजनों को स्थान-रक्षण के सम्बन्ध में जो वचन दिये जाते हैं वह कहां तक पूरे किये जाते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरी इस प्रार्थना पर विचार करेंगे।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : मैं समझता हूं कि अगर मैं दो एक बातें अर्ज न करता और यह डिबेट उन के बगैर खत्म हो जाता तो शायद मुनासिब नहीं होता। इस साल हमारी इस मिनिस्ट्री ने जो सब से बड़ा काम किया है वह यह है कि जो पिछले ६ वर्ष से उस का झगड़ा पोस्टमेन यूनियन से चल रहा था और जो वरकर्ज़ की स्ट्राइक के दिनों की तनख्वाह नहीं मिली थी और नौबत यहां तक पहुंच चुकी थी कि पोस्टमेन यूनियन की तरफ़ से स्ट्राइक का नोटिस भी दे दिया गया था और मामला काफ़ी तूल पकड़ गया था, उस को मिनिस्ट्री ने बड़ी अक्लमंदी से हल किया और श्री जयप्रकाश का जो २१ दिन का व्रत चल रहा था वह समाप्त हो गया, मैं इस मामले को सुलझाने पर मिनिस्टर साहब को और उन के महकमे को बधाई देता हूं। इस फैसले से न केवल लम्बा झगड़ा समाप्त हुआ

बल्कि राजनैतिक क्षेत्र का वायु मण्डल भी साफ हुआ। इस मामले को हल करने का सारा क्रैडिट गवर्नमेंट ने लिया है और दूसरे मुल्क के अन्दर इलेक्शनस् जितने पीसफुली हुए हैं, वह दुनिया में अपना रेकार्ड कायम करते हैं और मैं समझता हूं कि इस विभाग का इस काम को इतनी शांतिपूर्वक कराने में बहुत बड़ा हिस्सा है। इस विभाग ने इलेक्शनस के वक्त तार और टेलीफोन की फैसिलटी सब पार्टियों को दी और अपना सारा काम बहुत एफिशियेन्टली और स्पीड के साथ डिस्पोज़ आफ किया और अगर एक आध बातें इस वक्त यहां पर नहीं कही जातीं और डिबेट को खत्म कर दिया जाता तो शायद मुनासिब नहीं होता।

इस के अलावा मिनिस्टर साहब ने पोस्ट-मैनों और कर्मचारियों के लिए इस बात की राहत कर दी है कि पी० एम० जी० ३१ लोगों के साथ हर महीने अपनी मीटिंग कर लिया करें और जहां पर वह अपने ग्रीवियान्सेज़ और शिकायतों को पेश करें और महकमे के अधिकारियों के पास तक पहुंचायें। यह बड़ी अच्छी बात हुई है और इस सुविधा के मिलने से ग़रीब पोस्टमैनों और हरकारों के अन्दर विश्वास पैदा हो गया है कि महकमा उन के साथ अच्छा सलूक करता है। लेकिन इस के बावजूद भी मैं आप से अर्ज़ करूं कि उन के अन्दर एक तरह का स्प्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन मौजूद है और जब तक हम उस को रिमूव नहीं करेंगे उस वक्त तक लोगों के दिलों के अन्दर सच्ची तसल्ली पैदा नहीं हो सकेगी।

इस काम के लिये मैं आप से कहना चाहूंगा कि जैसा मेरे एक मोहतरम दोस्त ने सुझाव दिया कि जब तक यह महकमा जनरल फाइनेंस से अलहिदा नहीं किया जाता, तब तक हमारा काम ठीक तरह जैसा हम चाहते हैं नहीं चल सकता। आज नतीजा यह हो रहा है कि हमारे प्रपोजल्स फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, और वहां वह प्रपोज़ल्स दो, चार, और ६ महीने तक वैसे पड़े रहते हैं। यह बेचारे अपने यहां से रेकमेंड करके भेजते हैं, लेकिन फ़ाइनेंस काफ़ी वक्त लगा देता है और उस के बाद उस पर राज़ी नहीं होता। मेरा तो सुझाव यह है कि जिस प्रपोज़ल को यह महकमा फ़ाइनेंस के पास मंजूरी के लिए भेजे और अगर फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में उस पर दो महीने से ज्यादा अर्सा बीत जाय, तो जो प्रपोजल इस विभाग का हो वह फ़ाइनेल समझा जाय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रपोजल्स पर दो, चार और छै २ महीमे लगा दें, देरी तो फ़ाइनेंस लगावे और बदनामी उस बेचारे कम्युनिकेशन्स डिपार्टमेंट की होती है।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) कौन सी मिनिस्ट्री में चार २ और छै २ महीने लगाये जाते हैं?

लाला अचिन्त राम : फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में लगाये जाते हैं।

मिसाल के तौर पर मैं आप को बतलाऊं कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में एक रिप्रजेंटेशन गया हुआ है, आठ महीन हो जाते हैं, लोगों ने उस के बारे में बड़ी शिकायत की, एक नहीं चार छै रिप्रजेंटेशन भेजे, और पूछ-ताछ की तो आठ सात महीने के बाद भी कुछ फ़ैसला नहीं होता है। इसी तरह की और भी कई छोटी २ बातें हैं लेकिन अब वक्त नहीं है। मेरी तजवीज़ यह है कि जो प्रपोज़ल यह महकमा भेजे तो या तो फ़ाइनेंस दो महीने के अन्दर २ उस के बारे में फ़ैसला दे दे, नहीं तो उस प्रपोजल को फ़ाइनल समझा जाय क्योंकि आखिर बदनामी तो उस महकमे की ही होती है।

[लाला अचिन्त राम]

इस के अलावा मुझे आप के टेलीफोन विभाग के बारे में यह शिकायत करनी है कि वहां पर करप्शन चल रहा है, गरीब आदमियों को टेलीफोन काल नहीं मिलती है लेकिन बिजनेसमेन को रात को नौ बज़े फौरन मिलता है चूंकि उस से रुपया मिलने की उम्मीद होती है, उस को जल्दी काल मिल जाता है। महकमा वाले अफसरों की माहवारी बन्धी होती है। वक्त बहुत थोड़ा है, इस वास्ते मैं और ज्यादा अर्ज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इधर ध्यान दें और इस खराबी को दूर करने की कोशिश करें।

दूसरी बात में हिन्दी के टेलिग्राम के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं। आप ने हिन्दी के मुताल्लिक अपने हिसाब से बहुत कुछ किया, लेकिन तब भी बहुत नाकाफी किया। हिन्दी टेलीग्राम को आप सस्ता कर दीजिये तो उस से आप को आमदनी ज्यादा होगी। आप जहां नये तार घर खोलते हैं वहां इसको चलाइये। आप ने १५ साल का टाइम रखा है, लेकिन इस तरह से आप इतने टाइम में इस को कैसे पूरा कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब दोनों के दिल में हिन्दी के लिये प्रेम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह हिन्दी के तार को सस्ता करें, इस से आमदनी भी बढ़ जायेगी और हिन्दी का भी प्रचार बढ़ेगा।

आखिर में मैं आप को बधाई देता हूं कि आप ने अपने महकमे को इतनी अच्छी तरह चलाया है।

श्रीमति रेणु चक्रवर्ती : मैं नागरिक उड्डयन विभाग के विषय में कुछ शब्द कहूंगी। हम अपने देश के टेकनीकल लोगों के बारे में बहुत उदार बातें कहते रहे हैं। किन्तु नागरिक उड्डयन विभाग के सम्बन्ध में, जहां कि हमारे कुछ सर्वाधिक कुशल टेकनीशियन मौजूद हैं, हम देखते हैं कि वहां भी नौकरी की दशाएं कुछ अच्छी नहीं हैं।

सर्व प्रथम मैं विमान-चालकों का प्रश्न लूंगी। हमारे देश में कुछ अत्युत्तम विमान-चालक हैं जैसे रंजन दत्त, मजूमदार आदि और फिर भी हम देखते हैं कि अनेक उड्डयन समवायों ने विदेशी विमान-चालक रक्खे हुए हैं जिन्हें २००० से ३००० रुपये प्रति मास वेतन दिया जा रहा है। मैं कुछ संख्या में विदेशी विमान-चालकों के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु बात यह है कि लगभग एक सौ वाणिज्यिक विमान-चालक हमारे यहां ऐसे हैं जो बेकार हैं। उन्हों ने अपने प्रशिक्षण पर १४–१५ हज़ार रुपया खर्च किया है। उनमें से कुछ को अनुसूचित मार्गों पर जाना पड़ता है किन्तु उन के उस वेतन से उन का खर्चा भी नहीं निकलता। उन की नौकरी की दशाएं भी अच्छी नहीं हैं।

यही बात इंजीनियरों के बारे में है। उन्हें, मिकेनिक्स का वेतन कई समवायों में दिया जा रहा है। कई समवायों में मरम्मत इत्यादि का कार्य ऐप्रेंटिसों द्वारा किया जाता है और वे वर्षों तक वहां इस आशा में लटके रहते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इसे 'बेगार' श्रम ही कहा जा सकता है।

फिर, हम देखते हैं कि वहां अफसरशाही प्रशासन है। उदाहरणार्थ, सन् १९५२–५३ में पदाधिकारियों की संख्या ६२ थी और सन् १९५३–५४ में यह ८१ प्राक्कलित की गई है जब कि कर्मचारियों की संख्या इसी काल में घट कर ४३८ से ४३४ हो गयी है और अनुदानों की राशि ८.३४ लाख से बढ़कर ९.२६ लाख हो गई है। कर्मचारियों के पास कार्य की अधिकता है। उदाहरण के लिए, किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर उन्हें १४ घंटे काम करना पड़ता है। सरकारी छुट्टियां तथा

इतवार उन के लिए कुछ नहीं । चौकीदारों तथा अन्य श्रेणी चार के कर्मचारियों को साल भर १२ घंटे काम करना पड़ता है और उन्हें भविष्य-निधि मुफ्त चिकित्सा इत्यादि के लाभ से भी वंचित रक्खा गया है ।

दूसरी बात निवास स्थान के बारे में है । हम जानते हैं कि ये हवाई अड्डे नगर से बहुत दूर होते हैं और वहां रहने वाले लोगों को मकान और यातायात का बहुत खर्चा करना पड़ता है । सामान्यतः वहां मकान बहुत कम होते हैं और टूटे-फूटे होते हैं । फिर, ये स्थान मलेरिया-ग्रस्त होते हैं । किन्तु वहां उन के लिए मुश्किल से ही चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

मकान-व्यवस्था के लिए आयव्ययक में केवल २७ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है । यह राशि २३ हवाई अड्डों पर वितरित होगी । यह बहुत कम है ।

उन के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न भी बड़ा गम्भीर है क्योंकि वे लोग शहर से दस-पंद्रह मील के फासले पर रहते हैं । फिर, उन्हें ट्रेड यूनियन अधिकार भी दिए जाने चाहिएं ।

नागरिक उड्डयन विभाग एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ विभाग है जिस पर बहुत से लोग निर्भर हैं । उन के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्तावों का समर्थन करती हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री जगजीवन राम : संचरण मंत्रालय में अनेक विभाग हैं । किन्तु सदन ने विशेषकर दो विभागों पर ध्यान केन्द्रित किया है—नागरिक उड्डयन तथा डाक व तार । पहले मैं नागरिक उड्डयन विभाग के बारे में कुछ कहूंगा जिस के सम्बन्ध में कि मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह ने अपने गत वर्ष का तर्क ही दोहराया कि इसे रक्षा मंत्रालय को दे दिया जाए । उस के उत्तर में मैं अपने गत वर्ष के तर्क नहीं दोहराना चाहता । मैं अपने गत वर्ष के भाषण की ओर निर्देश करूंगा । यदि नागरिक उड्डयन को, जैसा कि उन्हों ने कहा, द्वितीय रक्षा-पंक्ति बनाना है, तो यही तर्क इस बात का औचित्य है कि इसे रक्षा मंत्रालय से पृथक रख कर, द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में विकसित होने दिया जाए । इस मद पर मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा ।

मैं जानता हूं कि शहर से दूर हवाई अड्डों पर काम करने के कारण नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी कठिनाई तथा अपने बच्चों की शिक्षा की समस्या का सामना करना पड़ता है । मैं ने अपने परामर्शदाताओं तथा पदाधिकारियों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा है कि हम उन के बच्चों को शहर में स्कूलों व कालजों में भेजने के लिए किस प्रकार यातायात का प्रबन्ध कर सकते हैं । मैं ने उन से चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कराने के विषय पर भी विचार करने को कहा है ।

मकानों के बारे में हमें कठिनाइयां हैं । ये स्थान दूर पर हैं और हम पर्याप्त मकान नहीं दे सके हैं । कभी-कभी हमारे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को वाहनों द्वारा लाना पड़ता है और हम ने बहुत थोड़े शुल्क पर अपनी स्टाफ कारों द्वारा उन के यातायात का प्रबन्ध किया है । किन्तु यह पूर्ण संतोषजनक नहीं है और हमें उन लोगों के लिए बड़ी संख्या में क्वार्टर बनाने पड़ेंगे । डमडम तथा संताक्रूज के हवाई अड्डों पर हम बड़ी संख्या में क्वार्टर बना रहे हैं और अन्य हवाई अड्डों पर क्वार्टर बनाने की हमारी योजना है ।

दूसरी बात यूनियनों की मान्यता के विषय में कही गई । मैं स्वयं कर्मचारियों के

[श्री जगजीवन राम]

मध्य संगठन प्रोत्साहित करने का पक्षपाती हूं। इन यूनियनों को मान्यता दी जाए अथवा नहीं यह प्रश्न विचाराधीन है। यह नीति की बात है। इस का अन्य सरकारी विभागों पर भी प्रभाव पड़ता है और इन सब मामलों का निर्णयन गृह मंत्रालय पर है। जो भी निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा हम अपने कर्मचारियों को बतला देंगे। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं अपने विभाग के कर्मचारियों में संगठन प्रोत्साहित करने के पूरे पक्ष में हूं। किन्तु मैं अनुशासनहीनता कभी सहन नहीं करूंगा।

अब मैं डाक तथा तार विभाग पर आता हूं। एक प्रश्न यह पूछा गया था कि यह विभाग वाणिज्यिक विभाग है अथवा लोकोपयोगी सेवा है। इस प्रश्न का उत्तर देना तत्काल देना किंचित कठिन है। किन्तु डाक व तार विभाग अब तक वाणिज्यिक विभाग और लोकोपयोगी सेवा के संम्मिश्रण स्वरूप कार्य करता रहा है। मूल रूप से हम लोकोपयोगी सेवा में लगे हैं। किन्तु इस के साथ साथ हम इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि अपना खर्चा स्वयं निकाल लें और इस सीमा तक इसे वाणिज्यिक विभाग समझा जा सकता है। हम इस विभाग से कोई लाभ नहीं कमाना चाहते लेकिन अपना खर्चा निकाल लेना चाहते हैं।

स्थान का प्रश्न, रिहाइश के लिए या कार्यालय के लिए, इस समय इस विभाग के सम्मुख है। हमारे पास लगभग ५००० किराए के मकान हैं। कार्यालियों में स्थान की कमी होने के कारण बहुत से लोगों को घुट कर बैठना पड़ता है। निवास स्थान की दशा भी बहुत असंतोषजनक है। इस सम्बन्ध में केवल वित्तीय कठिनाई ही नहीं है, अन्य कठिनाइयां भी हैं। पिछले वर्ष के आयव्ययक में रुपया रक्खा गया था किन्तु वह व्ययगत हो गया। आसाम के मेरे मित्र ने इस सम्बन्ध में शिकायत की। मैं ने स्वयं इस मामले को आसाम सरकार के साथ उठाया और उस से पूछा कि क्या अपने लोक निर्माण विभाग की सहायता हमें उपलब्ध करा सकेगी। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों से भी मैं ने पूछा। आसाम सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की, किन्तु इस वर्ष मैं प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आयव्ययक में इस बार उपबन्धित की गई राशि व्ययगत नहीं होगी।

कलकत्ते में स्वचालित टेलीफोन योजना पूरी हो जाने पर अतिरेक कर्मचारियों की छंटनी का जहां तक प्रश्न है, मैं अपने माननीय मित्र श्री एच० एन० मुखर्जी को विश्वास दिला सकता हूं कि उन की छंटनी नहीं की जाएगी और हम यह देखने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि अतिरिक्त चालकों को विभाग में अन्य स्थानों पर रख लिया जाए।

जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न है, मैं स्वयं श्रेणी ४ के कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही कोई संतोषजनक निर्णय उन के बारे में किया जाएगा।

अन्य छोटे प्रश्न जो व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं उन सब पर मैं विचार करूंगा। स्थान विशेष पर टेलीफोन कार्यालय स्थापित करने अथवा डाकघर खोलने सम्बन्धी मामलों में हम अपना भरसक प्रयत्न करेंगे।

हिन्दी के सम्बन्ध में, हम स्वयं हिन्दी को प्रोत्साहन दने को इच्छुक हैं और प्रतिवेदन देखने से हिन्दी-प्रेमियों को ज्ञात होगा गत नौ मासों में अत्यन्त संतोषजनक प्रगति हुई है। हिन्दी को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने की हमारी कुछ योजनाएं हैं और मुझे आशा है कि आगामी वर्ष हमारी प्रगति और अच्छी रहेगी।

जहां तक विभाग अतिरिक्त डाकघरों का प्रश्न है, मुझे केवल इतना ही कहना कि इस में केवल वही लोग आपत्ति करेंगे जो कि ग्राम्य क्षेत्रों में डाकघरों की प्रगति नहीं चाहते हैं। इस शिकायत का कोई लाभ नहीं है कि विभाग-अतिरिक्त डाकघरों के कर्मचारियों को विभागीय डाकघरों के कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है। यदि उन्हें भी इतना ही वेतन दिया जाए तो फिर विभाग-अतिरिक्त डाकघरों का लाभ ही क्या? इन के कर्मचारी नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं। ये अधिकतर रिटायर्ड लोग होते हैं। उन में से बहुत से अन्य कार्य भी करते हैं और उन के जीवन यापन के अतिरिक्त साधन होते हैं। इसलिए ग्राम्य-क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें यही पद्धति अपनानी होगी।

मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटारमण ने मुझ पर आरोप लगाया कि बिहार से आने के कारण मैं बिहार का पक्षपात करता हूं। उन्हों ने इस प्रकार की बात कही इस का मुझे दुख है। इस सम्बन्ध में मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि १४ अगस्त, १९४७ से ३० जून, १९५२ के बीच में बिहार में २९५० डाकघर खोले गए जब कि मद्रास में ६००४ डाकघर खोले गए। इस वर्ष ३१ मार्च तक मद्रास के २००० या अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक डाकघर हो जाएगा।

किन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि २००० की आबादी वाले गांव के आधार के हमें बहुत संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्हीं क्षेत्रों में तो अनेक डाकघर केन्द्रित हो गए हैं और किन्हीं क्षेत्रों में दूर-दूर तक कोई डाकघर नहीं है। तो हम ने यह निर्णय किया है कि आबादी के साथ-साथ फासले को भी ध्यान में लिया जाए। कुछ पहाड़ी इलाके तो ऐसे हैं कि उस सिद्धान्त पर ही यदि डाकघर खोले जाएं तो वहां एक भी डाकघर नहीं होगा। मेरा विचार है कि हम इस प्रकार कार्य करें कि आगामी तीन वर्ष में कोई भी ऐसा क्षेत्र न रहे जहां कि डाकघर पहुंचने के लिए दो मील से अधिक चलना पड़े। जहां तक टेलीफोन और तार का प्रश्न है, मेरा विचार है कि प्रत्येक ज़िला हैड क्वार्टर तहसील और थाना हैड क्वार्टर में एक तार घर हो। और टेलीफोन एक्सचेन्जों के मामले में हम अधिक उदार होना चाहते हैं। तार तथा टेलीफोन के मामले में भी मैं विभाग-अतिरिक्त प्रणाली अपनाने जा रहा हूं।

मेरे पास समय नहीं है। मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्हों ने कि न केवल इस विभाग के लिए प्रशंसा के शब्द कहे वरन् अपना सहकार भी प्रदान किया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं सब कटौती प्रस्तावों को एक साथ रक्खूंगा।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रम-पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ५, ६, ७, ८, ९, १०, १११, ११२ और ११३ के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिए उक्त क्रम-पत्र के स्तम्भ तीन म तदन रूप दिखाई गई परिणाम तक की राशियो राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव: राज्य परिषद् से प्राप्त निम्नोक्त दो संदेशों की सूचना मुझे देनी है:

(१) "राज्य परिषद् के कार्यकरण की प्रक्रिया और संचालन के नियमों के नियम १६२ के उप-नियम ६ के उपबन्धों के अनुसार मुझे निम्नलिखित विधेयकों को वापस करने का आदेश दिया गया है जो कि लोक सभा ने अपनी २६ मार्च, १९५३ की बैठक में पास

[सचिव]

किए थे तथा राज्य परिषद् को अपनी सिफ़ारिशों के लिए भेजे थे । उक्त विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य परिषद् को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं :

१. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग विधेयक, १९५३

२. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५३

३. विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५३

(२) "राज्य परिषद् के कार्यकरण की प्रक्रिया और संचालन के नियमों के नियम ९७ के अनुसार मुझे हैदराबाद टंकण तथा कागज़ी मुद्रा (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९५३ की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध करने का आदेश दिया गया है जिसे कि २८ मार्च, १९५३ की बैठक में राज्य परिषद ने पास किया था ।"

हैदराबाद टंकण तथा कागज़ मुद्रा (विविध उपबन्ध) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, राज्य परिषद द्वारा पास किए रूप में मैं सदन पटल पर हैदराबाद टंकण तथा कागज़ी मुद्रा (विविध उपबन्ध) विधेयक रखता हूं ।

इसके पश्चात सदन की बैठक सोमवार ३० मार्च, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—264 PSD—5-1-54—285